[2018] 2 एस. सी. आर 829

भारत में क्रिकेट के लिए नियंत्रण बोर्ड

वी.

कोच्चि क्रिकेट पी. वी. टी. लिमिटेड। और ई. टी. सी.

(2018 की सिविल अपील Nos.2879-2880)

15 मार्च, 2018

[आर. एफ. नरीमन और नवीन सिन्हा, जे. जे.]

मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015: एस. 26 – एस का निर्माण-अनुप्रयोग। 36 (संशोधन द्वारा प्रतिस्थापित

अधिनियम), अपने संशोधित रूप में या अपने मूल रूप में एस। 34 संशोधन अधिनियम के प्रारंभ से पहले दायर मध्यस्थता पुरस्कार को अलग करने के लिए आवेदन-तथ्यों पर, मध्यस्थता पुरस्कार का पारित होना -

आवेदन यू / एस. 34 ने मध्यस्थता पुरस्कार को चुनौती दी, जो पहले दायर किया गया था

संशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद और कुछ संशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद-पुरस्कार लेनदार द्वारा निष्पादन आवेदन-पुरस्कार देनदार द्वारा मांगे गए निष्पादन आवेदनों को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि पुराने एस। 36 लागू होगा, इस प्रकार, एस तक पुरस्कारों के निष्पादन पर स्वतः रोक होगी। 34 कार्यवाहियों का निर्णय हो चुका था-तथापि, उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि संशोधित एस। 36 लागू होगा और एक पुरस्कार का निष्पादन ऐसा होगा जैसे कि यह एक डिक्री हो, कोई स्वचालित रोक नहीं होगी और निष्पादन का आदेश दिया जाएगा-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाः एस की योजना। 26 यह स्पष्ट है कि संशोधन अधिनियम को केवल संभावित रूप से लागू किया जाना है

इसकी शुरुआत की तारीख से प्रभाव, और केवल मध्यस्थता के लिए

कार्यवाही और उसके संबंध में अदालती कार्यवाही, जो

संशोधन अधिनियम के प्रारंभ पर या उसके बाद शुरू किया गया है-आगे, एस। 36 एक प्रक्रियात्मक प्रावधान होने के कारण, धारा का संदर्भ यह है कि "किया गया है" अभिव्यक्ति 's' को संदर्भित करेगी। 34 संशोधन अधिनियम के प्रारंभ से पहले दायर याचिकाएं और इंगित करती हैं

कि उक्त धारा अपने प्रतिस्थापित रूप में ऐसी याचिकाओं पर भी लागू होगी। एस. 36, जैसा कि संशोधित किया गया है, एस. पर लागू होना चाहिए। 34

संशोधन अधिनियम के प्रारंभ से पहले दायर किए गए आवेदन

- मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996। 36 और 34.

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़नाः 1.1 मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 की धारा 26 की योजना स्पष्ट हैः कि संशोधन अधिनियम संभावित प्रकृति का है और उन पर लागू होगा

माध्यस्थम कार्यवाही जो शुरू की जाती है, जैसा कि द्वारा समझा जाता है

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मूल अधिनियम की धारा 21, संशोधन अधिनियम पर या उसके बाद, और न्यायालय की कार्यवाही जो संशोधन अधिनियम के लागू होने पर या उसके बाद शुरू हुई है। [पैरा 25] [859-सी-डी] 1.2 धारा 26 को पढ़ने पर यह पाया जाता है कि प्रावधान दो भागों में है। पहला भाग संशोधन अधिनियम को संदर्भित करता है

कुछ कार्यवाहियों को लागू करना, जबकि दूसरा भाग कुछ कार्यवाहियों पर संशोधन अधिनियम सकारात्मक रूप से लागू होता है।

दोनों भागों को 'लेकिन' शब्द से अलग किया गया है, जो यह भी दर्शाता है कि दोनों भाग अलग और अलग हैं। यह नहीं कहा जा सकता है कि अभिव्यक्ति "लेकिन" का अर्थ केवल यह है कि एक जोरदार शब्द है। उक्त धारा के दूसरे भाग में धारा 26 के पहले भाग की पुनरावृत्ति। धारा 26 में "लेकिन" शब्द का संदर्भ उपरोक्त अर्थ नहीं ले सकता है, लेकिन केवल धारा 26 के दो अलग-अलग हिस्सों को अलग करने के लिए कार्य करता है। पहले भाग से जो ध्यान दिया जाएगा, जिसमें कहा गया है, "इस अधिनियम में निहित कुछ भी इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले मूल अधिनियम की धारा 21 के प्रावधानों के अनुसार शुरू की गई मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू नहीं होगा, जब तक कि पक्ष अन्यथा सहमत न हों। (1) " मध्यस्थ कार्यवाही और उनके प्रारंभ का उल्लेख मूल अधिनियम की धारा 21 के संदर्भ में किया गया है; (2)

उपयोग की गई अभिव्यक्ति "से" है और "के संबंध में" नहीं है; और (3) पक्ष अन्यथा सहमत हो सकते हैं। जहाँ तक धारा 26 का दूसरा भाग है

संबंधित, अर्थात्, वह भाग जिसमें लिखा है, ". लेकिन यह अधिनियम इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को या उसके बाद शुरू की गई मध्यस्थता कार्यवाही के संबंध में लागू होगा" यह स्पष्ट करता है कि "के संबंध में" अभिव्यक्ति का उपयोग किया जाता है; और "मध्यस्थता कार्यवाही और" मूल अधिनियम की धारा 21 के प्रावधानों के अनुसार "अभिव्यक्ति इसकी अनुपस्थिति से स्पष्ट है। अभिव्यक्ति "मध्यस्थता कार्यवाही" एक मध्यस्थता न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही को संदर्भित करती है। केवल इन कार्यवाहियों को "स्पष्ट करने" के संबंध में "से" अभिव्यक्ति के विपरीत संदर्भित किया जाता है। इसके अलावा, 1996 के अधिनियम की धारा 21 का संदर्भ, जो अध्याय V में दिखाई देता है, और जो उस तारीख से शुरू होने वाली मध्यस्थता कार्यवाही की बात करता है जिस पर

किसी विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजे जाने का अनुरोध प्राप्त होता है

प्रत्यर्थी, यह भी स्पष्ट करेगा कि ये कार्यवाहियाँ हैं, और कोई अन्य नहीं, जो धारा 26 के पहले भाग की विषय वस्तु हैं। इसके अलावा, चूंकि मध्यस्थता का आचरण

कार्यवाही काफी हद तक प्रक्रियात्मक प्रकृति की होती है, पक्ष भारत में क्रिकेट के लिए नियंत्रण बोर्ड v.

कोच्चि क्रिकेट पी. वी. टी. लिमिटेड। और ई. टी. सी.

यदि पक्ष सहमत हों तो संशोधन करें। दोनों ही मामलों में, विधायिका का इरादा समान रहता है, नकारात्मक रूप आवश्यक परंतुक के साथ ठीक वही बताता है जो सकारात्मक रूप से कहा जा सकता था। जाहिर है, "मध्यस्थता कार्यवाही" जो पहले भाग में सम्मिलित की गई है, दूसरे भाग में फिर से प्रकट नहीं हो सकती है, और इसलिए "मध्यस्थता कार्यवाही के संबंध में" अभिव्यक्ति केवल अदालत की कार्यवाही पर लागू होगी जो मध्यस्थता से संबंधित है। कार्यवाही। [पारस 23-25] [856-H; 857-A-H; 858-A-E; 589-A-C]

1.3 जब धारा 26 का पहला भाग यह स्पष्ट करता है कि

संशोधन अधिनियम से पहले शुरू की गई मध्यस्थता कार्यवाही संशोधन अधिनियम द्वारा शासित नहीं होगी, यह स्पष्ट है कि संशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद शुरू हुई मध्यस्थता कार्यवाही इसके द्वारा शासित होगी। पहले भाग की भाषा का नकारात्मक रूप केवल यह इंगित करने के लिए आवश्यक हो जाता है कि पक्ष अन्यथा संशोधन [2018] 2 एस. सी. आर. को लागू करने के लिए सहमत हो सकते हैं।

मध्यस्थता कार्यवाही के लिए अधिनियम संशोधन अधिनियम के लागू होने से पहले ही शुरू हो गया था। संशोधन अधिनियम की धारा 26 के दूसरे भाग में 1996 के अधिनियम की धारा 21 का कोई उल्लेख नहीं होना भी एक अच्छा कारण है कि मध्यस्थता क्यों की जाती है।

मध्यस्थता न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही पर दूसरे भाग में विचार नहीं किया गया है। यह नहीं कहा जा सकता है कि धारा 26 उन सभी अधिकारों को नष्ट करने के स्पष्ट इरादे को प्रकट करती है, जो निहित या अन्यथा हैं, जो 1996 के असंशोधित अधिनियम के तहत अर्जित हुए हैं। यह स्पष्ट है कि धारा 26 का उद्देश्य संशोधन अधिनियम को लागू करना है। संभावित रूप से, इसके प्रारंभ होने की तारीख से, मध्यस्थता कार्यवाही और उसके संबंध में अदालती कार्यवाही के लिए। [पारस 32-34] [866-C-D, E-F, H]

1.4 धारा 26 को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उन सभी मामलों में जहां धारा 34 याचिका दायर की जाती है।

धारा 34 द्वारा यथा संशोधित और धारा 36 द्वारा प्रतिस्थापित। लेकिन, संशोधन अधिनियम के प्रारंभ से पहले दायर की गई धारा 34 याचिकाओं का क्या होगा, जो पुराने अधिनियम की धारा 36 द्वारा शासित थीं? धारा 36, प्रतिस्थापित के रूप में, ऐसी याचिकाओं पर लागू होता है? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, यह तय किया जाना है कि धारा 36 में "प्रवर्तन" का क्या अर्थ है। एक ओर, यह तर्क दिया गया है कि "प्रवर्तन" और कुछ नहीं बल्कि "निष्पादन" है, और दूसरी ओर, यह तर्क दिया गया है कि "प्रवर्तन" और "निष्पादन" अलग-अलग अवधारणाएं हैं, "प्रवर्तन" मूल है और "निष्पादन" प्रकृति में प्रक्रियात्मक है। [पैरा 39] [871-ए-सी]

1.5 एक मध्यस्थता कार्यवाही धारा 21 के तहत शुरू होती है, जब तक कि विवाद उत्पन्न होने पर पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति न हो जाए।

उन पक्षों के बीच जिनके लिए विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने का अनुरोध प्रतिवादी द्वारा प्राप्त किया जाता है। मध्यस्थता कार्यवाही धारा 32 (1) के तहत अंतिम मध्यस्थता पुरस्कार के वितरण या धारा 32 (2) में उल्लिखित परिस्थितियों से समाप्त हो जाती है। माध्यस्थम न्यायाधिकरण का अधिदेश माध्यस्थम कार्यवाहियों की समाप्ति के साथ समाप्त हो जाता है, सिवाय धारा 33 की सीमा के भीतर निर्णय के सुधार और व्याख्या के, या कार्यवाही में प्रस्तुत किए गए दावों के रूप में एक अतिरिक्त मध्यस्थता पुरस्कार देने के, लेकिन निर्णय से हटा दिया गया। एक बार यह समाप्त हो जाने के बाद, उन मामलों में जहां एक मध्यस्थता पुरस्कार दिया जाता है, ऐसा पुरस्कार भारत में क्रिकेट के लिए नियंत्रण बोर्ड होगा।

कोच्चि क्रिकेट पी. वी. टी. लिमिटेड। और ई. टी. सी.

1996 के अधिनियम की धारा 35 के तहत उनके तहत दावा करने वाले पक्षों और व्यक्तियों पर अंतिम और बाध्यकारी। धारा 36 के तहत, संशोधन से पहले और बाद में, इस तरह के पुरस्कार को तदनुसार "लागू" किया जाएगा। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के प्रावधानों के साथ, उसी तरह जैसे कि यह न्यायालय की डिक्री हो। यह स्पष्ट है कि

1996 के अधिनियम की योजना 1940 के अधिनियम की योजना से भौतिक रूप से अलग है। 1940 के अधिनियम की धारा 17 के तहत, एक बार पुरस्कार दिए जाने के बाद, न्यायालय को पुरस्कार के अनुसार निर्णय सुनाना था, जिसके बाद एक डिक्री तैयार की जाएगी, जिसे तब सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत निष्पादित किया जा सकेगा। 1996 के अधिनियम की धारा 36 के तहत, न्यायालय को पुरस्कार के संदर्भ में निर्णय देने की आवश्यकता नहीं है, जिसके बाद एक डिक्री आती है, जो पक्षों के बीच निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति है। 1996 के अधिनियम की धारा 36 के तहत, पुरस्कार को एक डिक्री माना जाता है और इसे सी. पी. सी. के तहत लागू किया जाएगा। इसके अलावा, यह स्पष्ट है कि धारा 36 एक पुरस्कार के निष्पादन को संदर्भित करती है जैसे कि यह एक डिक्री थी, जो आदेश XXI और आदेश LXI, नियम 5 सी. पी. सी. के प्रावधानों को आकर्षित करती है और इसलिए, मध्यस्थता पुरस्कारों के निष्पादन से संबंधित एक प्रावधान होगा। इसके बाद से

यह स्पष्ट है कि डिक्री का निष्पादन प्रक्रिया के दायरे से संबंधित है, और यह कि निष्पादन का विरोध करने के लिए किसी निर्णय देनदार में कोई ठोस निहित अधिकार नहीं है, धारा 36, जैसा कि प्रतिस्थापित है, संशोधन अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को लंबित धारा 34 आवेदनों पर भी लागू होगी। [पैरा 40-42] [871-DH; 872-A-C; 874-F-G]

1.6 धारा 36, संशोधन अधिनियम से पहले, केवल डिक्री धारक के अधिकार पर एक बाधा है, जो पुरस्कार को निष्पादित नहीं कर सकता है।

उसके पक्ष में, जब तक कि इस धारा की शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि निर्णय देनदार में इस तरह के पुरस्कार के निष्पादन पर रोक लगाने का एक संबंधित अधिकार है। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 26 विशेष रूप से यह प्रावधान करती है कि न्यायालय मध्यस्थता कार्यवाही के संबंध में कार्यवाही, जो मध्यस्थता कार्यवाही से स्वतंत्र है, को मध्यस्थता कार्यवाही की निरंतरता के रूप में नहीं देखा जाएगा, बल्कि इसे अलग से देखा जाएगा। [पैरा 43] [874-एच; 875-ए, डी]

1.7 एक प्रक्रियात्मक प्रावधान होने के नाते, यह स्पष्ट है कि

धारा 36 का संदर्भ यह है कि "किया गया है" अभिव्यक्ति संशोधन अधिनियम के प्रारंभ से पहले दायर की गई धारा 34 याचिकाओं को संदर्भित करेगी और इस तथ्य का एक सूचक होगी कि [2018] 2 एस. सी. आर.

उक्त धारा वास्तव में अपने प्रतिस्थापित रूप में ऐसी याचिकाओं पर भी लागू होगी। बिना संशोधन की गई धारा 36 ने प्रत्येक मामले के तथ्यों को देखे बिना धारा 34 की प्रवर्तन प्रक्रिया समाप्त होने से पहले एक पुरस्कार के निष्पादन पर एक स्वचालित रोक (जो कई वर्षों तक चल सकती है) दी। इसके सरासर अन्याय के कारण, धारा 36 जैसा कि संशोधित किया गया है, इन पर लागू होनी चाहिएः

संशोधन अधिनियम के प्रारंभ से पहले दायर किए गए धारा 34 आवेदन। [पारस 45-46] [877-E-F; 879-E]

1.8 तत्काल मामले में, यह स्पष्ट है कि धारा 36 में "प्रवर्तन" पुरस्कार को एक डिक्री के रूप में मानना है और इसे सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत लागू करना है, जिसका अर्थ केवल यह होगा कि इस तरह के डिक्री को संकेतित तरीके से निष्पादित किया जाना है। इसके अलावा, किसी विशेष संदर्भ में किसी निर्णय में एक छिटपुट सजा को ऐसे संदर्भ से फाड़कर ऐसी स्थिति में लागू नहीं किया जा सकता है जहां यह तर्क दिया गया है कि प्रवर्तन और निष्पादन कम से कम 1996 के अधिनियम के उद्देश्य के लिए एक ही है। [पैरा 48] [880-बी-सी]

1.9 चूँकि संशोधन अधिनियम केवल संभावित है

अनुप्रयोग, कोई विसंगतियाँ संभवतः उत्पन्न नहीं हो सकती हैं। धारा 21 को उस तारीख के रूप में चुनना जिस पर संशोधन अधिनियम शुरू की गई मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू होगा, समान रूप से विभिन्न विसंगतियों को जन्म देने के लिए कहा जा सकता है। ऐसी ही एक विसंगति यह हो सकती है कि मध्यस्थता समझौता स्वयं वर्षों पहले किया गया हो और पक्षकारों के बीच विवाद उक्त मध्यस्थता समझौते के कई वर्षों बाद उत्पन्न हो सकते थे। अपीलार्थियों की ओर से तर्क यह है कि पक्षकार कानून के आधार पर आगे बढ़ने के हकदार हैं क्योंकि यह उस तारीख को मौजूद है जब उन्होंने विवादों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए एक समझौता किया था। यदि यह मामला होना था, तो संशोधन अधिनियम के आवेदन का प्रारंभिक बिंदु केवल तभी होगा जब प्रतिवादी को मध्यस्थता का नोटिस प्राप्त हो गया हो, जो मध्यस्थता समझौते में प्रवेश करने के कई साल बाद हो सकता है,

यह स्वयं इस विसंगति को जन्म देगा कि संशोधित कानून वर्षों बाद भी मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू होगा जब भी कोई विवाद उत्पन्न होता है और धारा 21 के तहत मध्यस्थता का नोटिस जारी किया जाता है। ऐसे मामले में, पक्षकार, वर्षों पहले एक मध्यस्थता समझौता करने के बाद, अच्छी तरह से पलट सकते हैं और कह सकते हैं कि उन्होंने कानून में परिवर्तन के लिए कभी सौदेबाजी नहीं की जो कई वर्षों बाद हुआ है, और कौन सा परिवर्तन उन पर लागू होगा, क्योंकि धारा 21 में निर्दिष्ट नोटिस, भारत में क्रिकेट के लिए नियंत्रण पत्र जारी किया गया है।

कोच्चि क्रिकेट पी. वी. टी. लिमिटेड। और ई. टी. सी.

संशोधन अधिनियम लागू होने के बाद। कट ऑफ डेट्स, अपने स्वभाव से, कुछ विसंगतियों को जन्म देने के लिए बाध्य हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि व्याख्या की प्रक्रिया को इतना विकृत किया जाना चाहिए कि सादे भाषा के साथ-साथ संशोधन कानून के उद्देश्य दोनों को नकार दिया जाए। इस आधार पर भी, यह नहीं देखा जा सकता है कि कैसे एक भावनात्मक तर्क को कानूनी तर्क में परिवर्तित किया जा सकता है, ताकि धारा 26 की व्याख्या इस तरह से की जा सके जो इसके विपरीत हो।

इसकी सरल भाषा और उद्देश्य दोनों। [पैरा 55] [885-सी-एच; 886-ए] 1.10 यदि सरकार प्रस्ताव करती है तो उसे उद्देश्यों और कारणों के विवरण को सबसे आगे रखने के लिए अच्छी तरह से सलाह दी जाएगी।

7 मार्च, 2018 की सरकार की प्रेस विज्ञप्ति की तर्ज पर धारा 87 को लागू करना। प्रस्तावित धारा 87 का तत्काल प्रभाव संशोधन अधिनियम द्वारा किए गए सभी महत्वपूर्ण संशोधनों, जैसे कि धारा 28 और विशेष रूप से धारा 34 में किए गए महत्वपूर्ण संशोधनों, जिनके परिणामस्वरूप मध्यस्थता कार्यवाही के निपटारे में देरी हुई है और मध्यस्थता मामलों में अदालतों का हस्तक्षेप बढ़ा है, जो अधिनियम के उद्देश्य को विफल कर देते हैं, और अब 23 अक्टूबर के बाद दायर की गई धारा 34 याचिकाओं पर लागू नहीं होंगे। 2015 , लेकिन उन मामलों में दायर धारा 34 याचिकाओं पर लागू होगा जहां मध्यस्थता की कार्यवाही 23 अक्टूबर, 2015 के बाद ही शुरू हुई है। इसका मतलब यह होगा कि धारा 34 की कार्यवाही के बावजूद, सभी मामलों में जो पाइपलाइन में हैं।

23 अक्टूबर, 2015 के बाद ही शुरू किया गया है, फिर भी पुराना कानून

यह लागू होता रहेगा जिसके परिणामस्वरूप न्यायालयों के बढ़ते हस्तक्षेप से मध्यस्थता कार्यवाही के निपटारे में देरी होगी, जो अंततः 1996 के अधिनियम के उद्देश्य को विफल कर देगा। 246 वें विधि आयोग की रिपोर्ट ने स्वयं कार्यवाही को दो भागों में विभाजित किया है, ताकि संशोधन अधिनियम 23 अक्टूबर, 2015 को या उसके बाद शुरू हुई अदालती कार्यवाही पर लागू हो सके। यह मूल योजना है जो

संशोधन अधिनियम की धारा 26 द्वारा पालन किया गया, जिसे अधिनियम के अधिनियमन के उद्देश्य के रूप में विस्थापित नहीं किया जाना चाहिए अन्यथा संशोधन अधिनियम पराजित हो जाएगा। [पैरा 57] [888-डी जी; 889-ए]

1.11 2017 की एसएलपी (सी) संख्या 8374-75 और 2017 की 8376-78 में बी. सी. सी. आई. के वकील ने प्रस्तुत किया कि विवादित निर्णय, जब

यह प्रत्यर्थी के पक्ष में बहुमत पुरस्कार से संबंधित था, पुरस्कार [2018] 2 एस. सी. आर. के एक हिस्से के निष्पादन का आदेश देने में पुरस्कार के पीछे चला गया।

प्रत्यर्थी के पक्ष में, जब बहुमत पुरस्कार ने विशेष रूप से दूसरे और तीसरे प्रतिवादियों को संयुक्त उद्यम को भुगतान करने का आदेश दिया

कंपनी, रु. 6,77,24,56,570/- की राशि। इसके बाद ही

न्यायाधिकरण ने उक्त राशि का फैसला सुनाया। इस प्रकार यह निवेदन है कि यह केवल डिक्री धारक है जो अपने पक्ष में ऐसी डिक्री को निष्पादित कर सकता है, और यह कि तत्काल मामले में यह डब्ल्यूडब्ल्यूआईएल है जो डिक्री धारक है और इसलिए, प्रत्यर्थी का चैंबर समन, पुरस्कार के इस हिस्से को निष्पादित करने के लिए, सीपीसी के साथ-साथ संहिता का अर्थ लगाने वाले कई निर्णयों के विपरीत है। दूसरी ओर, दूसरे पक्ष का निवेदन है कि मध्यस्थता कार्यवाही में दूसरे और तीसरे प्रतिवादी, डब्ल्यूडब्ल्यूआईएल के नियंत्रण और प्रबंधन में हैं, और गलत तरीके से बाहर कर दिए गए हैं। ऐसे नियंत्रण और प्रबंधन से उत्तरदाता। इसलिए डब्ल्यू. डब्ल्यू. आई. एल. इस आदेश को कभी भी लागू नहीं करेगा। ऐसा होने के कारण, न्याय के हित के लिए आवश्यक है कि उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि प्रतिवादी के अलावा कोई भी व्यक्ति पुरस्कार को लागू करने की स्थिति में नहीं होगा। [पारस 58-60]

889 - बी-सी; 890-सी, ई-जी]

1.12 भले ही उच्च न्यायालय कानून की सराहना में सख्ती से सही न हो, फिर भी उसने मामले के तथ्यों पर न्याय करने का प्रयास किया है। न्याय के हित में, इस मामले में विवादित फैसले में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। [पैरा 61] [890-एच; 891-डी]

मिल्कफूड लिमिटेड बनाम। जीएमसी आइसक्रीम प्रा. लि. लिमिटेड (2004) 7 एससीसी 288: [2004] 3 एस. सी. आर. 854; थिसेन स्टालुनियन बनाम। भारतीय इस्पात प्राधिकरण (1999) 9 एस. सी. सी. 334: [1999] 3 पूरक। एससीआर 461; एन. एस. नायक एंड संस बनाम गोवा राज्य (2003) 6 एससीसी 56: [2003] 1 पूरक। एससीआर 69-प्रतिष्ठित।

गरिकापति वीराया बनाम। एन. सुब्बैया चौधरी [1957] एससीआर

488 ; नेशनल एल्यूमीनियम कं. लिमिटेड बनाम प्रेस्टील &

फैब्रिकेशन (पी) लिमिटेड (2004) 1 एस. सी. सी. 540; ओ. एन. जी. सी. बनाम। सॉ पाइप्स लिमिटेड (2003) 5 एससीसी 705: [2003] 3 एससीआर 691; ओएनजीसी लिमिटेड बनाम। वेस्टर्न जेको इंटरनेशनल लिमिटेड (2014) 9 एस. सी. सी. 263 [2014] 12 एस. सी. आर. 1; सतीश कुमार बनाम। सुरिंदर कुमार [1969] 2 एससीआर 244; भगत राम शर्मा बनाम। भारत संघ (1988) (सप) एस. सी. सी. 30: [1988] एस. सी. आर. 1034; हितेंद्र विष्णु ठाकुर बनाम। महाराष्ट्र राज्य (1994) 4 एस. सी. सी. 602 [1994] 1 पूरक।

एस. सी. आर. 360; भारत में क्रिकेट के लिए परिवहन और नियंत्रण का आदेश v. कोची क्रिकेट पी. वी. टी. लिमिटेड। और ई. टी. सी.

डॉक श्रमिक संघ और अन्य बनाम नया ढोलेरा स्टीमशिप

लिमिटेड, बॉम्बे और अन्य, (1967) 1 एल. एल. जे. 434; कलावती

देवी हरलालका बनाम। सीआईटी (1967) 3 एससीआर 833; पंजाब राज्य

वी. मोहर सिंह, [1955] 1 एससीआर 893; टी. एस. बलिया बनाम टीएस.

हंसराज नाथूराम (1971) 1 एस. सी. सी. 721: [1971] 3 एससीआर 815 ; नरहरि शिवराम शेत नारवेकर बनाम। पन्नालाल

उमेदीराम (1976) 3 एस. सी. सी. 203: [1976] 3 एस. सी. आर. 149; यूनियन

भारत का वी. ए. एल. रालिया राम [1964] 3 एस. सी. आर. 164; एनबीसीसी

लिमिटेड वी. जे. जी. इंजीनियरिंग (पी) लिमिटेड (2010) 2 एस. सी. सी. 385:

[2010] 1 एस. सी. आर. 109; स्नेहदीप स्ट्रक्चर्स (पी) लिमिटेड बनाम।

महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास निगम।

लिमिटेड (2010) 3 एस. सी. सी. 34: [2010] 1 एस. सी. आर. 76; बॉम्बे बनाम। विष्णु रामचंद्र (1961) 2 एससीआर 26;

कामगार बनाम। फायरस्टोन टायर एंड रबर कंपनी ऑफ इंडिया (पी)

लिमिटेड (1973) 1 एस. सी. सी. 813: [1973] 3 एससीआर 587; हमीद

जोहारन बनाम। अब्दुल सलाम, (2001) 7 एससीसी 573: [2001] 1

पूरक। एससीआर 469; क्षेत्रीय प्रबंधक और एएनआर। वी. पवन

कुमार दुबे [1976] 3 एस. सी. आर. 540; अक्कयनिकर बनाम।

ए. ए. ए. कोटचदैनायडू और अन्र। (2004) 12 एससीसी 469:

[2004] 4 पूरक। एस. सी. आर. 638; आर. राजगोपाल रेड्डी बनाम। पद्मिनी चंद्रशेखरन (1995) 2 एससीसी 630: [1995] 1 एससीआर

715 ; फ्यूर्स्ट डे लॉसन लिमिटेड बनाम जिंदल एक्सपोर्ट्स लिमिटेड

(2001) 6 एससीसी 356: [2001] 3 एस. सी. आर. 479; सेडको विदेशी मुद्रा

अंतर्राष्ट्रीय ड्रिल। इंक. वी. सीआईटी (2005) 12 एससीसी 717:

[2005] 5 पूरक। एस. सी. आर. 303; बैंक ऑफ बड़ौदा बनाम। अनीता

नंदराजोग (2009) 9 एस. सी. सी. 462; ओ. एन. जी. सी. बनाम पश्चिमी गेको इंटरनेशनल लिमिटेड (2014) 9 एससीसी 263: [2014] 12 एससीआर 1;

एच. आर. डी. निगम (मार्कस ऑयल एंड केमिकल डिवीजन)

वी. गेल (इंडिया) लिमिटेड (पूर्व में भारतीय गैस प्राधिकरण)

लिमिटेड) 2017 एस. सी. सी. ऑनलाइन 1024-संदर्भित।

राज्य सरकार के लोक निर्माण मंत्री

कुवैत बनाम। सर फ्रेडरिक स्नो एंड पार्टनर्स (1984) 2 डब्ल्यू. एल. आर. 340; एल 'ऑफिस चेरिफियन डेस फॉस्फेट और

एक अन्य वी। यामाशिता-शिन्निहोन स्टीमशिप कंपनी लिमिटेड। (1994) 1 ए. सी. 486-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

9] 3 पूरक। एससीआर 461

प्रतिष्ठित

[2003] 1 पूरक। एससीआर 69

प्रतिष्ठित

पैरा 7

[2004] 3 एससीआर 854

पैरा 7

प्रतिष्ठित

[1957] एससीआर 488

संदर्भित किया गया है

पैरा 7

(2004) 1 एससीसी 540

पैरा 8

संदर्भित किया गया है

[2003] 3 एससीआर 691

पैरा 12

संदर्भित किया गया है

[2014] 12 एससीआर 1

पैरा 12

संदर्भित किया गया है

[1969] 2 एससीआर 244

संदर्भित किया गया है

पैरा 13

[1988] एससीआर 1034

संदर्भित किया गया है

पैरा 17

[1994] 1 पूरक। एससीआर 360

संदर्भित किया गया है

पैरा 25

(1967) 1 एलएलजे 434

संदर्भित किया गया है

पैरा 27

[1967] 3 एससीआर 833

पैरा 27

संदर्भित किया गया है

[1955] 1 एससीआर 893

संदर्भित किया गया है

पैरा 28

[1969] 3 एससीआर 65

पैरा 28

संदर्भित किया गया है

[1999] 3 पूरक। एससीआर 461

पैरा 38

संदर्भित किया गया।

[2003] 1 पूरक। एससीआर 69

संदर्भित किया गया है

पैरा 38

[2004] 3 एससीआर 854

संदर्भित किया गया है

पैरा 38

[1971] 3 एससीआर 815

संदर्भित किया गया है

पैरा 42

[1976] 3 एससीआर 149

पैरा 42

संदर्भित किया गया है

[1964] 3 एससीआर 164

संदर्भित किया गया है

पैरा 43

[2010] 1 एससीआर 109

पैरा 43

संदर्भित किया गया है

[2010] 1 एससीआर 76

पैरा 43

संदर्भित किया गया है

[1961] 2 एससीआर 26

पैरा 44

संदर्भित किया गया है

[1973] 3 एससीआर 587

संदर्भित किया गया है

पैरा 44

[2001] 1 पूरक। एससीआर 469

संदर्भित किया गया है

पैरा 48

[1976] 3 एससीआर 540

संदर्भित किया गया है

पैरा 48

[2004] 4 पूरक। एससीआर 638

पैरा 51

संदर्भित किया गया है

[1995] 1 एससीआर 715

संदर्भित किया गया है

पैरा 54

[2001] 3 एससीआर 479

संदर्भित किया गया है

पैरा 54

[2005] 5 पूरक। एस. सी. आर. 303

संदर्भित किया गया है

पैरा 54 भारत में क्रिकेट के लिए नियंत्रण बोर्ड v. कोच्चि क्रिकेट पी. वी. टी. लिमिटेड। और ई. टी. सी.

(2009) 9 एस. सी. सी. 462

संदर्भित किया गया है

पैरा 54

[2014] 12 एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा 54

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं। 2879

2880 2018 का

चैंबर में 14.06.2016 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2015 का समन सं. 1532,2015 का निष्पादन आवेदन (एल) सं. 2482, दिनांक 22.06.2015 और 2015 का चैंबर समन सं. 1530,2015 का निष्पादन आवेदन (एल) सं. 2481, दिनांक <आई. डी. 1, बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायिक न्यायालय में।

के साथ

सी. ए. एन. ओ. एस 2881 , 2882 , 2883-2884 , 2885-2886 , 2887-2889 , 2890

2891 और 2018 का 2892।

तुषार मेहता, एएसजी, सी. ए. सुंदरम, के. वी. विश्वनाथन, पी.

चिदंबरम, कपिल सिब्बल, डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, अरुण वर्मा, सुश्री विभा दत्ता मखीजा, नीरज किशन कौल, साजन पूवय्या, सीनियर।

अधिवक्ता। , सुश्री गौरी रसगोत्रा, इंद्रनील देशमुख, आदित्य मेहता, जॉर्ज वर्गीज, विनीत उन्नीकृष्णन, सुश्री निकिता शेनॉय, अर्जुन श्रीनिवास, सुश्री पूर्णिमा कृष्णा, श्रीमती बिहू शर्मा, अभिनव मुखर्जी, सिद्धांत बक्सी, सुश्री रोहिणी मूसा, अभिषेक गुप्ता, जफर इनायत, अपूर्व त्रिपाठी, कार्तिक यादव, सुश्री नेहा सरना, सुश्री ओल्गा लुमपेरेरा, अर्जुन श्रीनिवास, सुश्री सुमिता शर्मा, मैसर्स। सिरिल अमरचंद मंगलदास, रवि प्रकाश, सुश्री बानी दीक्षित, सुश्री इति अग्रवाल (मेसर्स के लिए)। डी. एस. के. लीगल), जहांगीर जेजीभॉय, विवेक ए. वाशी, सुश्री कनिका शर्मा गोयनका, हृषी

नार्वेकर, शाहेदा मद्रासवाला, उत्कर्ष श्रीवास्तव, मोहम्मद। निजाम पाशा, सुश्री आस्था धवन, आशीष जोशी, अली आर. उस्मानी, पराग एम. श्रॉफ, महेश अग्रवाल, विवेक जैन, ऋषभ पारिख, सुश्री सुमिता शर्मा, ई. सी. अग्रवाल, भारत संगल, सुश्री सनाया दादाचरजी, सुश्री विदुशी

गर्ग, सुश्री अनिंदिता डेका, सुश्री ईशा गुप्ता, मितुल शेलट, महेश अग्रवाल, सुश्री आस्था मेहता, राजेश कुमार, रोहित भट, रजत नायर, एम. के. मारोरिया, नकुल दीवान, प्रद्युम्न गोहिल, श्रीमती तरुणा सिंह गोहिल, आशीष काबरा, सुश्री नीलू मोहन, हिमांशु चौबे, जैन मकबूल, सुश्री अभिषेक मलिक, बृजेश कुमार, अनिरुद्ध कृष्णन, बालाजी श्रीनिवासन, कीर्तिकिरण मुरली, सुश्री सेला विशालाक्षी, सुश्री गोडा राघवन, सुश्री वैष्णवी।

सुब्रमण्यम, हितेश सिंघवी, सुश्री सृष्टि गोविल, मयंक क्षीरसागर, सुश्री प्रतीक्षा मिश्रा, अभिषेक भारती, संजय बंसल, जी. के. बंसल, डी. एन. रे, लोकेश के. चौधरी, सुश्री दिशा रे, दिलीप कुमार नायक, श्रीमती सुमिता रे, राजेंद्र बारोट, पी. रोहन ए. राजाध्यक्ष, सुश्री तन्वी [2018] 2 एस. सी. आर.

दत्तानी, समर कचवाहा, दीपक जोशी, सुश्री लिज़ मैथ्यू, प्रियदर्शी बनर्जी, प्रतिभा एस. खरोला, रंजीता रोहतगी, प्रतीक कुमार, सुश्री अनुष्का शारदा, सुक्षम चौहान, संजीव के. कपूर (मेसर्स के लिए)। खेतान एंड कंपनी), ब्रज किशोर मिश्रा, श्रीमती शाली भसीन, सुश्री नेहा सांगवान, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर. एफ. नरीमन, जे. 1. छुट्टी दे दी गई।

2. अपीलों का वर्तमान समूह मध्यस्थता और सुलह की धारा 26 के निर्माण के बारे में एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है (संशोधन) अधिनियम, 2015 (जिसे इसके बाद "संशोधन अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है), जो इस प्रकार हैः

" धारा 26. लंबित मध्यस्थता पर लागू नहीं होने वाला अधिनियम कार्यवाही।

इस अधिनियम में निहित कुछ भी इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले मूल अधिनियम की धारा 21 के प्रावधानों के अनुसार शुरू की गई मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू नहीं होगा, जब तक कि पक्ष अन्यथा सहमत न हों, लेकिन यह अधिनियम उस दिन या उसके बाद शुरू हुई मध्यस्थता कार्यवाही के संबंध में लागू होगा। इस
अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि।

3. इन अपीलों में उठाए गए प्रश्नों में केवल कुछ महत्वपूर्ण तिथियों का उल्लेख करने की आवश्यकता होती है। इनमें से चार अपीलों में, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बनाम। कोच्चि क्रिकेट प्रा. लिमिटेड और ओआरएस।

(2016 का एस. एल. पी. (सी) संख्या 19545-19546), अरूप देब और अन्य। वी. ग्लोबल एशिया वेंचर कंपनी (2016 की एसएलपी (सी) संख्या 20224), मेसर्स महाराष्ट्र एयरपोर्ट्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड बनाम। मेसर्स पी. बी. ए. इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (2017 का एसएलपी (सी) No.5021) और यूबी कॉटन प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड वी. जयश्री जिनिंग एंड स्पिनिंग प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड (2017 का एसएलपी (सी) No.33690), मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के तहत धारा 34 आवेदन

(इसके बाद "1996 अधिनियम" के रूप में संदर्भित) सभी 23 अक्टूबर, 2015 से संशोधन अधिनियम के लागू होने से पहले दायर किए गए थे। अन्य चार अपीलों में, धारा 34 के आवेदन संशोधन अधिनियम लागू होने के बाद दायर किए गए थे। जिस प्रश्न का हम सामना कर रहे हैं वह यह है कि क्या धारा 36, जिसे संशोधन अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, अपने संशोधित रूप में या अपने मूल रूप में विचाराधीन अपीलों पर लागू होगी।

4. पहली अपील के प्रासंगिक तथ्य, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड v. कोच्चि क्रिकेट प्रा. लिमिटेड और ओआरएस। (एसएलपी (सी)

भारत में क्रिकेट के लिए नियंत्रण बोर्ड v. कोच्चि क्रिकेट पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

नं. 19545-19546 2016), इस प्रकार हैं। 18 जनवरी, 2012 को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा 12 मार्च, 2011 के मताधिकार समझौते के तहत मध्यस्थता का आह्वान करते हुए एक नोटिस भेजा गया था। एक एकल मध्यस्थ नियुक्त किया गया था, जिसने 22 जून, 2015 को दो मध्यस्थता पुरस्कार दिए।

अपीलार्थी और प्रत्यर्थियों के पक्ष में। 16 सितंबर, 2015 को, अपीलकर्ताओं ने 1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत बॉम्बे उच्च न्यायालय में उपरोक्त मध्यस्थता पुरस्कारों को चुनौती देते हुए एक आवेदन दायर किया। 26 नवंबर, 2015 को, प्रत्यर्थियों ने दो पुरस्कारों के तहत दी गई राशि के भुगतान के लिए उच्च न्यायालय में दो निष्पादन आवेदन दायर किए, जो इस तरह के पुरस्कारों के प्रवर्तन के लिए लंबित थे। अपीलार्थियों द्वारा दिनांक 3 दिसंबर, 2015 को दायर दो चैंबर समनों द्वारा इनका विरोध किया गया था, जिसमें उपरोक्त निष्पादन आवेदनों को खारिज करने का अनुरोध किया गया था, जिसमें कहा गया था कि पुरानी धारा 36 लागू होगी, और इसलिए, धारा 34 की कार्यवाही का निर्णय होने तक पुरस्कारों पर स्वतः रोक होगी। चैंबर समन के समक्ष तर्क दिया गया था विद्वान एकल न्यायाधीश, जिन्होंने 2016 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 19545-19546 में आक्षेपित निर्णय द्वारा उपरोक्त चैंबर समन को खारिज कर दिया और पाया कि संशोधित धारा 36 इस मामले के तथ्यों में लागू होगी। इस तरह उपरोक्त फैसले की अपील हमारे सामने आई है।

अन्य अपीलों का संबंध है, अर्थात्, अरूप देब और अन्य। वी. ग्लोबल एशिया वेंचर कंपनी (2016 की एसएलपी (सी) No.20224) और मेसर्स महाराष्ट्र एयरपोर्ट्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड बनाम मेसर्स पी. बी. ए. इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (2017 का एस. एल. पी. (सी) No.5021), धारा 34 के आवेदन क्रमशः 27 अप्रैल, 2015 और 25 मई, 2015 को दायर किए गए थे और धारा 36 के तहत दायर उन मामलों में स्थगन याचिकाएं या निष्पादन आवेदन क्रमशः 16 दिसंबर, 2015 और 26 अक्टूबर, 2016 को दायर किए गए थे। यू. बी. कॉटन प्रा. लिमिटेड वी. जयश्री जिनिंग और

स्पिनिंग प्रा. लिमिटेड (2017 का एसएलपी (सी) No.33690), धारा 34

योगेश मेहरा बनाम। एनरकॉन जी. एम. बी. एच. अपने निदेशक (2017 का एस. एल. पी. (सी) Nos.8376-8378) के माध्यम से, अजय मेहरा बनाम। एनरकॉन जी. एम. बी. एच. इसके निदेशक (2017 का एसएलपी (सी) Nos.8374-8375) और अनुराधा भाटिया [2018] 2 एस. सी. आर.

अर्दी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लिमिटेड (एसएलपी (सी) Nos.9599-9600 का

धारा 34 के आवेदन 23 अक्टूबर, 2015 के बाद, पहली दो अपीलों में 7 दिसंबर, 2016 को, तीसरी अपील में 6 दिसंबर को और अंतिम अपील में 4 जनवरी, 2016 को दायर किए गए थे।

6. धारा 36, जो वर्तमान अपीलों में विवाद का आधार है,

यह नीचे दिया गया हैः

पूर्व-संशोधित प्रावधान

" धारा 36. प्रवर्तन।

किया गया है, इसे अस्वीकार कर दिया गया है, पुरस्कार लागू किया जाएगा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन

मानो यह न्यायालय की डिक्री हो। "

संशोधित प्रावधान

" धारा 36. प्रवर्तन।

(1) जहां धारा 34 के तहत मध्यस्थता पुरस्कार को रद्द करने के लिए आवेदन करने का समय समाप्त हो गया है, तो, उप-धारा (2) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, ऐसा पुरस्कार सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के प्रावधानों के अनुसार उसी तरह से लागू किया जाएगा जैसे कि यह अदालत की डिक्री थी।

(2) जहां धारा 34 के तहत न्यायालय में मध्यस्थता पुरस्कार को रद्द करने का आवेदन दायर किया गया है, वहां इस तरह का आवेदन दायर किया जाता है।

उस अधिनिर्णय को स्वयं अप्रवर्तनीय नहीं बनाएगा, जब तक कि न्यायालय उस उद्देश्य के लिए किए गए एक अलग आवेदन पर उप-धारा (3) के प्रावधानों के अनुसार उक्त मध्यस्थता अधिनिर्णय के संचालन पर रोक लगाने का आदेश नहीं देता है। (3) माध्यस्थम अधिनिर्णय के संचालन पर रोक लगाने के लिए उप-धारा (2) के तहत आवेदन दायर करने पर, न्यायालय निम्नलिखित के अधीन हो सकता हैः

ऐसी शर्तें जो वह उचित समझे, के संचालन पर रोक लगा दे

बशर्ते कि न्यायालय आवेदन पर विचार करते समय धन के भुगतान के लिए मध्यस्थता पुरस्कार के मामले में स्थगन के अनुदान के लिए, सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत धन डिक्री के स्थगन के अनुदान के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए,

1908 (5 1908 का) "। भारत में क्रिकेट के लिए नियंत्रण बोर्ड v. कोच्चि क्रिकेट पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

6. हमारे सामने पक्षकारों की ओर से व्यापक तर्क दिए गए हैं। श्री सी. ए. सुंदरम, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, अपीलार्थियों की ओर से आरोपपत्र में तर्क दिया गया है कि संशोधन अधिनियम की धारा 26 में दो भाग हैं। उनके अनुसार, दूसरा भाग, जो इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को या उसके बाद शुरू हुई मध्यस्थता कार्यवाही के संबंध में संशोधन अधिनियम को लागू करता है, प्रमुख भाग है, जबकि धारा 26 का पहला भाग परंतुक या अपवाद की प्रकृति का है। इसलिए, यह उनका निवेदन है कि जहां तक पहले भाग का संबंध है, सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 को आकर्षित किया जाएगा, जिस स्थिति में मध्यस्थता पुरस्कारों को चुनौती देने का निहित अधिकार पुराने अधिनियम के तहत उक्त धारा के आधार पर जारी रहेगा, जो इसलिए इन सभी मामलों के तथ्यों पर लागू होगा। इस उद्देश्य के लिए, उन्होंने थिसेन में कुछ मार्गों पर भरोसा किया।

स्टालुनियन वी। भारतीय इस्पात प्राधिकरण (1999) 9 एस. सी. सी. 334, एन. एस. नायक एंड संस बनाम। गोवा राज्य (2003) 6 एस. सी. सी. 56, और मिल्कफूड लिमिटेड बनाम जी. एम. सी. आइसक्रीम प्रा. लिमिटेड (2004) 7 एससीसी 288। इस तथ्य को देखते हुए कि निहित अधिकार संरक्षित है, संशोधन केवल संभावित प्रकृति का है, और इस उद्देश्य के लिए, उन्होंने बड़ी संख्या में निर्णयों का हवाला दिया है, जिसकी शुरुआत गरिकापति वीरया बनाम में प्रसिद्ध निर्णय से हुई है। एन. सुब्बैया चौधरी

कार्यवाहियों के साथ-साथ अदालती कार्यवाहियां जो ऐसी मध्यस्थता कार्यवाहियों से उत्पन्न होती हैं, जहां मध्यस्थता कार्यवाहियां स्वयं धारा 21 के अनुसार कार्यवाहियों के प्रारंभ होने से पहले शुरू हो गई हैं। संशोधन अधिनियम। इसके साथ ही, उच्च स्तरीय समिति के अनुसार, [2018] 2 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संशोधन अधिनियम केवल संशोधन अधिनियम के प्रारंभ पर या उसके बाद शुरू की गई मध्यस्थता कार्यवाही और ऐसी मध्यस्थता कार्यवाही से या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाली अदालती कार्यवाही पर लागू होगा। 8. श्री के. वी. विश्वनाथन, बी. सी. सी. आई. की ओर से एस. एल. पी. (सी) No.19546 से उत्पन्न सिविल अपील में उपस्थित होने वाले विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता

2016 , उन्होंने तर्क दिया है कि धारा 26 के दोनों भागों में "मध्यस्थता कार्यवाही" अभिव्यक्ति केवल एक मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाही को संदर्भित करती है और दोनों भागों में समान है। नतीजतन, यह स्पष्ट है कि यह केवल मध्यस्थता कार्यवाही है जो 23 अक्टूबर, 2015 के बाद शुरू हुई है और उसके संबंध में अदालती कार्यवाही, जो संशोधन अधिनियम द्वारा शासित होगी। यदि पुराने अधिनियम के तहत मध्यस्थता कार्यवाही शुरू हो गई है, तो उन कार्यवाही के साथ-साथ उसके संबंध में सभी अदालती कार्यवाही केवल पुराने अधिनियम द्वारा नियंत्रित की जाएगी। उनके अनुसार, सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6 को अदालत की कार्यवाही के रूप में आकर्षित किया जाएगा।

जब धारा 26 का पहला भाग लागू किया जाता है। उनके अनुसार, धारा 26 के उनके पढ़ने पर दूसरा भाग अनावश्यक नहीं होगा, क्योंकि पक्षों को दिया गया विकल्प केवल पहले भाग के आवेदन पर दिया जाएगा, न कि दूसरे के। विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार, थिसेन (उपरोक्त) में निर्णय वर्तमान मामले का निर्धारक है, क्योंकि धारा 34 के तहत एक पूरी तरह से नई चुनौती प्रक्रिया 2015 में किए गए संशोधनों द्वारा निर्धारित की गई है, कुछ हद तक 1996 के अधिनियम की मूल धारा 34 में निर्धारित चुनौती प्रक्रिया की तरह, जब मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की धारा 30 के विपरीत है। विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार, पार्टी की स्वायत्तता होनी चाहिए

सम्मानित, और यह स्थिति होने के कारण, जिन दलों ने इस उम्मीद में समझौते किए हैं कि पुरानी व्यवस्था लागू होगी, वे नहीं कर सकते

अचानक संशोधन अधिनियम के तहत एक पूरी तरह से अलग व्यवस्था के साथ लागू किया जाए। विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार, 1996 के अधिनियम की धारा 85 संशोधन अधिनियम की धारा 26 के समान है और इसलिए, थिसेन (उपरोक्त) में निर्णय सभी चार पर लागू होना चाहिए। विद्वान वरिष्ठ वकील ने हमारे सामने कई विसंगतियां भी रखी जो धारा 36 में संशोधन किए जाने पर उत्पन्न होंगी।

पूर्वव्यापी संचालन। उनके अनुसार, 1996 के अधिनियम की धारा 34 और 37 में पाई जाने वाली व्यापक अपीलीय/पर्यवेक्षी प्रक्रिया द्वारा शासित होने का अधिकार एक निहित अधिकार होगा, जिसके परिणामस्वरूप संशोधन अधिनियम लागू नहीं होगा। जहाँ तक धारा 36 का संबंध है, विद्वान

वरिष्ठ वकील ने प्रवर्तनीयता और निष्पादन के बीच के अंतर पर विस्तृत प्रस्तुतियाँ दीं, और कहा कि जहां पहला मूल अधिकारों से संबंधित था, वहीं दूसरा प्रक्रियात्मक अधिकारों से संबंधित था।

समान रूप से, भारत में क्रिकेट के लिए नियंत्रण बोर्ड v. कोच्चि क्रिकेट पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

संशोधित धारा 36 (2) में "निहित" अभिव्यक्ति विशुद्ध रूप से प्रासंगिक है और "है" अभिव्यक्ति के समतुल्य है। इसके लिए उन्होंने कुछ निर्णयों का हवाला दिया है जिनका हम उचित समय पर उल्लेख करेंगे। विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार, नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड बनाम में निर्णय। प्रेस्टील एंड फैब्रिकेशंस (पी) लिमिटेड (2004) 1 एस. सी. सी. 540, जिसने विधायिका को धारा 36 में संशोधन करने के लिए प्रोत्साहित किया, इस मामले को आगे नहीं ले जा सकता है, क्योंकि उक्त निर्णय को यह कहने के लिए नहीं पढ़ा जा सकता है कि धारा 36 को पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।

9. श्री तुषार मेहता, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल

2017 के एसएलपी (सी) No.5021 में उपस्थित होते हुए, उन्होंने अपने पूर्ववर्ती के तर्कों का समर्थन किया और कहा कि धारा 36 के पूर्वव्यापी संचालन को देखते हुए, विभिन्न विसंगतियां उत्पन्न होंगी, जिससे कठिनाई और असुविधा होगी और इसलिए, हमें पूर्वव्यापी नहीं देना चाहिए।

उपरोक्त प्रावधान का संचालन।

10. 2016 के एसएलपी (सी) No.20224 में उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अरविंद दातार ने यह कहते हुए श्री विश्वनाथन का समर्थन किया कि संशोधन अधिनियम द्वारा किए गए संशोधन बहुत दूरगामी थे और उन्होंने मध्यस्थता पुरस्कारों को चुनौती देने के आधार को बदल दिया। जहां तक इस तरह के पुरस्कारों का संबंध है, खेल के नियमों को पूर्वव्यापी रूप से बदलना उचित नहीं होगा। विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार, 1996 के अधिनियम की धारा 85 में "के संबंध में" अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया था, जैसा कि थिसेन (उपरोक्त) में समझाया गया था, क्योंकि धारा 85 ने तीन अधिनियमों को एक साथ निरस्त कर दिया था, न कि इसलिए कि यह अदालत की कार्यवाही को संदर्भित करने का प्रयास करता था। उन्होंने दोहराया कि स्पष्टता के हित में, न्यायमूर्ति बी. एन. श्रीकृष्णा की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट, जिसका उल्लेख श्री सुंदरम ने किया था, सही स्थिति थी ताकि यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया जा सके कि संशोधन से पहले मध्यस्थता की कार्यवाही शुरू हो गई थी। अधिनियम, ऐसी "कार्यवाहियां", जिसमें उसके संबंध में सभी अदालती कार्यवाहियां शामिल होंगी, पुराने अधिनियम द्वारा शासित होंगी, और संशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद शुरू की गई मध्यस्थता कार्यवाहियां, संबंधित अदालत की कार्यवाहियों के साथ, सभी संशोधन अधिनियम द्वारा शासित होंगी।

11. 2016 के एसएलपी (सी) No.20224 में हस्तक्षेपकर्ता की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता श्री अनिरुद्ध कृष्णन ने 246 वें विधि आयोग की रिपोर्ट में निहित धारा 85 ए का उल्लेख किया, जो उनके अनुसार दी गई थी।

धारा 26 में इसका पालन नहीं किया गया था। उन्होंने कानून मंत्री के भाषण का उल्लेख करते हुए कहा कि संशोधन को संभावित प्रभाव दिया जाना चाहिए और आगे तर्क दिया कि "[2018] 2 एस. सी. आर. के संबंध में" अभिव्यक्ति का कारण है।

धारा 26 के दूसरे भाग में इसका उपयोग इसलिए किया गया था क्योंकि इस बात पर अंतर किया गया था कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण का स्थान भारत में है या भारत के बाहर। विद्वान वकील के अनुसार, चूंकि 1996 के अधिनियम के भाग II में भी संशोधन किए गए हैं, यदि सीट आधारित वर्गीकरण देखा जाता है, तो "के संबंध में" अभिव्यक्ति अदालत में लागू नहीं होगी। कार्यवाहियां सरल होती हैं, लेकिन मध्यस्थता न्यायाधिकरणों के लिए, जिनका स्थान भारत के बाहर है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि धारा 34 और 36 एक योजना का हिस्सा हैं और जहां तक मध्यस्थता कार्यवाही का संबंध है, "अपील पैकेज" हैं और इसलिए, मध्यस्थता कार्यवाही के साथ जाना चाहिए। यह स्थिति होने के कारण, यह स्पष्ट है कि संशोधन से पहले की स्थिति मध्यस्थता के मामले में लागू होगी जो संशोधन से पहले शुरू हुई थी।

अधिनियम लागू हुआ।

12. दूसरे पक्ष की ओर से अग्रणी तर्क, श्री नीरज कौल ने सीखा

एसएलपी (सी) संख्या में उपस्थित वरिष्ठ वकील। 19545-19546 2016 से,

इस बात पर जोर दिया कि धारा 26 के पहले भाग में अदालती कार्यवाही का उल्लेख नहीं है। विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार, यह बहुत महत्वपूर्ण था और इसलिए, यह दर्शाता है कि संशोधन अधिनियम पूर्वव्यापी रूप से न्यायालय की कार्यवाही पर लागू होगा, जैसा कि मध्यस्थता कार्यवाही से अलग है। के सही निर्माण पर

विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार, धारा 26 का दूसरा भाग मध्यस्थता कार्यवाही के साथ-साथ दोनों को अपने दायरे में लेता है।

उन्होंने थिसेन (उपर्युक्त) में अनुच्छेद 23 पर बहुत अधिक भरोसा किया और प्रस्तुत किया कि, इसलिए, धारा 26 के सही निर्माण पर, धारा 34 की कार्यवाही जो संशोधन अधिनियम के लागू होने से पहले शुरू हुई हैं, संशोधन अधिनियम द्वारा शासित होगी, और मध्यस्थता कार्यवाही जो संशोधन अधिनियम के बाद शुरू हुई, उसके संबंध में किए गए धारा 34 आवेदनों के साथ, तब संशोधन अधिनियम की धारा 26 के दूसरे भाग के तहत शासित होगी। विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार, कोई निहित अधिकार मौजूद नहीं है क्योंकि धारा 34 की कार्यवाही अपीलीय कार्यवाही नहीं है। किसी भी मामले में, धारा 26 एक विपरीत इरादे को दर्शाती है और यह मानते हुए कि एक निहित अधिकार शामिल है, ऐसे किसी भी अधिकार को छीन लेगी। उन्होंने श्री के तर्कों का विरोध किया विश्वनाथन, विशेष रूप से, यह कहते हुए कि 1996 के अधिनियम का मूल उद्देश्य न्यायालय के हस्तक्षेप को कम करना और मध्यस्थता पुरस्कारों की चुनौती के आधार को प्रतिबंधित करना था, और ओ. एन. जी. सी. बनाम में इस न्यायालय के निर्णयों के रूप में। सॉ पाइप्स लिमिटेड (2003) 5 एस. सी. सी. 705 और ओ. एन. जी. सी. लिमिटेड।

भारत में क्रिकेट के लिए नियंत्रण बोर्ड v. कोच्चि क्रिकेट पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

वी. वेस्टर्न गेको इंटरनेशनल लिमिटेड (2014) 9 एस. सी. सी. 263 1996 के अधिनियम के मूल इरादे के विपरीत गया था, संशोधन अधिनियम ने केवल 1996 के अधिनियम को उसके मूल इरादे के अनुसार, उपरोक्त निर्णयों को रद्द करके वापस लाया था। उन्होंने कहा कि संशोधन अधिनियम द्वारा पेटेंट अवैधता का जो आधार जोड़ा गया था, वह भी उक्त आधार से अलग है जैसा कि पहले के मामले के कानून में समझा गया था, और इसे केवल घरेलू आधार पर जोड़ा गया है न कि अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के लिए। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तब तर्क दिया कि इस तथ्य को देखते हुए कि इस देश में अदालती कार्यवाही में अत्यधिक लंबा समय लगता है, धारा 36 में संशोधन का पूरा उद्देश्य उलझा दिया जाएगा, यदि धारा 36 केवल उन अदालती कार्यवाही पर लागू होती है जो मध्यस्थता कार्यवाही के परिणामस्वरूप होती हैं, जो मध्यस्थता कार्यवाही के शुरू होने पर और उसके बाद शुरू हुई हैं।

संशोधन अधिनियम। लोक निर्माण मंत्री के रूप में रिपोर्ट किए गए हाउस ऑफ लॉर्ड्स के एक फैसले से स्पष्ट है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है

कुवैत राज्य सरकार बनाम। सर फ्रेडरिक स्नो एंड पार्टनर्स, (1984) 2 डब्ल्यू. एल. आर. 340, जिस पर दृढ़ता से भरोसा किया जाता है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने यह भी कहा कि निष्पादन और प्रवर्तन के बीच कोई अंतर नहीं है, और धारा 36 के तहत "प्रवर्तन" एक पुरस्कार के निष्पादन के अलावा और कुछ नहीं है, जैसे कि यह सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत एक डिक्री थी। उन्होंने आगे तर्क दिया कि यह अच्छी तरह से तय है कि निष्पादन कार्यवाही प्रक्रियात्मक प्रकृति की है और पूर्वव्यापी होगी और इसलिए, प्रतिस्थापित धारा 36 उन मामलों में भी लागू होगी जहां संशोधन अधिनियम के प्रारंभ से पहले धारा 34 का आवेदन किया गया है। एक अन्य तर्क यह था कि धारा 36 (2) में "निहित" अभिव्यक्ति, जैसा कि संशोधित किया गया है, किसी भी मामले में, धारा 34 की कार्यवाही को संदर्भित करेगी जो पहले ही दायर की जा चुकी है, यहां तक कि पूर्व में भी।

संशोधन, और इस उद्देश्य के लिए, उन्होंने कुछ निर्णयों का उल्लेख किया।

13. 2017 के एसएलपी (सी) Nos.8372-8373 में प्रत्यर्थियों की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री पी. चिदंबरम ने धारा 26 में दिखाई देने वाले "लेकिन" शब्द पर जोर दिया, जो न केवल धारा 36 के पहले भाग को दूसरे भाग से अलग करता है, बल्कि यह भी स्पष्ट करता है कि दोनों भाग दो अलग-अलग स्थितियों पर लागू होते हैं। विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार, पहला भाग मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू होगा। स्वयं अर्थात धारा 21 के चरण से लेकर धारा 32 के चरण तक

1996 अधिनियम, जबकि दूसरे भाग में धारा 21 चरण से शुरू होने वाली सभी कार्यवाहियां और उसके संबंध में सभी अदालती कार्यवाहियां शामिल होंगी। श्री चिदम्बरम के अनुसार, धारा 36, अपने मूल रूप में, डिक्री धारक के अधिकार पर केवल एक अवरोध है। उन्होंने तर्क दिया कि निर्णय देनदार में अनिश्चित काल तक [2018] 2 एस. सी. आर. में देरी करने का कोई संबंधित निहित अधिकार नहीं है।

कार्यवाही और इस उद्देश्य के लिए, उन्होंने कई निर्णयों का हवाला दिया। विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार, धारा 36 की कार्यवाही पूरी तरह से

धारा 34 की कार्यवाही से स्वतंत्र और जिस क्षण धारा 36 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत किसी पुरस्कार के प्रवर्तनीय होने की बात करती है जैसे कि यह एक डिक्री हो, प्रवर्तनीयता का अर्थ केवल निष्पादन है और कुछ और नहीं। इसके बाद उन्होंने सतीश कुमार बनाम का उल्लेख किया। सुरिंदर कुमार, (1969) 2 एस. सी. आर. 244 यह दिखाने के लिए कि एक पुरस्कार केवल अपशिष्ट कागज नहीं है जब इसे वितरित किया जाता है और इससे पहले कि यह एक डिक्री बन जाए, क्योंकि यह पक्षों के अधिकारों का फैसला करता है। और इसलिए, पार्टियों पर अंतिम और बाध्यकारी होने के कारण, पार्टियों के बीच दिया गया एक निर्णय है, जो कुछ शर्तों पर निष्पादन योग्य हो सकता है।

दुनिया में राष्ट्रों के बीच प्रवर्तन। इस कारण से, विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार, यह स्पष्ट है कि धारा 26 की व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए जो संशोधन अधिनियम के उद्देश्य को आगे बढ़ाए और यह कि ऐसा होने के कारण, यह स्पष्ट है कि धारा 26 को एक ऐसे प्रावधान के रूप में पढ़ा जाना चाहिए जो बिल्कुल भी बचत प्रावधान नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्रावधान है जो 1996 के अधिनियम में अपीलार्थियों में निहित सभी अधिकारों, यदि कोई हो, को नष्ट कर देता है। इस उद्देश्य के लिए, उन्होंने कुछ निर्णयों का हवाला दिया जिन्हें हमारे निर्णय के दौरान संदर्भित किया जाएगा। 15. 2017 के एस. एल. पी. (सी) Nos.8376-8378 में प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील डॉ. ए. एम. सिंघवी ने कहा है कि धारा 26 का सही निर्माण उन चरम सीमाओं के बीच का मध्यवर्ती होगा जो अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा हमारे सामने प्रचार किया गया है। उनके अनुसार, इस बात पर जोर देना महत्वपूर्ण है कि पहला भाग केवल मध्यस्थता न्यायाधिकरण के समक्ष मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू होता है और दूसरा भाग केवल अदालत पर लागू होगा।

उसके संबंध में कार्यवाही। यह दो चीजों से स्पष्ट हो जाता है; एक, अभिव्यक्ति "से" के विपरीत पहले भाग में दिखाई देती है

दूसरे भाग में "के संबंध में" अभिव्यक्ति; और, दो, 1996 के अधिनियम की धारा 21 की पहले भाग में उपस्थिति और धारा 26 के दूसरे भाग में इसकी अनुपस्थिति। उनके अनुसार, यह धारा 26 की सही व्याख्या होगी, जिसके परिणामस्वरूप कोई विसंगतियां नहीं होंगी, भारत में क्रिकेट के लिए नियंत्रण बोर्ड v.

क्योंकि यह स्पष्ट है कि मध्यस्थता कार्यवाही शुरू करने की तारीख धारा 21 और धारा 21 के संदर्भ में तय की जाएगी।

अदालती कार्यवाही का प्रारंभ उस तारीख के संदर्भ में तय किया जाएगा जिस दिन अदालत की कार्यवाही दायर की जाती है, और यह केवल मध्यस्थता कार्यवाही और अदालती कार्यवाही है जो अदालत के आदेश के बाद दायर की जाती है।

संशोधन अधिनियम का प्रारंभ जो इस प्रकार शामिल किया जाएगा।

16. 2016 के एसएलपी (सी) No.20224 में प्रत्यर्थी की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता श्री नकुल दीवान ने तर्क दिया है कि धारा 26 का पहला भाग धारा 21 के प्रावधानों के अनुसार शुरू की गई "मध्यस्थता कार्यवाही" की बात करता है। धारा 26 के दूसरे भाग में "द" शब्द के साथ-साथ धारा 21 को भी हटा दिया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह केवल मध्यस्थ के समक्ष मध्यस्थता कार्यवाही है जिसे धारा 26 के पहले भाग में संदर्भित किया गया है, जैसा कि धारा 26 के दूसरे भाग में संदर्भित अदालती कार्यवाही के विपरीत है, जहां "मध्यस्थता कार्यवाही के संबंध में" अभिव्यक्ति में "द" शब्द नहीं है। उनके अनुसार, इस तरह की व्याख्या पार्टी की स्वायत्तता के सिद्धांत के विपरीत नहीं है, जो कभी भी किसी भी पक्ष को बिना किसी सीमा के प्रदान नहीं की जाती है, 1996 के अधिनियम में गैर-अपमानजनक प्रावधान हैं जिनसे पक्ष, यहां तक कि

समझौता, अवमूल्यन नहीं कर सकता। विद्वान वकील के अनुसार, 1996 के अधिनियम के तहत प्रत्येक न्यायालय की कार्यवाही एक अलग और विशिष्ट कार्यवाही है और यह केवल ऐसी कार्यवाही की तारीख है जो यह निर्धारित करने के उद्देश्य से प्रासंगिक है कि क्या संशोधन अधिनियम लागू होता है। विद्वान वकील के अनुसार, किसी पुरस्कार के निष्पादन का विरोध करने का कोई निहित अधिकार केवल इसलिए नहीं है क्योंकि पुरस्कार को रद्द करने के लिए आवेदन 1996 अधिनियम की धारा 34 के तहत लंबित है। यहां तक कि इस धारणा पर भी कि ऐसा निहित अधिकार है, संशोधन अधिनियम की धारा 26 के स्पष्ट विधायी इरादे को देखते हुए इसे छीन लिया जाता है। अंत में, उन्होंने

तर्क दिया कि तथ्यों पर, पक्षों के बीच समझौते के खंड 22.2 (5) ने स्वचालित रूप से 1996 के अधिनियम में सभी संशोधन किए और यह कि,

इसलिए, धारा 36 अपने संशोधित रूप में इस मामले के तथ्यों पर अनिवार्य रूप से लागू होगी।

17. संशोधन अधिनियम की धारा 26 की पहुंच पर व्यापक और व्यापक तर्कों को सुनने के बाद, पहले ऐसे प्रावधान की व्याख्या के सिद्धांतों को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण होगा। कि एक संशोधन अधिनियम में ऐसे प्रावधान शामिल हैं जिन्हें निरस्त किया जा सकता है या तो पूरी तरह से या आंशिक रूप से और यह कि सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6 के प्रावधान आम तौर पर ऐसे संशोधन अधिनियमों पर लागू होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है-भगत राम शर्मा बनाम देखें। भारत संघ, 1988 (सप)

0 40-41 पर। यह कि ऐसा प्रावधान निरसन के समान है और बचत स्पष्ट होगी जब इसे 1996 के अधिनियम के संशोधन डी धारा 85 की धारा 27 के साथ पढ़ा जाएगा, जो नीचे दिए गए हैं:

" धारा 27. रद्द करें और बचत करें। (1) मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अध्यादेश,

2015 , एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

(2) इस तरह के निरसन के बावजूद, मूल अधिनियम के तहत कुछ भी किया गया या कोई कार्रवाई की गई, जैसा कि उक्त अध्यादेश द्वारा संशोधित किया गया है,

के तहत किया गया या लिया गया माना जाएगा द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के संबंधित प्रावधान

यह अधिनियम। XXX XXX XXX

धारा 85। रद्द करें और बचत करें।

(1) मध्यस्थता (प्रोटोकॉल और सम्मेलन) अधिनियम, 1937 (1937 का 6), मध्यस्थता अधिनियम, 1940 (1940 का 10) और विदेशी पुरस्कार (मान्यता और प्रवर्तन) अधिनियम, 1961 (1961 का 45)

एतद्द्वारा निरस्त किए जाते हैं। (2) इस तरह के निरसन के बावजूद,

(ख) उक्त अधिनियमों के तहत बनाए गए सभी नियम और प्रकाशित अधिसूचनाएं, जिस हद तक वे प्रतिकूल नहीं हैं, इस अधिनियम को क्रमशः बनाया या जारी किया गया माना जाए

इस अधिनियम के तहत "।

18. इस बिंदु पर, 246 वीं विधि जारी करने की रिपोर्ट का उल्लेख करना शिक्षाप्रद है जिसके कारण संशोधन अधिनियम बना। यह रिपोर्ट,

यह अगस्त, 2014 में सरकार को सौंप दिया गया था कि वह 1996 के अधिनियम की धारा 36 को बदलने का प्रस्ताव क्यों कर रही है:

" के प्रवर्तन का स्वचालित स्तर चुनौती का पुरस्कार प्रदान करना

43. अधिनियम की धारा 36 यह स्पष्ट करती है कि एक मध्यस्थ पुरस्कार दायर करने के समय के बाद ही एक डिक्री के रूप में लागू किया जा सकता है।

धारा 34 के तहत याचिका की अवधि समाप्त हो गई है या धारा 34 याचिका के बाद भारत में क्रिकेट के लिए नियंत्रण का अनुच्छेद v.

कोच्चि क्रिकेट पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

बर्खास्त कर दिया गया है। दूसरे शब्दों में, किसी अनुभाग की विचाराधीनता

34 याचिका एक मध्यस्थ पुरस्कार को अप्रवर्तनीय बनाती है। द. उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड बनाम प्रेस्टील &

फैब्रिकेशन, (2004) 1 एस. सी. सी. 540 ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 36 के आधार पर, हारने वाले पक्ष को न्यायालय में पुरस्कार के किसी भी हिस्से को जमा करने का निर्देश देने वाला आदेश पारित करना अनुज्ञेय नहीं था। जबकि यह निर्णय

धारा 42 के तहत ऐसा आदेश पारित करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के संबंध में था, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड v. न्यासी मंडल, पोर्ट ऑफ मुंबई 2014 (1) अरब एल. आर. 512 (बी. ओ. एम.) ने अधिनियम की धारा 9 के तहत अदालत की शक्तियों पर भी यही सिद्धांत लागू किया। इसलिए, धारा 34 याचिका को स्वीकार करने से प्रक्रिया लगभग ठप हो जाती है।

विजेता पार्टी/पुरस्कार लेनदार के लिए।

44. सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल एल्यूमीनियम में आलोचना की है।

वर्तमान स्थिति निम्नलिखित शब्दों में हैः " हालाँकि, हम देखते हैं कि पुरस्कार के निष्पादन का यह स्वतः निलंबन, जिस क्षण उक्त पुरस्कार को चुनौती देने वाला एक आवेदन अधिनियम की धारा 34 के तहत दायर किया जाता है, अदालत में पक्षकारों को शर्तों पर रखने का कोई विवेकाधिकार नहीं छोड़ता है, हमारी राय में,

वैकल्पिक विवाद समाधान के उद्देश्य को पराजित करता है प्रणाली जिससे मध्यस्थता संबंधित है। हम पाते हैं कि एक

संबंधित मंत्रालय द्वारा की गई सिफारिश

संसद धारा 34 को सशक्त बनाने के प्रस्ताव के साथ संशोधित करेगी

दीवानी अदालत ऐसे मामलों में उपयुक्त अंतरिम आदेश पारित करेगी। इस तरह के संशोधन की तात्कालिकता को देखते हुए, हम ईमानदारी से आशा करते हैं कि संबंधित अधिकारियों द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

कानून में आवश्यक परिवर्तन लाने के लिए जल्द से जल्द। 45. इस शरारत को सुधारने के लिए आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 36 में कुछ संशोधनों का सुझाव दिया गया है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि केवल धारा 34 के तहत आवेदन करने पर पुरस्कार अप्रवर्तनीय नहीं हो जाएगा।

रिपोर्ट द्वारा इस प्रकार वर्णित अस्थायी प्रावधान का संबंध है,

पोर्ट ने कहाः

" 76. आयोग ने लंबित मध्यस्थता/कार्यवाहियों के संबंध में प्रत्येक संशोधन के संचालन के दायरे को स्पष्ट करने के लिए अधिनियम में नई धारा 85 ए डालने का प्रस्ताव किया है। एक सामान्य नियम के रूप में, संशोधन संभावित रूप से काम करेंगे, [2018] 2 एस. सी. आर.

धारा 85-क या अन्यथा में निर्दिष्ट कुछ मामलों को छोड़कर संशोधन में ही निर्धारित किया गया है "।

रिपोर्ट ने तब धारा 36 को निम्नानुसार संशोधित कियाः

" धारा 36 का संशोधन

19. धारा 36 में, (i) पहले उप-धारा (1) के रूप में संख्या जोड़ें।

"कहाँ समय" शब्द और "धारा 34" शब्दों के बाद

समय समाप्त हो गया है, "शब्दों को हटा दें" या ऐसा आवेदन किया गया है

बनाया गया है, इसे अस्वीकार कर दिया गया है "और शब्द जोड़ें" फिर के अधीन

एकर उप-धारा (2) क प्रावधान ",

((2) जहां धारा 34 के तहत न्यायालय में मध्यस्थता पुरस्कार को दरकिनार करने के लिए आवेदन दायर किया गया है,

इस तरह के आवेदन को दाखिल करने से स्वयं पुरस्कार नहीं मिलेगा।

अप्रवर्तनीय, जब तक कि इसके लिए एक अलग आवेदन नहीं किया जाता है

उद्देश्य, न्यायालय में पुरस्कार के संचालन पर रोक लगाता है

इसकी उप-धारा (3) के प्रावधानों के अनुसार;

न्यायालय, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो वह उचित समझे, अनुदान दे सकता है। में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए पुरस्कार के संचालन पर रोक

लिखना "।

रोक का अनुदान, धन के लिए एक पुरस्कार के मामले में होगा धन संबंधी आदेशों पर रोक लगाने के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत।

[नोटः यह संशोधन यह सुनिश्चित करने के लिए है कि केवल एक

धारा 34 के तहत आवेदन स्वचालित रूप से कार्य नहीं करता है। पुरस्कार के प्रवर्तन पर बने रहें। सुप्रीम कोर्ट में

नेशनल एल्यूमीनियम कं. लिमिटेड बनाम प्रिस्टील और फैब्रिकेशन (पी)

लिमिटेड और ए. एन. आर., (2004) 1 एस. सी. सी. 540, अनुशंसा करते हैं कि

संशोधन समय की आवश्यकता है।] " 1.

वास्तव में, संशोधित धारा 36 केवल टीआरएएल मॉडल कानून के अनुच्छेद 36 (2) को वापस लाती है, जो न्यूयॉर्क कन्वेंशन के अनुच्छेद 6 पर आधारित है, और

यह नीचे लिखा है:

उचित, अपने निर्णय को स्थगित कर सकता है और इसके आवेदन पर भी पुरस्कार की मान्यता या प्रवर्तन का दावा करने वाला पक्ष दूसरे पक्ष को उचित सुरक्षा प्रदान करने का आदेश देता है। भारत में क्रिकेट के लिए नियंत्रण का कला v.

कोच्चि क्रिकेट पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

इसके बाद अनुशासनात्मक प्रावधान धारा 85 ए को निम्नानुसार निर्धारित किया गयाः

" धारा 85 ए का समावेशन अस्थायी प्रावधानों पर एक नई धारा धारा 85 ए लाई गई है।

शामिल किया गया।

अस्थायी प्रावधान। - (1) जब तक कि अन्यथा प्रदान नहीं किया गया है मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2014, तत्काल अधिनियम (जैसा कि संशोधित किया गया है) के प्रावधान लागू होने की संभावना है।

और केवल नए मध्यस्थताओं और नए आवेदनों पर लागू होगा,

निम्नलिखित स्थितियों को छोड़कर - (क) धारा 6-क के प्रावधान सभी लंबित कार्यवाहियों और मध्यस्थताओं पर लागू होंगे। व्याख्याः यह स्पष्ट किया जाता है कि जहां अदालत/न्यायाधिकरण द्वारा लागत के मुद्दे पर पहले ही निर्णय लिया जा चुका है,

इसे उस हद तक नहीं खोला जाएगा।

न्यायालय/न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया है। (ग) धारा 24 के दूसरे परंतुक के प्रावधान लागू होंगे -

सभी लंबित मध्यस्थताएँ।

(2) तत्काल धारा के प्रयोजनों के लिए, (क) "नए मध्यस्थता" से ऐसे मध्यस्थता अभिप्रेत हैं जहां मध्यस्थता न्यायाधिकरण की नियुक्ति के लिए कोई अनुरोध नहीं किया गया है; या मध्यस्थता न्यायाधिकरण की नियुक्ति के लिए आवेदन; या मध्यस्थता न्यायाधिकरण की नियुक्ति, मध्यस्थता के प्रवर्तन की तारीख से पहले और

सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2014।

मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2014। [नोटः यह संशोधन संचालन के दायरे को स्पष्ट करने के लिए है

लंबित के संबंध में प्रस्तावित संशोधनों में से प्रत्येक

मध्यस्थता/कार्यवाही।] "

19. इस संदर्भ में संसद में बहस का उल्लेख दोनों पक्षों द्वारा किया गया था। श्री टी. सत्पथी (ढेंकनाल) ने कहाः

" आपने यह कहते हुए धारा 25 (ए) में संशोधन किया है कि यह अधिनियम पूर्वव्यापी नहीं होगा। जब न्यायाधीशों के लिए विधेयक '[2018] 2 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पेंशन और वेतन पूर्वव्यापी हो सकते हैं, आप पूर्वव्यापी प्रभाव से इसमें संशोधन क्यों नहीं कर सकते हैं ताकि ओ. एन. जी. सी.-आर. आई. एल. का मामला पूर्वव्यापी हो।

इस अधिनियम के तहत लाया गया और इसे 18 महीने के भीतर जल्द से जल्द न्यायनिर्णित किया जाए और इस देश के लोगों को कुछ लाभ मिले।

कुछ समय के लिए न्याय। आइए हम उनके साथ निष्पक्ष रहें।

श्री ए. पी. जे. रेड्डी का भाषण भी इसी तरह का हैः

" यह स्पष्ट नहीं है कि क्या संशोधित प्रावधान इन पर लागू होंगे

लंबित मध्यस्थता कार्यवाही। भारत के विधि आयोग ने अपनी 246 वीं रिपोर्ट में, जिसने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन की सिफारिश की थी, अधिनियम में एक नई धारा 85-ए डालने का प्रस्ताव किया था, जो लंबित मध्यस्थता कार्यवाही के संबंध में प्रत्येक संशोधन के संचालन के दायरे को स्पष्ट करेगी। हालाँकि, इस विशिष्ट सिफारिश को अध्यादेश में शामिल नहीं किया गया है। इस अध्यादेश को लाने का एक कारण हमारी न्यायिक प्रक्रिया में विदेशी निवेशकों में विश्वास की भावना पैदा करना है। व्यवहार
में कार्यान्वयन और व्यवसाय करने में आसानी। इसलिए, भारत के विधि आयोग की 246 वीं रिपोर्ट द्वारा प्रस्तावित धारा 85 ए को शामिल करने का पुरजोर आग्रह किया जाता है, जिसमें संशोधित प्रावधानों के संचालन का दायरा स्पष्ट रूप से बताया गया है।

कानून मंत्री ने उपरोक्त भाषणों के जवाब में कहाः

" इस विधेयक पर किसी ने आपत्ति नहीं जताई है, लेकिन हमारे कुछ दोस्तों ने कुछ चीज़ों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा है कि यह विधेयक समय की आवश्यकता है और एक अच्छा विधेयक लाया गया है। उनके द्वारा कुछ सुझाव दिए गए हैं। सुझावों में से एक यह था कि इसका पूर्वव्यापी प्रभाव होना चाहिए। यदि पक्षकार सहमत हों,

तब कोई समस्या नहीं होगी। अन्यथा यह केवल होगा

संभावित प्रभाव "।

20. अंत में, धारा 26 को अपने वर्तमान रूप में बहस के अंतिम चरण में धारा 25 ए के रूप में पेश किया गया और विधेयक में जोड़ा गया। विधि आयोग द्वारा प्रस्तावित धारा 85 ए और अंततः अधिनियमित धारा 26 की तुलना करने पर कुछ बातों पर ध्यान दिया जा सकता है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, धारा 85 ए में कहा गया है कि संशोधन लागू होने की संभावना होगी और फिर कार्यवाही को दो भागों में विभाजित किया जाएगा-(i) नए मध्यस्थता, और (ii) नए आवेदन। नए मध्यस्थता को एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष विभिन्न कार्यवाहियों के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसका गठन किया गया है, जबकि नए आवेदनों का अर्थ किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण को आवेदन करना है, जिसे भारत में क्रिकेट के लिए नियंत्रण बोर्ड बनाया गया है।

कोच्चि क्रिकेट पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

संशोधन अधिनियम के प्रवर्तन की तारीख के बाद। धारा 85 ए द्वारा तीन अपवाद दिए गए हैं, जिनके लिए संशोधन अधिनियम

पूर्वव्यापी रूप से लागू होगा। पहला खर्च से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है, दूसरा धारा 16 (7) में निहित नए प्रावधान से संबंधित है (जिसे संशोधन अधिनियम द्वारा अपनाया नहीं गया है) और तीसरा धारा 24 के दूसरे प्रावधान से संबंधित है, जो अन्य बातों के साथ-साथ मौखिक सुनवाई और दलीलों को दिन-प्रतिदिन के आधार पर और स्थगन की मंजूरी न देने से संबंधित है, जब तक कि पर्याप्त कारण न बनाया जाए। 21. उपरोक्त से जो देखा जा सकता है वह यह है कि धारा 26 ने कार्यवाहियों के मध्यस्थता और न्यायालय में विभाजन को बरकरार रखते हुए

कार्यवाहियां, विधि आयोग द्वारा प्रस्तावित धारा 85 ए से कुछ हद तक अलग थीं।

22. कि धारा 26 जैसे प्रावधान को पहले शाब्दिक रूप से और फिर उद्देश्यपूर्ण और व्यावहारिक रूप से समझा जाना चाहिए, ताकि निम्नलिखित उद्देश्यों को बनाए रखा जा सकेः

इस प्रावधान को भी ध्यान में रखते हुए, पैराग्राफ 26 में थिसेन (उपरोक्त) में निम्नानुसार निर्धारित किया गया हैः

" 26. वर्तमान समय की अदालतें उस क़ानून की व्याख्या करते समय एक उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण अपनाती हैं जो पुराने कानून को निरस्त करता है और उस उद्देश्य के लिए उन उद्देश्यों और कारणों को ध्यान में रखते हैं जिनके कारण

नए अधिनियम को लागू करने के लिए। हमने ऊपर देखा है कि इस दृष्टिकोण को इस न्यायालय द्वारा M.M.T.C. Ltd में अपनाया गया था।

मामला [(1996) 6 एससीसी 716]। पुराने और नए दोनों अधिनियमों के प्रावधान बहुत अलग हैं और सुंदरम में इसका पालन किया गया है।

फाइनेंस लिमिटेड मामला [(1999) 2 एस. सी. सी. 479]। उस मामले में, इस न्यायालय ने यह भी कहा कि नए अधिनियम के प्रावधानों की स्वतंत्र रूप से व्याख्या और अर्थ लगाया जाना चाहिए और वास्तव में पुराने अधिनियम के संदर्भ में वास्तव में नए अधिनियम के प्रावधानों का गलत निर्माण हो सकता है। न्यायालय ने कहा कि नए अधिनियम के प्रावधानों का अर्थ लगाते हुए, पुराने अधिनियम के बजाय UNCITRAL मॉडल कानून को संदर्भित करना अधिक प्रासंगिक होगा। कुवैत के मामले में लोक निर्माण मंत्री v. सर फ्रेडरिक स्नो एंड पार्टनर्स [(1984) 1 ऑल ई. आर. 733 (एच. एल.)] यह पुरस्कार कुवैत के न्यूयॉर्क सम्मेलन में एक पक्ष बनने से पहले दिया गया था।

इंग्लैंड में एक ऑर्डर इन काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने माना कि हालांकि इंग्लैंड में (यू. के.) मध्यस्थता अधिनियम, 1975 के तहत एक विदेशी पुरस्कार लागू किया जा सकता है क्योंकि जब इंग्लैंड में पुरस्कार को लागू करने की कार्यवाही शुरू की गई थी, तब कुवैत सम्मेलन का एक पक्ष बन गया था।

इस तर्क को नकार दिया कि जिस तारीख को पुरस्कार दिया गया था
कुवैत न्यूयॉर्क कन्वेंशन का पक्ष नहीं था।

(पृष्ठों पर 370-371)

अर्थात, मिल्कफूड लिमिटेड (ऊपर) में, इस न्यायालय ने, यह अर्थ लगाते हुए कि
1996 के अधिनियम की धारा 85 में यह कहा गया थाः

" 70. 1996 के अधिनियम की धारा 85 1940 के अधिनियम को निरस्त करती है। उप-खंड
(2) धारा 85 में एक गैर-बाध्यकारी खंड का प्रावधान है। खंड (ए)
उक्त उप-धारा में बचत खंड का प्रावधान है जिसमें कहा गया है कि
उक्त अधिनियमों के प्रावधान मध्यस्थता के संबंध में लागू होंगे।
कार्यवाही जो उक्त अधिनियम के लागू होने से पहले शुरू हुई थी बल देते हैं। इस प्रकार, वे मध्यस्थता कार्यवाही जो शुरू की गई थीं
1996 के अधिनियम के लागू होने से पहले सहेजे जाते हैं और
1996 के अधिनियम के प्रावधान मध्यस्थता के संबंध में लागू होंगे।
धारा 21 के संदर्भ की आवश्यकता उत्पन्न होगी। अदालत ने कहा कि निरसन और बचत खंडों की व्याख्या इस तरह से करें कि -
इसका एक व्यावहारिक और उद्देश्यपूर्ण अर्थ देना। वह एक है।
प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है क्योंकि वह विषय होगा पक्षों के बीच समझौता। यह भी एक बात है कि
कहते हैं कि अभिव्यक्ति "मध्यस्थता की शुरुआत"
कार्यवाहियों को संदर्भ को ध्यान में रखते हुए समझा जाना चाहिए।
जिसमें उसी का उपयोग किया जाता है; लेकिन यह पूरी तरह से अलग बात होगी।
यह कहना कि मध्यस्थता की कार्यवाही केवल इसके लिए शुरू होती है
एक सूचना जारी करने पर सीमा का उद्देश्य और किसी अन्य के लिए नहीं उद्देश्य। कानून ऐसा नहीं कहता है। यहां तक कि मामले-कानून भी नहीं करते हैं

एक ही सुझाव दें। इसके विपरीत, इस न्यायालय के निर्णय

शेट्टी से शुरू करके मैदान में काम करना

निर्माण [(1998) 5 एस. सी. सी. 599] प्रभाव के लिए उपयुक्त हैं।

कि धारा 21 का सहारा इस उद्देश्य के लिए लिया जाना चाहिए कि

अधिनियम की धारा 85 (2) (ए) की व्याख्या। कोई कारण नहीं है, भले ही दो विचार संभव हों, से प्रस्थान करने के लिए

इस न्यायालय के निर्णय, जिनका यहाँ पहले उल्लेख किया गया है।

23. सभी विद्वान वकील सहमत हुए हैं, और इस न्यायालय ने धारा 26 को शामिल करते हुए पाया है कि प्रावधान वास्तव में दो भागों में है।

भारत में क्रिकेट के लिए नियंत्रण बोर्ड v. कोच्चि क्रिकेट पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

पहला भाग संशोधन अधिनियम को संदर्भित करता है जो कुछ कार्यवाहियों पर लागू नहीं होता है, जबकि दूसरा भाग सकारात्मक रूप से संशोधन अधिनियम को लागू करता है कुछ कार्यवाहियाँ। सवाल यह है कि दोनों भागों में वास्तव में क्या निहित है। दोनों भागों को 'लेकिन' शब्द से अलग किया गया है, जो यह भी दर्शाता है कि दोनों भाग अलग और अलग हैं। हालाँकि, श्री विश्वनाथन ने तर्क दिया है कि "लेकिन" अभिव्यक्ति का अर्थ केवल यह है कि उक्त खंड के दूसरे भाग में धारा 26 के पहले भाग की जोरदार पुनरावृत्ति है। इसके लिए, उन्होंने वर्तमान अंग्रेजी पर संक्षिप्त ऑक्सफोर्ड शब्दकोश पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया हैः

" जोरदार पुनरावृत्ति की शुरुआत; निश्चित रूप से (किसी को नहीं देखना चाहता था,

लेकिन कोई नहीं) "।

स्पष्ट रूप से, धारा 26 में "लेकिन" शब्द का संदर्भ उपरोक्त अर्थ नहीं ले सकता है, लेकिन केवल धारा 26 के दो अलग-अलग हिस्सों को अलग करने के लिए कार्य करता है।

24. जहाँ तक पहले भाग का संबंध है, इस पर क्या ध्यान दिया जाएगा, जिसमें कहा गया है, "इस अधिनियम में निहित कुछ भी मध्यस्थ पर लागू नहीं होगा।

इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले मूल अधिनियम की धारा 21 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही शुरू की गई, जब तक कि पक्ष अन्यथा सहमत न हों। (1) “ मध्यस्थता कार्यवाही और उनके प्रारंभ का उल्लेख धारा 21 के संदर्भ में किया गया है। मूल अधिनियम; (2) उपयोग की गई अभिव्यक्ति "से" है और "के संबंध में" नहीं है; और (3) पक्ष अन्यथा सहमत हो सकते हैं। जहाँ तक धारा 26 के दूसरे भाग की बात है

संबंधित है, अर्थात्, वह भाग जो पढ़ता है, ". लेकिन यह अधिनियम उस तारीख को या उसके बाद शुरू हुई मध्यस्थता कार्यवाही के संबंध में लागू होगा। इस अधिनियम का प्रारंभ "यह स्पष्ट करता है कि" के संबंध में "अभिव्यक्ति का उपयोग किया जाता है; और" मध्यस्थ कार्यवाही और "मूल अधिनियम की धारा 21 के प्रावधानों के अनुसार" अभिव्यक्ति इसकी अनुपस्थिति से स्पष्ट है।

25. 1996 के अधिनियम के अध्याय 5 के शीर्षक से स्पष्ट है कि "मध्यस्थता कार्यवाही" शब्द एक मध्यस्थता न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही को संदर्भित करता है, जो इस प्रकार हैः

" मध्यस्थ कार्यवाही का संचालन "

पूरे अध्याय में धारा 18 से 27 शामिल हैं जो एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष मध्यस्थता कार्यवाही के संचालन से संबंधित हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि केवल इन कार्यवाहियों का उल्लेख किया जाता है, अभिव्यक्ति "से" के रूप में "इसे स्पष्ट करने" के संबंध में अभिव्यक्ति के विपरीत। इसके अलावा, 1996 के अधिनियम की धारा 21 का संदर्भ, जो [2018] 2 एस. सी. आर. में दिखाई देता है।

अध्याय 5, और जो उस तारीख को शुरू होने वाली मध्यस्थता कार्यवाही की बात करता है जिस दिन प्रतिवादी द्वारा मध्यस्थता के लिए किसी विवाद को संदर्भित करने का अनुरोध प्राप्त किया जाता है, यह भी स्पष्ट करेगा कि यह कार्यवाही है, और कोई अन्य नहीं, जो धारा 26 के पहले भाग की विषय वस्तु है। इसके अलावा, चूंकि मध्यस्थता कार्यवाही का संचालन काफी हद तक है प्रक्रियात्मक प्रकृति में, पक्ष "अन्यथा सहमत" हो सकते हैं और संशोधन अधिनियम को मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू कर सकते हैं जो संशोधन अधिनियम के लागू होने से पहले शुरू हुई हैं। 2 2

धारा 26 के पहले भाग के बिल्कुल विपरीत दूसरा भाग है, जहां संशोधन अधिनियम को मध्यस्थता कार्यवाही के संबंध में लागू किया जाता है जो मध्यस्थता की शुरुआत की तारीख को या उसके बाद शुरू हुई थी।

संशोधन अधिनियम। 1996 के अधिनियम की धारा 21 का कोई भी संदर्भ दूसरे भाग में इसकी अनुपस्थिति से स्पष्ट है। जबकि पहला भाग केवल एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष मध्यस्थता कार्यवाही को संदर्भित करता है, दूसरा भाग मध्यस्थता कार्यवाही के संबंध में अदालत की कार्यवाही को संदर्भित करता है, और यह इन अदालत की कार्यवाही का प्रारंभ है जिसे धारा 26 के दूसरे भाग में संदर्भित किया गया है, क्योंकि दूसरे भाग में "मध्यस्थता कार्यवाही के संबंध में" शब्द मध्यस्थता कार्यवाही द्वारा नियंत्रित नहीं हैं। 1996 के अधिनियम की धारा 21 का अनुप्रयोग। इसलिए, धारा 26, कार्यवाहियों को, जैसा कि ऊपर कहा गया है, बहुत स्पष्टता के साथ, कार्यवाहियों के दो समूहों में विभाजित करती है-स्वयं मध्यस्थता कार्यवाहियां और उसके संबंध में अदालती कार्यवाहियां। धारा 26 का पहला भाग क्यों

2 संशोधन अधिनियम की धारा 29 ए समय सीमा का प्रावधान करती है जिसके भीतर एक मध्यस्थ निर्णय दिया जाना है। हितेन्द्र विष्णु ठाकुर बनाम। महाराष्ट्र राज्य (1994) 4 एस. सी. सी. 602 633 पर, इस न्यायालय ने कहाः

" (iii) प्रत्येक वादी को मूल कानून में निहित अधिकार है लेकिन प्रक्रियात्मक कानून में ऐसा कोई अधिकार मौजूद नहीं है।

(iv) एक प्रक्रियात्मक क़ानून को आम तौर पर पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जाना चाहिए, जहां परिणाम नई अक्षमताओं या दायित्वों को पैदा करना या पहले से किए गए लेनदेन के संबंध में नए कर्तव्यों को लागू करना होगा।
(v) एक कानून जो न केवल प्रक्रिया को बदलता है, बल्कि नए अधिकारों और देनदारियों को भी पैदा करता है, उसे संचालन में संभावित माना जाएगा, जब तक कि अन्यथा स्पष्ट रूप से या आवश्यक रूप से प्रदान नहीं किया जाता है।

निहितार्थ "।

यह, अन्य बातों के साथ-साथ, इसलिए है क्योंकि संशोधन अधिनियम की धारा 29 ए में पहली बार मध्यस्थता निर्णय देने के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है कि पक्षों को ऐसी समय-सीमा अपनाने का विकल्प दिया गया था, जो यद्यपि प्रक्रियात्मक प्रकृति की हो, लेकिन असंशोधित अधिनियम के तहत पहले से शुरू की गई कार्यवाही के संबंध में नए दायित्व पैदा करती है। यह, निश्चित रूप से, केवल एक उदाहरण है कि

क्यों पक्षकार अन्यथा सहमत हो सकते हैं और संशोधन अधिनियम द्वारा निर्धारित नई प्रक्रिया को मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू कर सकते हैं जो इसके लागू होने से पहले शुरू हुई है।

भारत में क्रिकेट के लिए नियंत्रण बोर्ड v. कोच्चि क्रिकेट पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

नकारात्मक रूप में केवल यह कहना है कि संशोधन अधिनियम संशोधन से पहले शुरू की गई मध्यस्थता कार्यवाही पर भी लागू होगा यदि पक्ष अन्यथा सहमत हों। यदि धारा 26 का पहला भाग शामिल किया गया था सकारात्मक भाषा में (दूसरे भाग की तरह), यह कहते हुए एक परंतुक जोड़ना आवश्यक होता कि यदि पक्ष सहमत होते हैं तो संशोधन अधिनियम संशोधन से पहले शुरू की गई मध्यस्थता कार्यवाही पर भी लागू होगा। दोनों ही मामलों में, विधायिका का इरादा समान रहता है, नकारात्मक रूप आवश्यक परंतुक के साथ ठीक वही बताता है जो सकारात्मक रूप से कहा जा सकता था। जाहिर है, "मध्यस्थता कार्यवाही" की गई है

प्रकृति में, और उन मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू होगा जो शुरू की गई हैं, जैसा कि मूल अधिनियम की धारा 21 द्वारा समझा गया है, संशोधन अधिनियम, और न्यायालय की कार्यवाही जो संशोधन अधिनियम के लागू होने पर या उसके बाद शुरू हुई हैं।

26. अब हम पक्षों के लिए विद्वान वकील की कुछ दलीलों पर विचार करते हैं कि धारा 26 का वास्तविक निर्माण क्या होना चाहिए। श्री सुंदरम के अनुसार, धारा 26 के दूसरे भाग को प्रमुख भाग के रूप में लिया जाना चाहिए, जिसमें पहले भाग को मुख्य भाग के अपवाद के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। ऐसा इसलिए है ताकि सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6 तब पहले भाग की ओर आकर्षित हो जाए, जिसका उद्देश्य अर्जित अधिकारों को बचाना है। धारा 6 तब तक लागू होती है जब तक कि विचाराधीन अधिनियम में कोई विपरीत इरादा दिखाई न दे। धारा 26 की सरल भाषा यह स्पष्ट करेगी कि इसके विपरीत इरादा प्रतीत होता है, धारा 26 एक विशेष प्रावधान है जिसे अपनी शर्तों पर लागू किया जाना है।

27. इस प्रकार, परिवहन और डॉक श्रमिक संघ और अन्य में

वी. न्यू धोलेरा स्टीमशिप लिमिटेड, बॉम्बे और अन्य, (1967) 1 एल. एल. जे. 434, इस न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दियाः

" 6. हमारे समक्ष यह तर्क दिया गया था कि एक अपील मूल कार्यवाही की निरंतरता के रूप में निरसन को प्रभावित नहीं करना चाहिए

इस मामले में अध्यादेश के प्रावधानों का प्रवर्तन। रिलायंस को सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 पर रखा गया है जिसमें एक अधिनियम के निरसन के प्रभाव का संकेत दिया गया है।

किसी और से। यह तर्क दिया जाता है कि बोनस के भुगतान अध्यादेश को धारा 40 (1) द्वारा निरस्त कर दिया गया है, जिसके परिणाम

सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6 में परिकल्पित [2018] 2 एस. सी. आर. का पालन करना चाहिए।

और वर्तमान मामले का निपटारा अध्यादेश के अनुसार किया जाना चाहिए जैसे कि अधिनियम पारित नहीं किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अध्यादेश की धारा 10 के तहत बोनस का भुगतान करने का अधिकार और संबंधित दायित्व था और वह अधिकार और दायित्व था

अध्यादेश के निरसन के कारण इसे मिटाया नहीं जा सकता है। यह तर्क धारा 40 की दूसरी उप-धारा के प्रावधानों के कारण स्वीकार्य नहीं है। वह उप-खंड इस प्रकार हैः

" 40. रद्द करें और बचत करें।

(1) ***

(2) इस प्रकार के निरसन के बावजूद, उक्त अध्यादेश के तहत की गई किसी भी चीज़ या की गई किसी भी कार्रवाई को इस अधिनियम के तहत किया गया या किया गया माना जाएगा जैसे कि यह अधिनियम शुरू हुआ था। 29 मई, 1965। ”

सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6 सामान्य रूप से लागू होती है लेकिन यह

यदि निरस्तीकरण अधिनियम में कोई अलग इरादा दिखाई देता है तो यह लागू नहीं होता है। यहाँ स्पष्ट रूप से प्रकट होने का एक अलग इरादा बनाया गया है और

निरसन अधिनियम में निगमित विशेष बचत केवल अध्यादेश के तहत की गई किसी भी चीज़ या की गई किसी भी कार्रवाई की रक्षा करती है जिसे इस अधिनियम के तहत किया गया या किया गया माना जाता है जैसे कि अधिनियम 29 मई, 1965 को शुरू हुआ था। अध्यादेश के तहत कुछ भी नहीं किया गया था और न ही कोई कार्रवाई की गई थी जिसकी आवश्यकता थी। संरक्षण; और न ही अध्यादेश के तहत कुछ भी लंबित था जिसे जारी रखा जा सकता था जैसे कि अधिनियम पारित नहीं किया गया था। इस प्रकार कुछ भी नहीं था जिसे निरस्त करने के बाद बचाया जाना था

अध्यादेश और यह प्रश्न जो अध्यादेश के तहत उत्पन्न हो सकता था, अब अस्तित्व में नहीं है।

अवती देवी हरलालका बनाम। सी. आई. टी. (1967) 3 एस. सी. आर. 833, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 297 में निहित एक निरसन और धारा 6 के तहत इसके विपरीत इरादे का सबूत देने के लिए।

खंड अधिनियम निम्नानुसार हैः

" 14. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि संसद में सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6 को ध्यान में रखा गया था, और इसलिए अपीलों से निपटने के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया था और

संशोधन आदि। हमारे विचार में, सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6 लागू नहीं होगी क्योंकि धारा 297 (2) इसके विपरीत इरादे का सबूत देती है। भारत संघ में v.

मदन गोपाल काबरा [25 भारत में क्रिकेट के लिए नियंत्रण का अधिकार बनाम। कोच्चि क्रिकेट पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

आई. टी. आर. 5] वित्त अधिनियम, 1950 की धारा 13 की व्याख्या करते हुए,

पहले से ही ऊपर निकाले गए, इस न्यायालय ने पी. 68 :

" न ही सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6, वर्ष की आय पर कर का भुगतान करने के दायित्व को जीवित रखने का काम कर सकती है, यह मानते हुए कि यह निरस्त राज्य कानून के तहत उपार्जित हुआ है, क्योंकि वित्त अधिनियम की धारा 2 और 13 में स्पष्ट रूप से एक अलग इरादा दिखाई देता है जैसा कि ऊपर बताया गया है।

यह सच है कि कोई अलग इरादा दिखाई देता है या नहीं, यह धारा 297 (2) की भाषा और विषय-वस्तु पर निर्भर करता है। हालाँकि, हमें ऐसा लगता है कि ऊपर वर्णित इतने सारे मामलों के लिए प्रावधान करके, कुछ सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6 के तहत परिणाम क्या होता और कुछ धारा 6 के तहत परिणाम क्या होता, इसके विपरीत, संसद ने स्पष्ट रूप से इसके विपरीत एक इरादे का प्रमाण दिया।

28. श्री सुंदरम का समर्पण भी इसके अनुरूप नहीं है।

डी हमारे कुछ निर्णयों में नीचे। क़ानूनों के प्रति दृष्टिकोण, जिसे निरसन के रूप में एक क़ानून, बी. के. द्वारा सबसे अधिक सम्मानपूर्वक रखा गया था।एर्जिया, जे. पंजाब राज्य बनाम। मोहर सिंह, 1955 1 एससीआर 893 पर

00 , इस प्रकारः

" हमारी राय में इस प्रश्न पर उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण बिल्कुल सही नहीं है। जब भी किसी अधिनियम का निरसन होता है, तो सामान्य खंडों की धारा 6 में निर्धारित परिणाम

एक विपरीत राय की अभिव्यक्ति के लिए जगह। लेकिन जब निरस्तीकरण के बाद उसी विषय पर नया कानून बनाया जाता है तो हमें निस्संदेह नए अधिनियम के प्रावधानों पर गौर करना होगा, लेकिन केवल यह निर्धारित करने के उद्देश्य से कि क्या वे एक-दूसरे को हटाने का संकेत देते हैं। अलग इरादा। जाँच का मार्ग यह नहीं होगा कि क्या नया अधिनियम स्पष्ट रूप से पुराने अधिकारों और देनदारियों को जीवित रखता है, बल्कि यह होगा कि क्या यह उन्हें नष्ट करने के इरादे को प्रकट करता है। इसलिए हम इस व्यापक प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6 को खारिज कर दिया जाता है जब किसी अधिनियम को निरस्त किया जाता है और उसके बाद एक नया कानून बनाया जाता है। धारा 6 ऐसे मामलों में भी लागू होगी जब तक कि नया विधान धारा के प्रावधानों के साथ असंगत या विपरीत इरादे को प्रकट नहीं करता है। इस तरह की असंगतता का पता लगाना होगा

नए कानून और [2018] 2 एस. सी. आर. के सभी प्रासंगिक प्रावधानों पर विचार करना।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बचत खंड की अनुपस्थिति अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं है। यह है।

इन सिद्धांतों के आलोक में जिनकी अब हम जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं

वर्तमान मामले के तथ्य "।

(जोर दिया गया)

कानून के इस कथन का बाद में परिवहन और डॉक श्रमिक संघ और अन्य में पालन किया गया है। वी. नए धोलेरा स्टीमशिप लिमिटेड, बॉम्बे और ओआरएस। (ऊपर) पैराग्राफ 6 में और टी. एस. बलियाह बनाम। टी. एस. रेंगाचारी, 1969 3 एस. सी. आर. 65 71-72 पर।

29. समान रूप से, श्री विश्वनाथन की सुझाई गई व्याख्या

न केवल धारा 26 की सादे भाषा के साथ हिंसा की जाएगी, बल्कि धारा 26 के दूसरे भाग में "संबंध में" शब्दों की भी अनदेखी की जाएगी, साथ ही इस तथ्य की भी अनदेखी की जाएगी कि 1996 के अधिनियम की धारा 21, हालांकि पहले भाग में उल्लिखित है, लेकिन दूसरे भाग में इसकी अनुपस्थिति से स्पष्ट है। श्री विश्वनाथन के अनुसार, "मध्यस्थता कार्यवाही शुरू" अभिव्यक्ति दोनों भागों में समान है और इसलिए, धारा 21 के तहत मध्यस्थता कार्यवाही शुरू करने पर दोनों भागों में विचार किया जाना चाहिए। इस प्रकार, विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार, यदि संशोधन अधिनियम के लागू होने से पहले मध्यस्थता कार्यवाही शुरू हो गई है, तो उक्त कार्यवाही, उसके संबंध में अदालत में सभी कार्यवाही के साथ, केवल 1996 के अपरिवर्तित अधिनियम के प्रावधानों को आकर्षित करेगी। इसी तरह, जब संशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद धारा 21 के तहत मध्यस्थता कार्यवाही शुरू हो जाएगी, तो उन कार्यवाहियों को, जिनके संबंध में सभी अदालती कार्यवाही शामिल हैं, संशोधन अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। यह धारा 26 की योजना बिल्कुल नहीं है, जैसा कि ऊपर बताया गया है। इसके अलावा, यह तर्क कमोबेश न्यायमूर्ति बी. एन. श्रीकृष्णा की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट द्वारा 1996 के अधिनियम में संशोधन करने के निष्कर्ष पर पहुंचा है।

3 विद्वान ए. एस. जी. श्री तुषार मेहता ने हमें लिखित रूप में प्रस्तुत करते हुए दलीलें पूरी होने के बाद भारत सरकार की ओर से 7 मार्च, 2018 को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति का उल्लेख किया। उनके अनुसार, प्रेस विज्ञप्ति 1996 के अधिनियम में किए जाने वाले प्रस्तावित संशोधन में एक नई धारा 87 का उल्लेख करती है। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मध्यस्थता को मंजूरी दे दी है और

सुलह (संशोधन) विधेयक, 2018 जिसमें एक नई धारा 87 को निम्नानुसार शामिल करने का प्रस्ताव हैः

" यह स्पष्ट करने के लिए एक नई धारा 87 जोड़ने का प्रस्ताव है कि जब तक कि पक्षकार

अन्यथा सहमत हैं कि संशोधन अधिनियम 2015 (क) मध्यस्थ पर लागू नहीं होगा।

कार्यवाहियाँ जो प्रारंभ होने से पहले शुरू हो चुकी हैं 2015 का संशोधन अधिनियम (बी) से या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाली अदालती कार्यवाही

इस बात की परवाह किए बिना कि क्या ऐसी अदालती कार्यवाही भारत में क्रिकेट के लिए नियंत्रण बोर्ड है।

कोच्चि क्रिकेट पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

धारा 26 अपने निष्कर्षों को शामिल करने के लिए। प्रस्तावित की धारा 87 मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2018 पर विचार नहीं किया जा सकता है।

यह 2015 के संशोधन अधिनियम के प्रारंभ से पहले या बाद में शुरू किया गया था और केवल 2015 के संशोधन अधिनियम के प्रारंभ पर या उसके बाद शुरू हुई मध्यस्थता कार्यवाही और ऐसी मध्यस्थता कार्यवाही से या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाली अदालती कार्यवाही पर लागू होगा।

श्रीकृष्ण समिति ने निम्नलिखित सिफारिशें की थीं:

" समिति महसूस करती है कि 2015 के संशोधन अधिनियम को 23 अक्टूबर 2015 से पहले शुरू की गई मध्यस्थता से संबंधित लंबित अदालती कार्यवाही पर लागू करने की अनुमति देने से पक्षों के लिए अनिश्चितता और पूर्वाग्रह पैदा होगा, क्योंकि उन्हें फिर से सुनना पड़ सकता है। 2015 के संशोधन अधिनियम को ऐसे मामलों के संबंध में नई अदालती कार्यवाही पर लागू करना भी उचित नहीं हो सकता है।

मध्यस्थता, क्योंकि इसके परिणामस्वरूप एक असंगत स्थिति हो सकती है। इसलिए, यह महसूस किया जाता है कि 2015 के संशोधन अधिनियम की प्रयोज्यता को 23 अक्टूबर 2015 को या उसके बाद शुरू हुए मध्यस्थता और संबंधित अदालतों तक सीमित करना वांछनीय हो सकता है

कार्यवाही।

सिफारिशें

1. 2015 के संशोधन अधिनियम की धारा 26 में यह प्रावधान करने के लिए संशोधन किया जा सकता है किः ए। जब तक पक्ष अन्यथा सहमत नहीं होते हैं, 2015 का संशोधन अधिनियम इन पर लागू नहीं होगाः (क) 2015 के संशोधन अधिनियम के प्रारंभ से पहले ए. सी. ए. की धारा 21 के अनुसार मध्यस्थता कार्यवाही शुरू की गई; और (ख) ऐसी मध्यस्थता कार्यवाही से या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाली अदालती कार्यवाही इस बात पर ध्यान दिए बिना कि ऐसी अदालती कार्यवाही 2015 के संशोधन अधिनियम से पहले या बाद में शुरू की गई है।

2015 के संशोधन अधिनियम की शुरुआत; और बी। 2015 का संशोधन अधिनियम केवल मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू होगा। 2015 के संशोधन अधिनियम के प्रारंभ पर या उसके बाद और ऐसी मध्यस्थता कार्यवाही से या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाली अदालती कार्यवाही शुरू की गई। 2. संशोधित धारा 26 का प्रभाव 2015 के संशोधन अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पूर्वव्यापी होगा।

उच्च स्तरीय समिति ने विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा लिए गए अलग-अलग विचारों का उल्लेख करने के बाद इसकी सिफारिश की। इसमें इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग्स लिमिटेड बनाम में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा दी गई व्याख्या शामिल थी। रीकॉन इंजीनियर्स (इंडिया) प्रा. लि. (2015 का ए. पी. सं. 1710 ने 14.01.2016 पर निर्णय लिया) और तुफान चटर्जी बनाम। रंगन धर, (2016 का एफ. एम. ए. टी. सं. 47 ने <आई. डी. 1 पर निर्णय लिया), मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रगति अक्षय ऊर्जा लिमिटेड कंपनी बनाम. एम. पी. और अन्य की स्थिति। , (मध्यस्थता मामला सं। 48 , 53 और 54/2014,30.06.2016 पर निर्णय लिया गया), मद्रास उच्च न्यायालय ने न्यू तिरुपुर क्षेत्र विकास बनाम. हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी। लिमिटेड, (2015 की ओ. पी. संख्या 931 में 2015 का आवेदन

संख्या 7674) और बॉम्बे उच्च न्यायालय ने रेंडेवू स्पोर्ट्स वर्ल्ड बनाम. बी. सी. सी. आई. (2015 का चैंबर समन संख्या 1530,2015 का निष्पादन आवेदन संख्या 2481,2015 का चैंबर समन संख्या 1532, निष्पादन आवेदन संख्या 2482 और 2016 का चैंबर समन संख्या 66,2015 का निष्पादन आवेदन संख्या 2748 में 08.08.2016 पर निर्णय लिया गया)।

इसके अलावा, विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा निम्नलिखित निर्णय भी संशोधन अधिनियम की प्रयोज्यता से संबंधित हैंः

आई.

कलकत्ता उच्च न्यायालयः नित्य रंजन जेना बनाम। टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज

लिमिटेड, जी. ए. सं. 145/206 एपी सं. 15/2016 के साथ, पश्चिम बंगाल विद्युत विकास निगम लिमिटेड v. डोंगफैंग इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन, 2017 एस. सी. सी. ऑनलाइन कैल [2018] 2 एस. सी. आर.

इस स्तर पर, संशोधन की धारा 26 की व्याख्या के लिए

दो कारणों से कार्य करें: (i) धारा 87, जैसा कि अंततः अधिनियमित किया गया है, में नहीं हो सकता है

प्रेस विज्ञप्ति में निर्दिष्ट प्रपत्र; और (ii) एक प्रस्तावित विधेयक,

कानून के एक नए और अलग प्रावधान को लागू करना शायद ही कानून के प्रावधान की व्याख्या का आधार हो सकता है जैसा कि अब है। जाहिर है,

9388 , सराफ एजेंसियां बनाम। राज्य संपत्ति प्रबंधन के लिए संघीय एजेंसियां, ए. आई. आर. 2017 कैल. 65 , रिलायंस कैपिटल लिमिटेड बनाम चंदना क्रिएशंस, 2016 एस. सी. सी. कैल. 9558 और ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाम। इंडो वैगन इंजीनियरिंग लिमिटेड, ए. आई. आर. 2017 (एन. ओ. सी. 923) 314.

ii.

बॉम्बे उच्च न्यायालय: एम/एस। महाराष्ट्र हवाई अड्डा विकास कंपनी लिमिटेड वी. एम/एस। पी. बी. ए. इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, 2017 एस. सी. सी. ऑनलाइन बॉम (7840), एनरकॉन जी. एम. बी. एच. बनाम। योगेश मेहरा, 2017 एस. सी. सी. बॉम 1744 और ग्लोबल एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड वी. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, वाणिज्यिक मध्यस्थता याचिका सं।

434/2017 ,

iii.

मद्रास उच्च न्यायालय: जंबो बैग्स लिमिटेड बनाम न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड, 2016 (3) सीटीसी 769।

iv. दिल्ली उच्च न्यायालय: आईसीआई सोमा जेवी बनाम। सिम्प्लेक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, 2016 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 5315, टांटिया-सी. सी. आई. एल. (जे. वी.) बनाम। भारत संघ, ए. आर. बी. पी. 615/2016, रैफल्स डिजाइन इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड वी. एडुकॉम्प प्रोफेशनल

एजुकेशन लिमिटेड और अन्य। , ओ. एम. पी. (आई) (सी. ओ. एम. एम.) 23/2015, उड़ीसा कंक्रीट एंड एलाइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड v. भारत संघ और ओआरएस। , अरब। 2016 का पी. सं. 174, तकामोल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड वी. कुंदन राइस मिल्स लिमिटेड, पूर्व। पी. 422/2014 और ई. ए. नंबर 739/2016, एपेक्स एनकॉन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड वी. भारत संघ और ए. एन. आर. , 2017 एससीसी ऑनलाइन डेल। 9779 और रत्ना इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड वी. मेजा ऊर्जा निगम प्रा. लिमिटेड, 2017 एससीसी ऑनलाइन डेल 7808। पटना उच्च न्यायालय: एसपीएस वी. बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, अनुरोध

वी.

2016 का मामला सं. 14 और कुमार और कुमार एसोसिएट्स बनाम। भारत संघ, 2017 1 पीएलजेआर 649।

vi. गुजरात उच्च न्यायालयः ओ. सी. आई. कार्पोरेशन वी. कांडला निर्यात निगम और अन्य। , 2017

जी. एल. एच. (1) 383, अभिनव नॉलेज सर्विसेज प्रा. लिमिटेड वी. बाबासाहेब

अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, ए. आई. आर. 2017 (एन. ओ. सी. 1012) 344 और पल्लव

विमलभाई शाह बनाम। कल्पेश सुमतिभाई शाह, ओ/आई. ए. ए. पी./15/2017.

vii. केरल उच्च न्यायालयः शम्सुद्दीन बनाम। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस लिमिटेड, आई. एल. आर. 2017 खंड। 1 , केर। 370 और जैकब मैथ्यू बनाम। पी. टी. सी. बिल्डर्स, 2017 (5) के. एच. सी. 583। viii. त्रिपुरा उच्च न्यायालयः सुभाष पोद्दार बनाम। त्रिपुरा राज्य, 2016 एस. सी. सी. ट्राई। 500 . ix. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालयः उड़ीसा कंक्रीट एंड एलाइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड v.

भारत संघ और ओआरएस। , मध्यस्थता आवेदन सं. 34/2014।

राजस्थान उच्च न्यायालयः द्वारका ट्रेडर्स प्रा. लिमिटेड वी. भारतीय संघ, एस. बी.,

एक्स.

मध्यस्थता आवेदन सं. 95/2013 और मयूर एसोसिएट्स, इंजीनियर और ठेकेदार बनाम। गुरमीत सिंह और अन्य। , एस. बी. मध्यस्थता आवेदन सं. 74/2013।

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयः आरएसडब्ल्यूएम वी. हिमाचल प्रदेश राज्य

xi.

आपूर्ति कंपनी। लिमिटेड, अरब केस नंबर 104/2016 और पी. के. कंस्ट्रक्शन कंपनी एंड

ओआरएस। वी. शिमला नगर निगम कं. और अन्य। , सिविल रिट याचिका सं. 2322/2016। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालयः अल्पाइन मिनमेटल्स इंडिया प्रा. लि. लिमिटेड वी. कुलीन।

xii.

रिसोर्सेज लिमिटेड, एल. पी. ए. सं. 917/2017।

भारत में क्रिकेट के लिए नियंत्रण बोर्ड v. कोच्चि क्रिकेट पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

इसलिए, श्री विश्वनाथन का दृष्टिकोण धारा 26 में संशोधन की ओर ले जाता है, जैसा कि श्रीकृष्ण समिति द्वारा अनुशंसित किया गया है, न कि इसकी व्याख्या। इन सभी कारणों से, उनके तर्क को अस्वीकार किया जाना चाहिए। श्री दातार का तर्क कमोबेश श्री विश्वनाथन के तर्क के समान है, और श्री विश्वनाथन की व्याख्या के समान ही दुर्बलता से ग्रस्त है। श्री ए. कृष्णन, "सीट" की अवधारणा को लाने में, फिर से धारा 26 की भाषा पर पूर्ण हिंसा कर रहे हैं, क्योंकि "मध्यस्थता का स्थान" 1996 के अधिनियम की धारा 20 में निहित एक सर्वविदित अवधारणा है, जिसका संशोधन अधिनियम की धारा 26 में कोई उल्लेख नहीं है। इन कारणों से उनकी व्याख्या को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

30. श्री नीरज किशन कौल, एसएलपी (सी) संख्या में उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील। 19545-19546 2016 के, ने तर्क दिया है कि धारा 26 का पहला भाग अदालत की कार्यवाही पर बिल्कुल भी लागू नहीं होता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि संशोधन अधिनियम को मध्यस्थता कार्यवाही के संबंध में अदालत की कार्यवाही के रूप में पूर्वव्यापी प्रभाव दिया जाना चाहिए। वे चिंतित हैं। इस उद्देश्य के लिए, उन्होंने कुवैत राज्य सरकार (ऊपर) के लोक निर्माण मंत्री पर भरोसा किया।

31. उस मामले में, जो सवाल उठा वह यू. के. मध्यस्थता अधिनियम, 1975 की धारा 7 (1) के सही निर्माण के बारे में था। उक्त खंड को न्यूयॉर्क को लागू करने में पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया था

कन्वेंशन से पहले किए गए मध्यस्थता समझौतों के लिए कन्वेंशन लागू किया गया था, इस कारण से कि किसी के पास अर्जित अधिकार/बचाव नहीं था जिसे छीन लिया गया था। पुरस्कार पर एक सामान्य कानूनी कार्रवाई में उपलब्ध सभी बचाव उपलब्ध होंगे और उपलब्ध रहेंगे। इसलिए, यह माना गया कि पुरस्कार को हमेशा एक प्रकार की प्रक्रिया द्वारा लागू किया जा सकता था और यह बाद में एक वैकल्पिक रूप द्वारा लागू किया जा सकता था। यह निर्णय वर्तमान मामले में लागू नहीं हो सकता है, क्योंकि संशोधन अधिनियम, जो मध्यस्थता कार्यवाही के संबंध में उत्पन्न होने वाली अदालती कार्यवाही पर लागू होता है, को केवल प्रक्रिया के रूपों पर लागू नहीं कहा जा सकता है, बल्कि इसमें संशोधन अधिनियम के बाद ऐसी अदालती कार्यवाही पर लागू होने वाली मूल कानून भी शामिल है। इसके अलावा, यह कहना पूरी तरह से गलत है कि चूंकि धारा 26 का पहला भाग मध्यस्थता कार्यवाही के संबंध में अदालत की कार्यवाही का उल्लेख नहीं करता है, इसलिए संशोधन अधिनियम पूर्वव्यापी है जहां तक ऐसी कार्यवाही है चिंतित हैं। धारा 26 के दूसरे भाग को तब पूरी तरह से नजरअंदाज करना होगा, जो, जैसा कि ऊपर देखा गया है, केवल संभावित रूप से मध्यस्थता कार्यवाही के संबंध में अदालत की कार्यवाही पर लागू होता है, अर्थात यदि ऐसी अदालत की कार्यवाही संशोधन [2018] 2 एस. सी. आर. के बाद शुरू की जाती है।

अधिनियम लागू होता है। इन कारणों से, धारा 26 की ऐसी व्याख्या अस्वीकार्य है।

32. श्री चिदम्बरम ने कुछ प्रत्यर्थियों की ओर से तर्क दिया है कि इस न्यायालय द्वारा ऊपर स्वीकार की गई व्याख्या सही व्याख्या है। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि, वैकल्पिक रूप से, धारा 26 के दूसरे भाग में "मध्यस्थता कार्यवाही के संबंध में" अभिव्यक्ति में मध्यस्थता न्यायाधिकरण के समक्ष मध्यस्थता कार्यवाही भी शामिल होगी, क्योंकि अन्यथा धारा 26 ऐसी मध्यस्थता कार्यवाही के लिए संशोधन अधिनियम को लागू नहीं करेगी। हमें डर है कि यह विकल्प

व्याख्या हमें इस सरल कारण से आकर्षित नहीं करती है कि जब धारा 26 का पहला भाग यह स्पष्ट करता है कि संशोधन अधिनियम से पहले शुरू की गई मध्यस्थता कार्यवाही संशोधन अधिनियम द्वारा शासित नहीं होगी, तो यह स्पष्ट है कि संशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद शुरू हुई मध्यस्थता कार्यवाही इसके द्वारा इस तरह से शासित होगी, जैसा कि हमने ऊपर अभिनिर्धारित किया है। पहले भाग की भाषा का नकारात्मक रूप केवल यह इंगित करने के लिए आवश्यक हो जाता है कि पक्षकार अन्यथा संशोधन अधिनियम के लागू होने से पहले ही शुरू की गई मध्यस्थता कार्यवाही में संशोधन अधिनियम को लागू करने के लिए सहमत हो सकते हैं। संशोधन अधिनियम की धारा 26 के दूसरे भाग में 1996 के अधिनियम की धारा 21 के किसी भी संदर्भ का अभाव भी एक अच्छा कारण है कि दूसरे भाग में मध्यस्थता न्यायाधिकरण के समक्ष मध्यस्थता कार्यवाही पर विचार क्यों नहीं किया जाता है।

33. श्री सिब्बल ने तर्क दिया है कि धारा 26 कोई बचत खंड नहीं है और इसका इस तरह से अर्थ नहीं लगाया जा सकता है। विद्वान वरिष्ठ के अनुसार

अधिवक्ता, धारा 26 उन सभी अधिकारों को नष्ट करने का स्पष्ट इरादा प्रकट करती है, जो निहित या अन्यथा हैं, जो 1996 के असंशोधित अधिनियम के तहत अर्जित हुए हैं। हम इन दलीलों को स्वीकार करने में असमर्थ हैं क्योंकि यह स्पष्ट है कि धारा 26 का इरादा संशोधन अधिनियम को मध्यस्थता कार्यवाही और उसके संबंध में अदालती कार्यवाही पर संभावित रूप से लागू करना है। यह दृष्टिकोण फिर से हमारी सराहना नहीं करता है। 34. डॉ. सिंघवी ने हालांकि तर्क दिया है कि हमारे द्वारा ऊपर बताए गए दृष्टिकोण को "मध्यवर्ती दृष्टिकोण" कहा जा सकता है, यानी यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो श्री सुंदरम, श्री विश्वनाथन और श्री दातार या श्री सिब्बल के चरम दृष्टिकोण में से किसी पर भी नहीं जाता है। इसके अलावा, विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार, इस दृष्टिकोण में स्पष्टता दोनों की योग्यता है, साथ ही इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली कोई विसंगतियां नहीं हैं, क्योंकि यह स्पष्ट है कि संशोधन अधिनियम को इसके शुरू होने की तारीख से केवल संभावित रूप से लागू किया जाना है, और केवल मध्यस्थता कार्यवाही और उसके संबंध में अदालती कार्यवाही के लिए, जो भारत में क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड पर या उसके बाद शुरू हुई हैं।

कोच्चि क्रिकेट पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

संशोधन अधिनियम का प्रारंभ। हम सोचते हैं कि यह सही दृष्टिकोण है जैसा कि हम पहले ही ऊपर संकेत दे चुके हैं।

35. थिसेन (ऊपर) में निर्णय पर दृढ़ता से भरोसा किया गया था

दोनों पक्षों के वकीलों द्वारा। इसलिए, इस निर्णय पर थोड़ा विस्तार से विचार करना महत्वपूर्ण है। थिसेन (ऊपर) में, 1996 के अधिनियम की धारा 85 विचार के लिए आई। यह स्पष्ट है कि धारा 85 (2) (ए) के दोनों भागों में "मध्यस्थता कार्यवाही के संबंध में" अभिव्यक्ति थी।

उप-धारा (2) (ए)। निरस्त किए गए अधिनियमों की बात करते समय, इसने कहा कि वे 1996 के अधिनियम के लागू होने से पहले शुरू हुई मध्यस्थता कार्यवाही के संबंध में लागू होंगे, लेकिन अन्यथा 1996 का अधिनियम मध्यस्थता कार्यवाही के संबंध में लागू होगा, जो 1996 के अधिनियम के लागू होने पर या उसके बाद शुरू हुई थी।

36. थिसेन (ऊपर) में निर्णय का अर्थ धारा 85 के रूप में लगाया गया

निम्नलिखित हैः

" 23. नए अधिनियम की धारा 85 (2) (ए) दो अंगों में हैः (1) प्रावधान

माध्यस्थम कार्यवाही के लिए जो नए पर या उसके बाद शुरू हुई अधिनियम लागू हुआ। पहले अंग को आगे विभाजित किया जा सकता है।

दो में विभाजित करेंः (क) पुराने अधिनियम के प्रावधान इस संबंध में लागू होंगे -

नया अधिनियम आने से पहले मध्यस्थता कार्यवाही शुरू हुई।

बल, और (ख) पुराना अधिनियम ऐसे मामलों में लागू नहीं होगा जहां पक्ष इस बात पर सहमत हों कि यह मध्यस्थता कार्यवाही के संबंध में लागू नहीं होगा।

जो नए अधिनियम के लागू होने से पहले शुरू हुआ था। द.

"के संबंध में" अभिव्यक्ति सबसे व्यापक महत्व की है जैसा कि द्वारा आयोजित किया गया है

डॉयपैक सिस्टम (पी) में इस न्यायालय के विभिन्न निर्णय

लिमिटेड [(1988) 2 एस. सी. सी. 299], मनसुखलाल धनराज जैन [(1995) 2

एस. सी. सी. 665], धनराजमल गोबिंदराम [ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 1285:

(1961) 3 एस. सी. आर. 1020] और नवीन केमिकल्स एम. एफ. जी. [(1993) 4 एस. सी. सी. 320] इस अभिव्यक्ति "के संबंध में" को पूर्ण प्रभाव दिया जाना चाहिए।

को, विशेष रूप से जब शब्दों के संयोजन में पढ़ा जाता है पुराने अधिनियम के प्रावधान। इसका मतलब यह होगा कि पुराना अधिनियम

में समाप्त होने वाले मध्यस्थता के पूरे दांव पर लागू होता है पुरस्कार का प्रवर्तन। यदि ऐसा नहीं होता, तो केवल "से" शब्द ही पर्याप्त होता और जब विधायिका ने इसका उपयोग किया होता।

अभिव्यक्ति "के संबंध में", एक उचित अर्थ दिया जाना चाहिए। यह अभिव्यक्ति प्रतिबंधात्मक अर्थ को स्वीकार नहीं करती है।

धारा 85 (2) (ए) का अंग एक सीमित बचत खंड नहीं है। यह बचाता है।

न केवल प्रारंभ के समय लंबित कार्यवाही नए अधिनियम के लिए लेकिन पुराने अधिनियम के प्रावधानों के लिए भी

उस अधिनियम के तहत पुरस्कार का प्रवर्तन।

(

पृष्ठ 369 पर)

[जोर दिया गया]

इसके बाद निर्णय मध्यस्थता अधिनियम की धारा 48 को संदर्भित करता है।

1940 , जिसका उल्लेख इस प्रकार किया गया हैः

" 48. लंबित संदर्भों के लिए बचत करना। इसके प्रावधान

अधिनियम में लंबित किसी भी संदर्भ पर लागू नहीं होगा

इस अधिनियम का प्रारंभ, जिसके लिए तुरंत लागू कानून

इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले, किसी भी इस अधिनियम द्वारा प्रभावी निरसन लागू रहता है।

(

पृष्ठ 349 पर)

" 33. नए अधिनियम की धारा 85 (2) (ए) के दृष्टिकोण के कारण, जो हमने लिया है, हमारे लिए पुराने अधिनियम की धारा 48 और नए अधिनियम की धारा 85 में निहित निरसन प्रावधानों में अंतर पर विचार करना आवश्यक नहीं है। हालाँकि, हम ध्यान दे सकते हैं कि पुराने अधिनियम की धारा 48 के तहत अवधारणा "संदर्भ" की है, जबकि नए अधिनियम के तहत यह है - " शुरुआत "। पुराने अधिनियम की धारा 2 (ई) "संदर्भ" को परिभाषित करती है। फिर धारा 48 के तहत इस्तेमाल किया गया शब्द "से" है और धारा 85 (2) (ए) के तहत अभिव्यक्ति "के संबंध में" है। इसलिए, यह भी प्रतीत होता है कि धारा 85 (2) (ए) की व्याख्या करने के लिए पुराने अधिनियम की धारा 48 के प्रावधान पर विचार करना काफी प्रासंगिक नहीं है। ”

(

पृष्ठ 375 पर)

[जोर दिया गया]

पैराग्राफ 25 में विशेष रूप से कहा गया है कि सामान्य खंडों की धारा 6

अधिनियम लागू नहीं होगा, क्योंकि धारा 85 (2) (ए) की साधारण भाषा से एक अलग इरादा दिखाई देता है। अंततः, पैराग्राफ 22 में सात निष्कर्ष बताने के बाद, इस न्यायालय ने कहा कि 1940 के अधिनियम के तहत एक पुरस्कार का प्रवर्तन इस कारण से एक अर्जित अधिकार होगा कि 1940 के अधिनियम की धारा 30 के तहत चुनौती प्रक्रिया थी भारत बनाम क्रिकेट के लिए नियंत्रण बोर्ड के तहत चुनौती प्रक्रिया से व्यापक और पूरी तरह से अलग।

कोच्चि क्रिकेट पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

1996 के अधिनियम की धारा 34, और यह कि भ्रम और कठिनाई से बचने के लिए, "संबंध में" अभिव्यक्ति को संदर्भित करना महत्वपूर्ण होगा, जिसका अर्थ है मध्यस्थता कार्यवाही का पूरा सरगम, जो एक पुरस्कार के प्रवर्तन के साथ शुरू और समाप्त होता है।

37. थिसेन (ऊपर) में निर्णय एक अलग शब्द वाले प्रावधान से संबंधित था, और अभिव्यक्ति "से" और अभिव्यक्ति "के संबंध में" के बीच भाषा में अंतर पर जोर दिया। धारा 85 के तहत निरस्त किए गए अधिनियमों के संदर्भ में, जो कार्यवाहियां

1996 के अधिनियम से पहले शुरू किया गया था निरस्त द्वारा शासित किया जाना था

क्रियाएँ। ये कार्यवाहियाँ कार्यवाहियों का पूरा सरगम होंगी, अर्थात मध्यस्थता कार्यवाहियों के प्रारंभ के चरण से लेकर

मध्यस्थता पुरस्कार के खिलाफ चुनौती कार्यवाही समाप्त हो गई थी।

धारा 26 का हिस्सा जैसा कि 1996 के अधिनियम की धारा 21 द्वारा समझा गया है। धारा 85 (2) (ए) का दूसरा भाग धारा 26 के दूसरे भाग के समान भाषा में इस अंतर के साथ जोड़ा गया है कि धारा 26 के पहले भाग में निहित धारा 21 दूसरी में इसकी अनुपस्थिति से स्पष्ट है। भाग।

38. थिसेन (ऊपर) में निर्णय का पालन एन. एस. नायक (ऊपर) में किया गया था। थिसेन में फैसले के पैराग्राफ 32 को निर्धारित करने के बाद (उपर्युक्त) और उपरोक्त निर्णय के पैराग्राफ 22 और 23, इस न्यायालय ने निष्कर्ष निकालाः

" 13. जैसा कि पैराग्राफ 22 में कहा गया है, बिना किसी आरक्षण के निष्कर्ष 1 में प्रावधान है कि पुराने अधिनियम के प्रावधान नए अधिनियम के लागू होने से पहले शुरू हुई मध्यस्थता कार्यवाही के संबंध में लागू होंगे। निष्कर्ष 2, हमारे विचार में, निष्कर्ष 1 के संदर्भ में पढ़ने की आवश्यकता है, अर्थात, "मध्यस्थता कार्यवाही के संबंध में" वाक्यांश को एक संकीर्ण अर्थ नहीं दिया जा सकता है जिसका अर्थ केवल मध्यस्थता की विचाराधीनता है।
मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाही। इसमें न केवल मध्यस्थ के समक्ष लंबित कार्यवाही शामिल होगी, बल्कि अदालत के समक्ष कार्यवाही और ऐसी कोई भी कार्यवाही भी शामिल होगी जो [2018] 2 एस. सी. आर. है।

पुरस्कार बनने के लिए पुराने अधिनियम के तहत लिया जाना आवश्यक है

उसकी धारा 17 के तहत डिक्री और उत्पन्न होने वाली अपील भी

जो स्पष्ट रूप से दोहराता है कि एक बार मध्यस्थता कार्यवाही पुराने अधिनियम के तहत शुरू किया गया है, पुराना अधिनियम के लिए लागू होगा

पुरस्कार एक डिक्री बन जाता है और उसके तहत उत्पन्न होने वाली अपील के लिए भी।

14. निष्कर्ष 3 केवल वही दोहराता है जो विभिन्न में प्रदान किया गया है

मध्यस्थता के दौरान अपने समझौते के अनुसार प्रक्रिया का विकल्प चुनना मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाही। वाक्यांश "जब तक कि अन्यथा नहीं

विभिन्न धाराओं में उपयोग किए गए पक्षों द्वारा सहमत, अर्थात्, 17,21,

23 (3) , 24 (1) , 25 , 26 , 29 , 31 , 85 (2) (a) आदि इंगित करता है कि यह खुला है पक्षों को अन्यथा सहमत होने के लिए। मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान,

पक्षकारों को अपनी प्रक्रिया तय करने का अधिकार दिया जाता है। तो अगर

के संबंध में पक्षों के बीच एक समझौता है

मध्यस्थ द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, मध्यस्थ है

उक्त प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है। कारण यह है कि मध्यस्थ

पार्टियों के बीच अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया जाता है और अनुबंध के अनुसार कार्य करना आवश्यक है। हालांकि ऐसा नहीं होगा।

इसका मतलब है कि अपील में पक्षकार यह तर्क दे सकते हैं कि अपील

प्रक्रिया उनके समझौते के अनुसार होनी चाहिए। अपीलीय प्रक्रिया वैधानिक प्रावधानों के अनुसार शासित होगी।

हटा लिया जाता है जब तक कि इसके विपरीत कोई विशिष्ट प्रावधान न हो। नए अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। वर्तमान मामलों में,

के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलें लंबित थीं

पुराने अधिनियम के प्रावधान और इसलिए, अपील की आवश्यकता है - उक्त के तहत वैधानिक प्रावधानों के आधार पर निर्णय लिया जाए

एक्ट करें। अतः, प्रस्तुतिकरण में कोई सार नहीं है

अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील। ”

(पृष्ठों पर 63-64)

मिल्कफूड लिमिटेड (ऊपर) में अवमानना निर्णय, का उल्लेख करने के बाद
थिसेन (सुप्रा) और एन. एस. नायक (सुप्रा) में गमेंट्स ने निष्कर्ष निकाला
उस मामले के तथ्यों में, 1940 का अधिनियम लागू होगा न कि 1996 का
ये निर्णय उन्हीं कारणों से अलग किए जा सकते हैं, जैसे कि वे
ओलों करें और थिसेन (सुप्रा) लगाएं।

भारत में क्रिकेट के लिए नियंत्रण बोर्ड v. कोच्चि क्रिकेट पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

39. धारा 26 को पढ़ने से, जैसा कि हमारे द्वारा व्याख्या की गई है, इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि उन सभी मामलों में जहां धारा 34 याचिका दायर की गई है संशोधन अधिनियम के प्रारंभ के बाद और उसमें धारा 36 के तहत स्थगन के लिए आवेदन किए जाने के बाद, धारा 34 द्वारा संशोधित और धारा 36 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। लेकिन, धारा 34 याचिकाओं का क्या होगा जो न्यायालय के समक्ष दायर की गई हैं।

40. इस स्तर पर 1996 के अधिनियम की योजना निर्धारित करना आवश्यक है। एक मध्यस्थता कार्यवाही धारा 21 के तहत शुरू होती है, जब तक कि पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति व्यक्त की जाती है, जब पक्षकारों के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है जिसके लिए विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने का अनुरोध प्रत्यर्थी द्वारा प्राप्त किया जाता है। मध्यस्थता कार्यवाही धारा 32 (1) के तहत अंतिम मध्यस्थता पुरस्कार के वितरण या धारा 32 (2) में उल्लिखित परिस्थितियों से समाप्त हो जाती है। मध्यस्थता न्यायाधिकरण का अधिदेश मध्यस्थता कार्यवाही की समाप्ति के साथ समाप्त हो जाता है, सिवाय इसके कि

धारा 33 की सीमा के भीतर पुरस्कार के सुधार और व्याख्या के लिए, या कार्यवाही में प्रस्तुत किए गए दावों के रूप में एक अतिरिक्त मध्यस्थ पुरस्कार देने के लिए, लेकिन पुरस्कार से हटा दिया गया। एक बार यह समाप्त हो जाने के बाद, उन मामलों में जहां एक मध्यस्थ पुरस्कार दिया जाता है, ऐसा पुरस्कार अंतिम होगा और 1996 के अधिनियम की धारा 35 के तहत उनके तहत दावा करने वाले पक्षों और व्यक्तियों के लिए बाध्यकारी होगा। धारा 36 के तहत, संशोधन से पहले और बाद दोनों में,

ऐसा पुरस्कार सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के प्रावधानों के अनुसार उसी तरीके से "लागू" किया जाएगा जैसे कि यह न्यायालय की डिक्री हो। यह स्पष्ट है कि 1996 के अधिनियम की योजना 1940 के अधिनियम की योजना से भौतिक रूप से अलग है। 1940 के अधिनियम की धारा 17 के तहत, एक बार पुरस्कार दिए जाने के बाद, न्यायालय को पुरस्कार के अनुसार निर्णय सुनाना था, जिसके बाद एक डिक्री तैयार की जाएगी, जिसे तब सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत निष्पादित किया जा सकेगा। 1996 के अधिनियम की धारा 36 के तहत, न्यायालय को पुरस्कार के संदर्भ में निर्णय देने की आवश्यकता नहीं है, जिसके बाद एक डिक्री आती है, जो पक्षों के बीच निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति है। 1996 के अधिनियम की धारा 36 के तहत, पुरस्कार को [2018] 2 एस. सी. आर. माना जाता है।

डिक्री और सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत लागू किया जाएगा।

41. यह हमें सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत एक डिक्री के प्रवर्तन के तरीके पर लाता है। संहिता के तहत एक डिक्री लागू की जाती है

केवल निष्पादन प्रक्रिया के माध्यम से सिविल प्रक्रिया-सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश XXI देखें। इसके अलावा, धारा 36 (3), जैसा कि संशोधित किया गया है, सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों को संदर्भित करता है ताकि एक

धन का फरमान। इसके बदले में, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश एलएक्सआई, नियम 5 का संदर्भ है, जो अध्याय शीर्षक के तहत आता है,

" कार्यवाही और निष्पादन पर रोक "। ऐसा होने पर, यह स्पष्ट है कि धारा 36 किसी अधिनिर्णय के निष्पादन को संदर्भित करती है जैसे कि यह एक डिक्री हो, जो सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXI और आदेश LXI, नियम 5 के प्रावधानों को आकर्षित करती है और इसलिए, मध्यस्थता पुरस्कारों के निष्पादन से संबंधित एक प्रावधान होगा। यह मामला होने के कारण, हमें यह निर्धारित करने के लिए कुछ निर्णयों का उल्लेख करने की आवश्यकता है कि क्या निष्पादन कार्यवाही और उसके समान कार्यवाहियाँ निहित अधिकारों को जन्म देती हैं, और क्या वे मूल प्रकृति के हैं।

42. लालजी राजा एंड संस बनाम। हंसराज नाथूराम, (1971) 1 एस. सी. सी. 721 728 पर, यह न्यायालय एक निर्णय देनदार के अधिकार से संबंधित था

और अन्य क्षेत्र, जिनके परिणामस्वरूप निर्णय देनदार के डिक्री के निष्पादन का विरोध करने के अधिकार की रक्षा की गई थी। इस संदर्भ में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि 1951 के संशोधन अधिनियम ने आदेश दिए, जो हो सकते थे केवल ब्रिटिश भारत में अदालतों द्वारा निष्पादित, पूरे भारत में निष्पादित किया जा सकता है। यह कहते हुए कि किया गया परिवर्तन केवल प्रक्रिया से संबंधित था, इस न्यायालय ने निर्णय दियाः

" 15. यह प्रावधान निस्संदेह संशोधन अधिनियम द्वारा निरस्त कानून के तहत अर्जित अधिकारों और विशेषाधिकारों की रक्षा करता है।

इसलिए निर्णय के लिए सवाल यह है कि क्या गैर

"संहिता" के विस्तार से पहले मध्य भारत में लागू कानून के तहत मुरैना अदालत में डिक्री की निष्पादन क्षमता को निरस्त कानून के तहत अर्जित अधिकार कहा जा सकता है। हम यह नहीं सोचते कि प्रावधान की भाषा पर दबाव डालने से भी यह कहा जा सकता है कि किसी विशेष क्षेत्र के भीतर किसी डिक्री की निष्पादन क्षमता को विशेषाधिकार माना जा सकता है। इसलिए एकमात्र सवाल जिस पर हमें विचार करना है वह यह है कि क्या इसे भारत में क्रिकेट के लिए नियंत्रण की धारा की धारा 20 (1) (बी) के अर्थ के भीतर "अर्जित अधिकार" के रूप में माना जा सकता है।

कोच्चि क्रिकेट पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1950। सबसे पहले, उस प्रावधान का लाभ प्राप्त करने के लिए, डिक्री की गैर-निष्पादनशीलता एक अधिकार होना चाहिए और दूसरा यह एक अधिकार होना चाहिए जो निरस्त कानून के प्रावधानों से प्राप्त हुआ था। निर्णय-देनदार की ओर से यह तर्क दिया जाता है कि जब डिक्री पारित की गई थी, तो उन्हें भारतीय सिविल प्रक्रिया संहिता (जैसा कि अनुकूलित किया गया था) के प्रावधानों को देखते हुए मध्य भारत में डिक्री के निष्पादन का विरोध करने का अधिकार था, जो उस समय मध्य भारत में लागू था और यह एक निहित अधिकार है। उनकी ओर से यह आग्रह किया गया कि उस अधिकार को संरक्षित रखा जाए सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1950 की धारा 20 (1) (बी) द्वारा। मध्य भारत में डिक्री की गैर-निष्पादनशीलता को निर्णय देनदारों के निहित अधिकार के रूप में मानना मुश्किल है। विचाराधीन गैर-निष्पादनशीलता से संबंधित है

कुछ न्यायालयों की अधिकारिता और निर्णय देनदारों के अधिकारों के लिए नहीं। इसके अलावा मध्य भारत में लागू सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों ने निर्णय-देनदारों द्वारा दावा किया गया अधिकार प्रदान नहीं किया। 1951 में पूरे भारत में "संहिता" के विस्तार को देखते हुए जो कुछ हुआ है, वह यह है कि जिन फरमानों को केवल ब्रिटिश भारत में अदालतों द्वारा निष्पादित किया जा सकता था, उन्हें अब पूरे भारत में निष्पादन योग्य बना दिया गया है। किया गया परिवर्तन प्रक्रिया और अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। इससे पहले भी

" संहिता का मध्य भारत तक विस्तार किया गया था, विचाराधीन डिक्री को या तो निर्णय लेने वाले व्यक्ति-देनदारों के खिलाफ निष्पादित किया जा सकता था, अगर वे ब्रिटिश भारत में आए होते या ब्रिटिश भारत में स्थित उनकी किसी भी संपत्ति के खिलाफ।

मध्य भारत राज्य के भीतर आदेश का निष्पादन

इसकी अनुमति नहीं थी क्योंकि "संहिता" की भुजा मध्य भारत तक नहीं पहुंची थी। यह मुरैना अदालत को डिक्री स्थानांतरित करने के आदेश की अयोग्यता थी जो डिक्री धारकों के रास्ते में पहले के अवसर पर उस अदालत में अपनी डिक्री को निष्पादित करने में बाधा बनी थी, न कि फैसले के किसी निहित अधिकार के कारण।

कर्जदार। भले ही निर्णय-देनदारों ने डिक्री के निष्पादन पर आपत्ति नहीं जताई थी, लेकिन इसे पिछले अवसर पर मुरैना की अदालत द्वारा निष्पादित नहीं किया जा सकता था क्योंकि उस अदालत को निष्पादन की कार्यवाही के बारे में ठीक से पता नहीं था। मध्य भारत में "संहिता" के विस्तार से, मुरैना न्यायालय की ओर से अधिकार क्षेत्र की कमी को दूर किया गया और उस न्यायालय को अब डिक्री को निष्पादित करने के लिए सक्षम बनाया गया है।

8] 2 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

16. यह कि एक निरस्त अधिनियम के तहत अर्जित अधिकार को संरक्षित करने के प्रावधान का उद्देश्य निरस्त अधिनियम द्वारा प्रदत्त अमूर्त अधिकारों को संरक्षित करना नहीं था। यह केवल एक या दूसरी घटना होने पर किसी व्यक्ति को दिए गए विशिष्ट अधिकारों पर लागू होता है।

कानून में निर्दिष्ट "लॉर्ड एटकिन की टिप्पणियाँ देखें हैमिल्टन गेल बनाम। सफेद। [(1922) 2 KB 422]। कानून को निरस्त करने की तारीख पर मौजूद केवल अधिकार, का लाभ उठाने के लिए

निरस्त किए गए क़ानून के प्रावधान सामान्य बचत खंड के अर्थ के भीतर "अर्जित अधिकार" नहीं हैं-एबॉट v देखें। भूमि मंत्री [(1895) एसी 425] और जी. ओग्डेन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड।

लिमिटेड वी. लुकास। [(1969) 1 सभी ईआर 121] "

नरहरि शिवराम शेत नारवेकर बनाम। पन्नालाल उमेदीराम (1976) 3 एस. सी. सी. 203 207 पर, इस न्यायालय ने लालजी राजा (उपरोक्त) के बाद निम्नलिखित निर्णय दियाः

" 8. तथापि, अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील

प्रस्तुत किया कि चूंकि सिविल प्रक्रिया संहिता नहीं थी

गोवा में लागू होने वाली डिक्री अप्रवर्तनीय हो गई और यह एक निहित अधिकार होने के कारण अतिरिक्त न्यायिक आयुक्त के समक्ष अपील के लंबित रहने के दौरान गोवा में सिविल प्रक्रिया संहिता के आवेदन द्वारा छीन नहीं लिया जा सकता था। हमें ऐसा लगता है कि निर्णय देनदार के खिलाफ पारित डिक्री का भुगतान करने के अधिकार को निहित अधिकार नहीं कहा जा सकता है, और न ही

डिक्री की निष्पादन क्षमता के प्रश्न को एक के रूप में माना जाए

निर्णय देनदार का मूल निहित अधिकार। क्योंकि निष्पादन कार्यवाही विशुद्ध रूप से प्रक्रिया का विषय है, यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि कानून में कोई भी परिवर्तन जो कारण के लंबित होने के दौरान किया जाता है, उसे संचालन में पूर्वव्यापी माना जाएगा और अपीलीय न्यायालय कानून में परिवर्तन का संज्ञान लेने के लिए बाध्य है।

चूँकि यह स्पष्ट है कि डिक्री का निष्पादन प्रक्रिया के दायरे से संबंधित है, और यह कि निष्पादन का विरोध करने के लिए किसी निर्णय देनदार में कोई ठोस निहित अधिकार नहीं है, धारा 36, प्रतिस्थापित के रूप में, संशोधन अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को लंबित धारा 34 आवेदनों पर भी लागू होगी।

43. इस मामले को थोड़ा अलग तरीके से भी देखा जा सकता है।

कोण। धारा 36, संशोधन अधिनियम से पहले, डिक्री धारक के अधिकार पर केवल एक बाधा है, जो अपने पक्ष में पुरस्कार को निष्पादित नहीं कर सकता है, जब तक कि इस धारा की शर्तों को पूरा नहीं किया जाता

है। इसका यह अर्थ नहीं है कि भारत में क्रिकेट के लिए ऐसे नियंत्रण बोर्ड के निष्पादन पर रोक लगाने का निर्णय देनदार में कोई संबंधित अधिकार है।

कोच्चि क्रिकेट पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

एक पुरस्कार। हालाँकि, अपीलार्थियों की ओर से विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि पुरस्कार में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है, जो धारा 34 की कार्यवाही समाप्त होने के बाद ही एक निष्पादन योग्य डिक्री बन गई है, लेकिन जिसे अब निष्पादन योग्य बना दिया गया है जैसे कि यह तत्काल प्रभाव से एक डिक्री थी, और यह कि यह परिवर्तन, इसलिए, प्रत्यर्थियों के पक्ष में निहित अधिकार या उपार्जित विशेषाधिकार। कई निर्णयों पर भरोसा करते हुए यह तर्क दिया गया है कि धारा 36 के बाद से

यदि पुरस्कारों के प्रवर्तन प्रक्रिया का एक भाग है, तो संशोधन अधिनियम के प्रारंभ से पहले, जहां तक मध्यस्थता कार्यवाही और उसके संबंध में अदालती कार्यवाही शुरू हो चुकी है, वहां तक लागू होने वाले अपरिवर्तित 1996 अधिनियम में अपीलार्थियों के पक्ष में एक निहित अधिकार या कम से कम एक विशेषाधिकार है। अपीलार्थियों के वरिष्ठ वकील, अर्थात् गरिकापति वीराया (उपरोक्त) द्वारा दृढ़ता से भरोसा किए गए फैसले में ही पृष्ठ 515 पर प्रस्ताव (v) में कहा गया है कि अपील का निहित अधिकार लिया जा सकता है।

केवल बाद के अधिनियम द्वारा दूर किया जाता है, यदि यह विशेष रूप से या आवश्यक इरादे से प्रदान करता है और अन्यथा नहीं। हम पहले ही मान चुके हैं कि धारा 26 में विशेष रूप से यह प्रावधान किया गया है कि मध्यस्थता कार्यवाही के संबंध में अदालती कार्यवाही, जो मध्यस्थता कार्यवाही से स्वतंत्र है, को मध्यस्थता कार्यवाही की निरंतरता के रूप में नहीं देखा जाएगा, बल्कि इसे अलग से देखा जाएगा। यह मामला होने के कारण, इसका उल्लेख करना अनावश्यक है

भारत संघ जैसे निर्णय v. ए. एल. रालिया राम, (1964) 3 एस. सी. आर. 164 और एन. बी. सी. सी. लिमिटेड बनाम। जे. जी. इंजीनियरिंग (पी) लिमिटेड, (2010) 2 एस. सी. सी. 385, जिसमें कहा गया है कि धारा 34 की कार्यवाही एक पर्यवेक्षी है न कि अपीलीय कार्यवाही। स्नेहदीप स्ट्रक्चर्स (पी) लिमिटेड बनाम। महाराष्ट्र

लघु उद्योग विकास निगम। लिमिटेड, (2010) 3 एस. सी. सी. 34 47-49 पर, जिसे यह कहने के उद्देश्य से उद्धृत किया गया था कि धारा 34 की कार्यवाही को छोटे पैमाने और सहायक को विलंबित भुगतान पर ब्याज की धारा 7 के अर्थ के भीतर "अपील" के रूप में माना जा सकता है।

औद्योगिक उपक्रम अधिनियम, 1993, स्पष्ट रूप से इस आधार पर अलग किया जा सकता है कि यह एक लाभकारी अधिनियम में दिखाई देने वाली उक्त अभिव्यक्ति से संबंधित है, जिसका उद्देश्य विफल हो जाएगा यदि "अपील" शब्द में धारा 34 आवेदन शामिल नहीं है। उपरोक्त निर्णय से ही यह स्पष्ट हो जाता हैः

" 36. उपर्युक्त निर्णयों की अधिकता के अवलोकन पर, हमारा विचार है कि "अपील" एक ऐसा शब्द है जो इसके साथ व्यापक अर्थ रखता है और अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग विभिन्न रूपों में किया जा सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि

अपीलीय अधिकारिता के प्रयोग में हमेशा तथ्यों और कानून के पूरे मैट्रिक्स का पुनः आंदोलन शामिल होगा। हम पहले ही [2018] 2 एस. सी. आर. देख चुके हैं।

अभयंकर [(1969) 2 एस. सी. सी. 74] में कहा गया है कि संहिता की धारा 115 के तहत संशोधन की सीमित शक्ति के आधार पर पारित आदेश को भी अपीलीय अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के रूप में माना जाता है, हालांकि उस प्रावधान के तहत, न्यायालय तथ्यों के प्रश्नों में नहीं जा सकता है। "अपील" शब्द को इतना व्यापक अर्थ देने के पक्ष में अधिकारियों के महत्व को देखते हुए, हम विद्वान वकील के तर्क से असहमत होने के लिए विवश हैं।

प्रत्यर्थी निगम कि अपील का अर्थ केवल एक डिक्री या आदेश के लिए एक चुनौती होगी जहां विवादित आदेश/डिक्री के संबंध में कानून और तथ्य के पूरे मैट्रिक्स को फिर से उत्तेजित किया जा सकता है। वहाँ

इस बात में कोई विवाद नहीं है कि धारा 34 किसी पुरस्कार को चुनौती देने के केवल सीमित आधारों की परिकल्पना करती है; हालाँकि, हम कोई कारण नहीं देखते हैं कि अकेले धारा 34 के तहत एक आवेदन को अपील के दायरे से बाहर क्यों लिया जाना चाहिए, विशेष रूप से जब संशोधन की शक्ति को भी इस न्यायालय और प्रिवी काउंसिल द्वारा अपीलीय अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के रूप में माना जाता है। XXX XXX XXX

40. यह ध्यान दिया जा सकता है कि धारा 6 (1) खरीदार को किसी भी कार्यवाही के माध्यम से देय भुगतान प्राप्त करने का अधिकार देती है। इस प्रकार जिन कार्यवाहियों का खरीदार सहारा ले सकता है, उनमें कोई संदेह नहीं है कि मध्यस्थता भी शामिल है। यह ध्यान रखना उचित है कि धारा 6 (2) के विपरीत, धारा 6 (1) में यह नहीं कहा गया है कि यदि पक्ष मध्यस्थता का सहारा लेना चुनते हैं, तो उसके अनुसरण में कार्यवाही

मध्यस्थता अधिनियम द्वारा शासित होना। इसलिए, सही संदर्भ जिसमें "अपील" शब्द के अर्थ की व्याख्या की जानी चाहिए

ब्याज अधिनियम स्वयं। के तहत इस शब्द का अर्थ

इसी कारण से, हम यह भी प्रासंगिक नहीं पाते हैं कि मध्यस्थता अधिनियम दो अलग-अलग अध्यायों में आवेदनों और अपीलों से संबंधित है। हम ब्याज अधिनियम में "अपील" शब्द के अर्थ से चिंतित हैं, न कि मध्यस्थता अधिनियम में।

44. प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि धारा 36 (2) में "किया गया है", जैसा कि संपादित किया गया है, यह स्पष्ट करेगा कि धारा स्वयं धारा 34 का उल्लेख करती है जो धारा के प्रारंभ से पहले दायर की गई थी।आई. एम. एन. टी. अधिनियम और यह कि, इसलिए, उक्त धारा, इसकी पीड़ा पर, धारा 34 के उन आवेदनों पर भी लागू होगी जो भारत में क्रिकेट के लिए नियंत्रण बोर्ड से पहले दायर किए गए हैं।

कोच्चि क्रिकेट पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

संशोधन अधिनियम के प्रारंभ तक। इस उद्देश्य के लिए, बॉम्बे राज्य बनाम में निर्णय। विष्णु रामचंद्र (1961) 2 एस. सी. आर. 26 पर दृढ़ता से भरोसा किया गया था। उस फैसले में, बॉम्बे पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 57 पर विचार करते हुए यह कहा गया था कि "दंडित किया गया है" अभिव्यक्ति वर्तमान पूर्ण काल में है और इसका अर्थ या तो "किया गया होगा" या "होगा" हो सकता है। समग्र रूप से अधिनियम की योजना को देखते हुए, न्यायालय ने महसूस किया कि "होना चाहिए" अधिक उपयुक्त है। इस निर्णय का उल्लेख वर्कमेन v के पैराग्राफ 60 और 61 में किया गया था। फायरस्टोन टायर एंड रबर कंपनी ऑफ इंडिया (पी) लिमिटेड, (1973) 1 एस. सी. सी. 813 838 पर और अनुपात यह था कि इस तरह की अभिव्यक्ति हो सकती है।

अतीत या भविष्य की घटनाओं से संबंधित है, जिन्हें संदर्भ के साथ-साथ विशेष विधान की योजना से एकत्र किया जाना है। इस संदर्भ में

जिस औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 11 ए को अधिनियमित किया गया था, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 11 ए नियोक्ता के अधिकारों को कम करके कानून में बदलाव का प्रभाव डालती है। ऐसा होने पर, "किया गया है" अभिव्यक्ति केवल भविष्य की घटनाओं को संदर्भित करेगी और इसका 15 दिसंबर, 1971 से पहले के विवादों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तथापि, एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

" 63. इस स्तर पर यह कहा जाना चाहिए कि प्रक्रियात्मक कानून को हमेशा पूर्वव्यापी रूप से भी संचालित करने के लिए माना गया है, क्योंकि किसी भी पक्ष के पास निहित स्वार्थ नहीं हैं।

प्रक्रिया में सही.. 99

यह इस तथ्य का एक संकेत होगा कि उक्त धारा वास्तव में अपने प्रतिस्थापित रूप में ऐसी याचिकाओं पर भी लागू होगी। एल 'ऑफिस चेरिफ़ियन डेस फॉस्फेट्स और एक अन्य वी में निर्णय। यामाशिता-शिन्नीहोन स्टीमशिप कं. लिमिटेड, (1994) 1 एसी 486 निर्देशात्मक है। एक नया खंड

13 ए 1 जनवरी, 1992 से लागू किया गया था, जिसके द्वारा मध्यस्थों को दावे को खारिज करने की शक्ति निहित की गई थी यदि दावे को आगे बढ़ाने में दावेदार की ओर से कोई अत्यधिक या अक्षम्य देरी नहीं होती है। यह धारा इसलिए अधिनियमित की गई थी क्योंकि हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने एक निश्चित निर्णय में सुझाव दिया था कि मध्यस्थता में इस तरह की देरी से स्वयं दावे की अस्वीकृति नहीं हो सकती है। लॉर्ड मस्टिल ने इस धारा के अधिनियमन का कारण इस प्रकार बतायाः

" मेरे स्वामी, ब्रेमर वल्कन मामले में सदन के निर्णय का प्रभाव, अदालतों की किसी भी वैकल्पिक उपाय को प्रस्तुत करने में असमर्थता के साथ जो [2018] 2 एस. सी. आर. के लिए एक उपाय प्रदान कर सकता है।

पुराने दावों का दुरुपयोग, अस्वीकृति का एक कोरस पैदा किया जो

शक्तिशाली, निरंतर और (जहाँ तक मुझे पता है) वस्तुतः सर्वसम्मत। विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। आलोचनाएँ आईं

हर तिमाही से। कई राष्ट्रमंडल देशों ने जल्दबाजी की

न्यायालय या मध्यस्थ को प्रदान करने वाला विधान प्रस्तुत किया गया,

मध्यस्थता में पुराने दावों को खारिज करने का अधिकार क्षेत्र। का इतिहास

मामला, और कारण कि सवाल इतना आसान क्यों नहीं था

यह प्रकट हो सकता है, प्रकाशित एक लेख में संक्षेपित किया गया था 1989 में सर थॉमस बिंघम (आर्बिट्रेशन इंटरनेशनल, वॉल्यूम।

5 , पीपी। 333 इत्यादि।) , और यहाँ उनका पूर्वाभ्यास करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

विभिन्न प्रत्यक्ष कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए विभागीय

मध्यस्थता पर सलाहकार समिति ने कुछ समय के लिए दोनों के रूप में संकोच किया

सिद्धांत और इस बारे में कि क्या खारिज करने की शक्ति होनी चाहिए अदालत या मध्यस्थ में निहित, लेकिन सभी से दबाव

क्वार्टर अप्रतिरोध्य हो गए और 1990 में अदालतें और कानूनी सेवा अधिनियम धारा 102 के माध्यम से जोड़ा गया

मध्यस्थता अधिनियम, 1950 में नई धारा 13 ए।

(पृष्ठ 522 पर)

उस मामले में जो अनुमान लगा वह यह था कि क्या देरी हुई थी

धारा के लागू होने से पहले पुनरावृत्ति कर्ता द्वारा उस मामले में दावे को अस्वीकार करने के लिए ध्यान में रखा जा सकता था। द हाउस ऑफ

माना कि परिवर्तन के लिए कोलाहल दिया गया और व्यावहारिक दिया गया

और इसमें शामिल अधिकारों की प्रकृति को देखने की अनुमति होगी

धारा के लागू होने से पहले भी। अपने समापन में एफ़, लॉर्ड मस्टिल ने कहाः

" इस संदर्भ में, मैं धारा 13 ए की भाषा की ओर मुड़ता हूं, जिसका अर्थ है -

संदेह का मामला, इसकी विधायी पृष्ठभूमि के संदर्भ में। द.

कुल मिलाकर, यह प्रदर्शित करने के लिए कि देरी में सभी देरी शामिल हैं जो अन्याय के पर्याप्त जोखिम का कारण बना है। अगर वहाँ थे

इस बारे में कोई संदेह शिकायतों का जोरदार और लंबा कोरस मध्यस्थता में प्रथाओं के बीच विसंगति के बारे में और

उच्च न्यायालय, और कुछ के लिए बढ़ती अधीरता

इसके बारे में किया जाए, तो स्पष्ट रूप से दिखाएं कि धारा 13 ए का उद्देश्य था

शुरू से ही पूरी तरह से काटना। यदि स्थिति अन्यथा थी इसका पालन किया जाएगा, हालांकि संसद ने भारत में क्रिकेट के लिए नियंत्रण बोर्ड की सलाह को स्वीकार कर लिया है।

कोच्चि क्रिकेट पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

उन सभी लोगों में से जिन्होंने आग्रह किया था कि इस आपत्तिजनक प्रणाली को समाप्त किया जाना चाहिए, और परेशानी को समझ लिया है और एक उपाय प्रदान किया है, उन्होंने खुद को पहले से ही अपरिवर्तनीय रूप से अन्याय के जोखिम के साथ मुहर लगी मध्यस्थता कार्यवाही को जारी रखने के लिए सुलझा लिया है। मुझे यह स्वीकार करना असंभव लगता है कि संसद का इरादा हो सकता था ऐसी कोई भी बात, और उन लोगों के प्रति उचित सम्मान के साथ जिन्होंने अन्यथा सुझाव दिया है, मैं धारा 13 ए का अर्थ मुझे यह समझाने के लिए पर्याप्त रूप से स्पष्ट पाता हूं कि सुधार के हित में संसद विधान को आंशिक रूप से पूर्वव्यापी प्रभाव देने में शामिल बहुत योग्य प्रकार की कठिनाई को सहन करने के लिए तैयार थी। तदनुसार, मैं बेल्डम एल. जे. से सहमत हूँ कि मध्यस्थ के पास वे शक्तियाँ थीं जिनके लिए

उन्होंने व्यायाम करने का इरादा किया। इसलिए मैं अपील की अनुमति दूंगा और

मध्यस्थ के निर्णय को बहाल करें "।

46. 2004 में, राष्ट्रीय एल्यूमीनियम में इस न्यायालय का निर्णय

कंपनी (ऊपर) ने सिफारिश की थी कि धारा 36 को प्रतिस्थापित किया जाए, क्योंकि यह वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली के उद्देश्य को विफल कर देती है, और कानून में आवश्यक परिवर्तन लाने के लिए धारा में जल्द से जल्द संशोधन किया जाना चाहिए। यह स्पष्ट होगा कि वर्तमान में शामिल अधिकारों के व्यावहारिक पहलू और प्रकृति को देखते हुए, और असंशोधित प्रावधान की सरासर अनुचितता, जिसने धारा 34 की प्रवर्तन प्रक्रिया समाप्त होने से पहले एक पुरस्कार के निष्पादन पर स्वतः रोक लगा दी थी। (और जो रोक कई वर्षों तक चल सकती है) प्रत्येक मामले के तथ्यों को देखे बिना, यह स्पष्ट है कि संशोधित धारा 36 उपरोक्त कारणों से भी संशोधन अधिनियम के प्रारंभ से पहले दायर धारा 34 के आवेदनों पर लागू होनी चाहिए।

47. दोनों पक्षों ने इस बात पर विवाद किया कि क्या धारा 36 के तहत एक कार्यवाही को एक कार्यवाही कहा जा सकता है जो धारा 34 के तहत एक कार्यवाही से स्वतंत्र है। ऊपर हमारे द्वारा जो माना गया है, उसे देखते हुए, हमारे लिए फोरेंसिक तर्क के इस उप-मार्ग में जाना अनावश्यक है।

48. हालांकि, श्री विश्वनाथन ने दृढ़ता से इस पर भरोसा किया

थिसेन (ऊपर) में पैराग्राफ 32 में की गई टिप्पणियाँ और हमीद जोहारन बनाम में निर्णय। अब्दुल सलाम, (2001) 7 एससीसी 573। इसमें कोई संदेह नहीं है कि थिसेन (उपरोक्त) में अनुच्छेद 32, पहली बार में, श्री विश्वनाथन के रुख का समर्थन करता है। हालाँकि, यह 1940 के अधिनियम की धारा 17 के तहत प्रवर्तन के लिए तंत्र के संदर्भ में कहा गया था, जो, जैसा कि हमने देखा है, 1996 के अधिनियम की धारा 36 से अलग है, क्योंकि "मध्यस्थता कार्यवाही के संबंध में" अभिव्यक्ति, जो मध्यस्थता [2018] 2 एस. सी. आर. के समक्ष मध्यस्थता कार्यवाही से शुरू होती है।

न्यायाधिकरण और पुरस्कार के प्रवर्तन के साथ समाप्त होता है। यह 1940 के अधिनियम की संरचना के 1996 के अधिनियम की संरचना से पूरी तरह से अलग होने के संदर्भ में भी था, जिसने 1940 के अधिनियम को निरस्त कर दिया था। वर्तमान में मामले में, यह स्पष्ट है कि धारा 36 में "प्रवर्तन" पुरस्कार को एक डिक्री के रूप में मानना है और इसे सिविल संहिता के तहत लागू करना है।

प्रक्रिया, जिसका केवल यह अर्थ होगा कि इस तरह की डिक्री को इंगित तरीके से निष्पादित किया जाना है। इसके अलावा, एक विशेष मामले में एक फैसले में एक आवारा वाक्य

संदर्भ को ऐसे संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता है और ऐसी स्थिति में लागू किया जा सकता है जहां यह तर्क दिया गया है कि प्रवर्तन और निष्पादन एक ही है, कम से कम 1996 के अधिनियम के उद्देश्य के लिए। क्षेत्रीय प्रबंधक और ए. एन. आर. वी. पवन कुमार दुबे (1976) 3 एससीआर 540,544 पर आयोजित किया गया थाः

" हमारा मानना है कि अनुच्छेद 311 (2) को लागू करने में शामिल सिद्धांतों को शमशेर सिंह के मामले में पर्याप्त रूप से समझाया गया है।

प्रत्येक मामले के अनुपात निर्णय को सही ढंग से समझा जाता है। यह कानून के अनुप्रयोग से लेकर किसी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तक का वह नियम है जो उसके अनुपात का निर्धारण करता है न कि उन तथ्यों के आधार पर कुछ निष्कर्ष जो प्रतीत हो सकते हैं - समान हो। एक अतिरिक्त या अलग तथ्य दो मामलों में निष्कर्षों के बीच अंतर की दुनिया बना सकता है, भले ही प्रत्येक मामले में समान सिद्धांतों को समान तथ्यों पर लागू किया जाए।

49. इसी कारण से, यह स्पष्ट है कि हमीद जोहारन (ऊपर) में निर्णय, जिसमें कहा गया था कि निष्पादन और प्रवर्तन थे कानून में विभिन्न अवधारणाएं, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 35 के साथ पठित सीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 136 के संदर्भ में थीं, जो पूरी तरह से अलग है। उस मामले में तर्क यह था कि सीमा अधिनियम का अनुच्छेद 136 किसी डिक्री या आदेश के निष्पादन के लिए 12 साल की अवधि निर्धारित करता है, जब वह लागू करने योग्य हो जाता है। यह तर्क दिया गया था कि यह केवल तभी लागू होगा जब भारत में क्रिकेट के लिए नियंत्रण बोर्ड की धारा 35 v.

उक्त उद्देश्य के लिए डाक टिकट अधिनियम का उल्लेख किया गया था। इस संदर्भ में, इस न्यायालय ने कहाः

न तो लागू करने योग्य हो जाता है जब तक कि तैयार नहीं किया जाता है और उसमें तल्लीन नहीं किया जाता है
डाक टिकट। सीमा की अवधि, इसमें तर्क दिया गया है

विभाजन डिक्री का सम्मान, तब तक चलना शुरू नहीं कर सकता जब तक कि यह नहीं है

आवश्यक स्टाम्प पेपर पर तल्लीन। इस प्रकार यह हुआ है

भारतीय डाक टिकट की धारा 35 के तहत एक विधायी प्रतिबंध

विभाजन डिक्री के प्रवर्तन के लिए अधिनियम। श्री मणि ने तर्क दिया उस प्रवर्तन में पुरस्कार प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया शामिल है

साथ ही निष्पादन क्योंकि निष्पादन का अर्थ अन्यथा देय है

सभी औपचारिकताओं का प्रदर्शन, एक को वैधता देने के लिए आवश्यक

दस्तावेज़। लेकिन हम अपनी सहमति दर्ज करने में असमर्थ हैं।

इसके साथ। बारह वर्ष की अवधि का प्रिस्क्रिप्शन निश्चित नहीं हो सकता है। संभवतः पूरी तरह से असंबद्ध अधिनियम द्वारा मिटा दिया जाए

इसके साथ। अनुच्छेद 136 के तहत स्वीकृत विधायी जनादेश

इसे तब तक स्थगित नहीं रखा जा सकता जब तक कि वही कानून नहीं बनाता है इसके लिए एक प्रावधान। यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि गुजरने से

एक अंतिम डिक्री, अधिकार स्पष्ट हो जाते हैं और इसके बाद ही

इसकी प्रवर्तनीयता हो सकती है, हालांकि अन्यथा नहीं।

(
पृष्ठ 593 पर)

यही कारण है कि यह कहा गया था कि सीमा अधिनियम के तहत एक डिक्री की प्रवर्तनीयता स्टाम्प अधिनियम की धारा 35 का विषय नहीं हो सकती है। इसलिए, स्टाम्प अधिनियम की धारा 35 को सीमा अधिनियम को "खत्म" करने के लिए नहीं माना जा सकता है और इस प्रकार, इसे पूरी तरह से मंजूरी दी जा सकती है।

सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 136 का विधायी आशय। यहाँ फिर से, पूरी तरह से अलग संदर्भ में की गई टिप्पणियों को उस संदर्भ में समझना होगा और पूरी तरह से अलग स्थिति पर लागू नहीं किया जा सकता है।

50. वास्तव में, यह देखा गया कि डाक टिकट प्रस्तुत करना

कागज उस मामले में पूरी तरह से अपीलार्थी के अधिकार क्षेत्र और नियंत्रण के भीतर एक कार्य था, और इसे प्रस्तुत करने के मामले में किसी भी देरी को संभवतः सीमा को रोकने के लिए नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कोई भी अपनी गलती का लाभ नहीं उठा सकता है (पैराग्राफ 13 देखें)। वास्तव में, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि

जब तक निष्पादन और प्रवर्तन के बीच कोई अंतर नहीं किया जाता, तब तक उस मामले में परिणाम "पूरी तरह से बेतुका" हो जाएगा। अदालत ने कहा, "बेतुकी बात अदालत के आदेश की व्याख्या का परिणाम नहीं हो सकती है और जहां भी इस तरह की बेतुकी बात की संभावना है, वह [2018] 2 एस. सी. आर. होगी।

51. श्री विश्वनाथन ने तब हमें अक्कायनकेर बनाम में इस न्यायालय के फैसले के लिए संदर्भित किया। ए. ए. ए. कोटचदैनायडू और अन्र। (2004) 12 एससीसी 469 , जो उनके अनुसार, हमीद जोहारन (ऊपर) के फैसले का पालन करता है। इस निर्णय का फिर से इस सरल कारण से कोई अनुप्रयोग नहीं होगा कि उस मामले में जो संकीर्ण बिंदु तय किया गया था, वह यह था कि क्या सीमा अधिनियम की धारा 136 के तहत डिक्री के निष्पादन के लिए समय अवधि शुरू होगी जब डिक्री मूल रूप से बनाई गई थी या क्या ऋण राहत अधिनियम द्वारा डिक्री को काफी हद तक कम करने के बाद संशोधित किए जाने के बाद सीमा की एक नई अवधि शुरू होगी। इस न्यायालय ने कहा कि चूंकि मूल डिक्री को लागू नहीं किया जा सकता है और केवल संशोधित डिक्री को लागू किया जा सकता है, इसलिए संशोधित डिक्री की तारीख से 12 साल गिने जाने चाहिए। यह स्पष्ट है कि यह निर्णय भी मामले को आगे नहीं ले जाता है।

52. यह भी तर्क दिया गया कि एक पुरस्कार की अपने आप में कोई कानूनी प्रभावकारिता नहीं है, जब तक कि यह लागू करने योग्य नहीं हो जाता है, और इसलिए, जब तक इसे न्यायालय के आदेश के रूप में लागू नहीं किया जा सकता है, तब तक यह निलंबित रहेगा। यहाँ फिर से, सतीश कुमार (ऊपर) का निर्णय अत्यंत शिक्षाप्रद है। उस मामले में सवाल यह था कि क्या 1940 के अधिनियम के तहत, किसी निर्णय के आने से पहले किसी पुरस्कार की कोई कानूनी प्रभावकारिता थी और इसे एक डिक्री में बदल दिया गया था। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने कहा कि जब तक इसे न्यायालय का नियम नहीं बनाया जाता है, तब तक ऐसा निर्णय बेकार कागज है। यह न्यायालय दृढ़ता से असहमत था और उत्तम सिंह दुग्गल एंड कंपनी बनाम में अपने गैर-सूचित निर्णय का पालन किया। भारत संघ इस प्रकार हैः

" हमें ऐसा लगता है कि दोनों पूर्ण पीठों द्वारा अपने निष्कर्ष के लिए दिया गया मुख्य कारण उत्तम सिंह दुग्गल एंड कंपनी बनाम मामले में इस न्यायालय द्वारा अपने गैर-सूचित निर्णय में दिए गए निर्णय के विपरीत है। भारत संघ [1962 की सिविल अपील संख्या 162-11-10-1962 पर दिया गया निर्णय]। इस मामले में तथ्य, जल्द ही कहा गया था कि उत्तम सिंह दुग्गल एंड कंपनी ने अधीनस्थ न्यायाधीश, हजारीबाग के न्यायालय में अधिनियम की धारा 33 के तहत एक आवेदन दायर किया था। भारत संघ, प्रत्यर्थी 1 ने प्रत्यर्थी 2, कर्नल एस. के. बोस से प्रत्यर्थी 1 और अपीलार्थी कंपनी के बीच विवाद के मामले में निर्णय लेने का आह्वान किया। उत्तम सिंह दुग्गल एंड कंपनी का मामला यह था कि यह कथित संदर्भ

प्रत्यर्थी 2 उन मामलों पर निर्णय के लिए जो कथित रूप से उनके और प्रत्यर्थी 1 के बीच विवाद में हैं, भारत में क्रिकेट के लिए नियंत्रण का सक्षम अनुच्छेद नहीं था।

कोच्चि क्रिकेट पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

क्योंकि 23 अप्रैल, 1952 को प्रत्यर्थी 2 द्वारा पारित एक निर्णय द्वारा उनके बीच सभी प्रासंगिक विवादों का निर्णय लिया गया था। उच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ यह अभिनिर्धारित किया कि पहला पुरस्कार दूसरे संदर्भ की क्षमता के खिलाफ कोई बाधा पैदा नहीं करता है। अपील पर इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने के बाद कि धारा 33 के तहत आवेदन सक्षम था, निम्नलिखित रूप में देखा गयाः

" पुरस्कार के प्रभाव के संबंध में वास्तविक कानूनी स्थिति विवाद में नहीं है। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि एक सामान्य नियम के रूप में, सभी दावे जो मध्यस्थता के संदर्भ का विषय हैं, उस निर्णय में विलय हो जाते हैं जो पहले की कार्यवाही में सुनाया जाता है। मध्यस्थ और यह कि एक पुरस्कार घोषित होने के बाद,

उक्त दावों के संबंध में पक्षों के अधिकारों और देनदारियों का निर्धारण केवल उक्त पुरस्कार के आधार पर किया जा सकता है। एक पुरस्कार घोषित होने के बाद, मूल दावे पर कोई कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती है जो विषय था -

संदर्भ। जैसा कि मुखर्जी, जे. ने भजहारी साहा बनिक्य बनाम के मामले में देखा है। बिहारी लाल बसाक [33 कल. 881 पी पर। 898] पुरस्कार, वास्तव में, पक्षकारों की अपनी पसंद के न्यायालय का एक अंतिम निर्णय है, और जब तक उस पर महाभियोग नहीं चलाया जाता है। एक उचित कार्यवाही में पर्याप्त आधार, एक पुरस्कार, जो इसके नियमित तथ्य पर है, प्रस्तुत किए गए विवाद के गुण-दोष पर निर्णायक है, जब तक कि संभवतः पक्षों का इरादा नहीं है कि पुरस्कार अंतिम और निर्णायक नहीं होगा। वास्तव में, एक पुरस्कार में जीवन शक्ति के सभी तत्व होते हैं, भले ही इसे औपचारिक रूप से लागू नहीं किया गया हो, और उसी विषय से संबंधित पक्षों के बीच मुकदमे में इस पर भरोसा किया जा सकता है।

बात "। विद्वान न्यायाधीश के अनुसार, यह निष्कर्ष इस प्राथमिक सिद्धांत पर आधारित है कि पक्षकारों और उनकी निजता के बीच के रूप में, एक पुरस्कार उस सम्मान का हकदार है जो अंतिम उपाय की अदालत के फैसले के कारण है। इसलिए, यदि पक्षकारों के बीच घोषित किए गए निर्णय को वास्तव में, या कानूनी रूप से, वर्तमान विवाद से निपटा हुआ माना जा सकता है, तो दूसरा संदर्भ अक्षम होगा। यह

स्थिति भी गंभीर रूप से विवादित नहीं रही है और न ही हो सकती है।

इस न्यायालय ने तब गुण-दोष के आधार पर निर्णय दिया कि अधिक भुगतान के संबंध में विवाद जिसे मध्यस्थता के लिए भेजा जाना चाहिए।

दूसरे संदर्भ द्वारा प्रत्यर्थी 2 के विवाद नए विवाद नहीं हैं; वे उन दावों के संबंध में विवाद हैं जो मुख्य अभियंता को पहले [2018] 2 एस. सी. आर. के तहत मध्यस्थता के समक्ष करने चाहिए थे।

संदर्भ "। इस न्यायालय ने तदनुसार अपील की अनुमति दी और फैसला सुनाया

उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को दरकिनार कर दिया।

यह निर्णय हम पर बाध्यकारी है। हमारी राय में यह निर्णय देता है

कि अधिनियम के तहत स्थिति किसी भी तरह से अलग नहीं है

अधिनियम के लागू होने से पहले यह क्या था, और यह कि एक पुरस्कार

विचाराधीन केवल एक अपशिष्ट कागज नहीं है, बल्कि इसका कुछ कानूनी प्रभाव है यह स्पष्ट रूप से अर्थ के भीतर संपत्ति को प्रभावित करता है या प्रभावित करता है

पंजीकरण अधिनियम की धारा 17 (1) (बी)।

(पृष्ठों पर 248-249)

53. न्यायमूर्ति हेगड़े, एक अलग सहमति वाले फैसले में, विशेष रूप से

कहा गया है कि एक पुरस्कार संपत्ति में अधिकार पैदा करता है, लेकिन उन अधिकारों को तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक कि पुरस्कार को न्यायालय का आदेश नहीं बनाया जाता है। विद्वान न्यायाधीश ने इसे बहुत अच्छी तरह से रखा जब उन्होंने कहा, "यह कहना एक बात है कि अधिकार नहीं बनाया जाता है, यह कहना पूरी तरह से अलग बात है कि बनाए गए अधिकार को आगे के कदमों के बिना लागू नहीं किया जा सकता है"। संशोधन अधिनियम ने एक पुरस्कार को केवल सशर्त रूप से निष्पादित करने योग्य बनाया है, जैसे कि एक न्यायालय का निर्णय, केवल अंतर यह है कि इस तरह के पुरस्कार के निर्माण के बाद एक डिक्री को औपचारिक रूप से तैयार नहीं करना होगा।

54. श्री विश्वनाथन ने तब आर. राजगोपाल पर भरोसा करते हुए तर्क दिया

रेड्डी बनाम। पद्मिनी चंद्रशेखरन (1995) 2 एस. सी. सी. 630, फुएर्स्ट डे लॉसन लिमिटेड बनाम। जिंदल एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (2001) 6 एस. सी. सी. 356, सेडको फॉरेक्स इंटरनेशनल ड्रिल। इंक. वी. सी. आई. टी. (2005) 12 एस. सी. सी. 717 और बैंक ऑफ बड़ौदा बनाम अनीता नंदराजोग (2009) 9 एस. सी. सी. 462 में कहा गया है कि एक स्पष्टीकरणात्मक संशोधन केवल तभी पूर्वव्यापी हो सकता है, जब यह कानून को पर्याप्त रूप से नहीं बदलता है, बल्कि केवल कुछ संदेह को स्पष्ट करता है जो कानून में आ गया है। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने हमें धारा 34 में किए गए संशोधनों के बारे में बताया।

संशोधन अधिनियम द्वारा और कहा गया कि इस तथ्य के बावजूद कि धारा 34 (2) के स्पष्टीकरण 1 और 2 में कहा गया है कि "किसी भी संदेह से बचने के लिए, यह स्पष्ट किया गया है", यह ऐसी भाषा नहीं है जो प्रकृति में निर्णायक है, लेकिन यह अदालत के लिए खुला है कि क्या वास्तव में, पहले की स्थिति से कोई ठोस परिवर्तन किया गया है या क्या संदेह को केवल स्पष्ट किया गया है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, चूंकि मौलिक परिवर्तन किए गए हैं, इसलिए इस न्यायालय के कम से कम दो निर्णयों, सॉ पाइप्स लिमिटेड (ऊपर)

और वेस्टर्न गेको (ऊपर) को समाप्त कर दिया गया है, जैसा कि एचआरडी कॉर्पोरेशन (मार्कस ऑयल एंड केमिकल डिवीजन) v के पैराग्राफ 18 में कहा गया है। गेल (इंडिया) लिमिटेड (पूर्व में भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड) 2017 एस. सी. सी. ऑनलाइन 1024, यह स्पष्ट है कि भारत में क्रिकेट के लिए ऐसा नियंत्रण बोर्ड बनाम.

कोच्चि क्रिकेट पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

संशोधन केवल संभावित प्रकृति के होंगे। हम उपरोक्त विवाद पर कोई राय व्यक्त नहीं करते हैं क्योंकि किए गए संशोधन

धारा 34 सीधे हमारे सामने नहीं है। यह कहना पर्याप्त है कि संशोधन अधिनियम की धारा 26 यह स्पष्ट करती है कि समग्र रूप से संशोधन अधिनियम संभावित प्रकृति का है। इसके बाद, क्या कुछ प्रावधान स्पष्टीकरणात्मक, घोषणात्मक या प्रक्रियात्मक हैं और इसलिए, पूर्वव्यापी, एक अलग और स्वतंत्र जांच है, जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है

ऊपर इंगित सीमा को छोड़कर, वर्तमान मामलों के तथ्यों में कार्य करना, अर्थात् संशोधन अधिनियम की प्रतिस्थापित धारा 36 का प्रभाव। 55. अपीलार्थियों के विद्वान वकीलों ने उन विसंगतियों की एक अस्पष्ट तस्वीर पेश की है जो संशोधन अधिनियम के सामान्य होने की स्थिति में उत्पन्न होंगी।

आवेदन में पूर्वव्यापी बनाया जाना। चूँकि हम पहले ही मान चुके हैं कि संशोधन अधिनियम केवल लागू होने में संभावित है, इसलिए ऐसी कोई विसंगतियाँ संभवतः उत्पन्न नहीं हो सकती हैं। यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि धारा 21 को उस तारीख के रूप में चुनना जिस दिन संशोधन अधिनियम शुरू की गई मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू होगा, समान रूप से विभिन्न विसंगतियों को जन्म देने के लिए कहा जा सकता है। ऐसी ही एक विसंगति यह हो सकती है कि मध्यस्थता समझौता स्वयं वर्षों पहले किया गया हो और पक्षकारों के बीच विवाद उक्त मध्यस्थता समझौते के कई वर्षों बाद उत्पन्न हो सकते थे। अपीलार्थियों की ओर से तर्क यह है कि पक्षकार कानून के आधार पर आगे बढ़ने के हकदार हैं क्योंकि यह उस तारीख को मौजूद है जब उन्होंने विवादों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए एक समझौता किया था। यदि ऐसा मामला होता, तो संशोधन अधिनियम के आवेदन का प्रारंभिक बिंदु केवल तभी होता है जब प्रत्यर्थी को मध्यस्थता का नोटिस प्राप्त होता है, जो जैसा कि ऊपर कहा गया है, मध्यस्थता समझौता किए जाने के कई साल बाद हो सकता है, स्वयं इस विसंगति को जन्म देगा कि संशोधित कानून वर्षों बाद भी मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू होगा जब भी कोई विवाद उत्पन्न होता है और धारा 21 के तहत मध्यस्थता का नोटिस जारी किया जाता है। ऐसे मामले में, पक्षकारों,

वर्षों पहले एक मध्यस्थता समझौता करने के बाद, अच्छी तरह से पलट सकते हैं और कह सकते हैं कि उन्होंने कानून में परिवर्तन के लिए कभी सौदेबाजी नहीं की जो कई वर्षों के बाद हुआ है, और कौन सा परिवर्तन उन पर लागू होगा, क्योंकि धारा 21 में निर्दिष्ट नोटिस, के बाद जारी किया गया है

संशोधन अधिनियम लागू हो गया है। अपने स्वभाव से ही खजूर काट लें,

कुछ विसंगतियों को जन्म देने के लिए बाध्य हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि व्याख्या की प्रक्रिया को इतना विकृत किया जाना चाहिए कि दोनों सादा को नकार दिया जाए। भाषा के साथ-साथ संशोधित क़ानून का उद्देश्य। इस आधार पर भी, हम यह नहीं देखते कि कैसे एक भावनात्मक तर्क को [2018] 2 एस. सी. आर. में परिवर्तित किया जा सकता है।

नहीं, ताकि धारा 26 की व्याख्या इस तरह से की जा सके जो इसके विपरीत हो

इसकी सरल भाषा और उद्देश्य।

56. हालाँकि, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित कारणों से अधिनियमित संशोधन, जैसा कि संशोधन अधिनियम के उद्देश्यों के विवरण में कहा गया है:

" 2. इस अधिनियम को कम से कम अदालत के हस्तक्षेप के साथ मध्यस्थता से संबंधित मामलों के त्वरित निपटान का प्रावधान करने के लिए अधिनियमित किया गया था। समय बीतने के साथ, अधिनियम की प्रयोज्यता में कुछ कठिनाइयाँ देखी गई हैं। कुछ मामलों में अदालतों द्वारा अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या के परिणामस्वरूप निपटान में देरी हुई है।

मध्यस्थता कार्यवाही और मध्यस्थता मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप में वृद्धि, जो अधिनियम के उद्देश्य को विफल करने की प्रवृत्ति रखते हैं। कठिनाइयों को दूर करने के लिए, मामले को भारत के विधि आयोग को भेजा गया, जिसने इस मुद्दे की विस्तार से जांच की और अपनी 176 वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की। उक्त रिपोर्ट के आधार पर मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2003 को 22 दिसंबर, 2003 को राज्यसभा में पेश किया गया था। उक्त विधेयक संबंधित विभाग को भेजा गया था।

जांच और रिपोर्ट के लिए शिकायतें, कानून और न्याय। उक्त समिति ने 4 अगस्त, 2005 को संसद को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें समिति ने सिफारिश की कि चूंकि उक्त विधेयक के कई प्रावधान विवादास्पद थे, इसलिए विधेयक को वापस लिया जा सकता है और इसकी सिफारिशों पर विचार करने के बाद एक नया कानून लाया जा सकता है। तदनुसार, उक्त विधेयक को राज्यसभा से वापस ले लिया गया। 3. उपरोक्त के अनुसरण में फिर से किए गए एक संदर्भ पर, विधि आयोग ने जांच की और अपनी 246 वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की।

" अगस्त, 2014 में मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन और अधिनियम में विभिन्न संशोधनों की सिफारिश की गई।

अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों से सुविधा होगी और

अधिक उपयोगकर्ता के अनुकूल, लागत प्रभावी और मामलों के त्वरित निपटान के लिए वैकल्पिक विवाद तंत्र, विशेष रूप से मध्यस्थता को प्रोत्साहित करना क्योंकि भारत मामलों के निपटान में अपने कानूनी ढांचे में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है। 4. चूंकि अनुबंध प्रवर्तन में भारत दुनिया के 189 देशों में से 178 वें स्थान पर है, इसलिए यह सही समय है जब भारत में क्रिकेट के लिए नियंत्रण के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं।

कोच्चि क्रिकेट पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

अनुबंधों के त्वरित प्रवर्तन की सुविधा के लिए लिया जाता है, आसान

मौद्रिक दावों की वसूली और न्यायसंगत मुआवजे का पुरस्कार नुकसान के लिए और अदालतों में लंबित मामलों को कम करने और मध्यस्थता के माध्यम से विवाद समाधान की प्रक्रिया को तेज करने के लिए, ताकि निवेश और आर्थिक गतिविधि को प्रोत्साहित किया जा सके।

5. चूंकि संसद का सत्र नहीं चल रहा था और तत्काल कदम उठाए गए थे

भारत को एक मजबूत कानूनी ढांचे के साथ एक निवेशक अनुकूल देश के रूप में पेश करके विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 में आवश्यक संशोधन करने के लिए राष्ट्रपति ने मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अध्यादेश, 2015 जारी किया।

6. मध्यस्थता और सुलह शुरू करने का प्रस्ताव है

(मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अध्यादेश, 2015 को बदलने के लिए संशोधन) विधेयक, 2015, जो अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के लिए प्रावधान करता है, अर्थात्: (i) "न्यायालय" की परिभाषा में संशोधन करना ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के मामले में, न्यायालय उच्च न्यायालय होना चाहिए;

((ख) यह सुनिश्चित करना कि एक भारतीय न्यायालय अंतरिम उपाय आदि प्रदान करने के लिए अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है, भले ही मध्यस्थता का स्थान भारत से बाहर हो।

((iii) मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए आवेदन होगा -

साठ दिनों की अवधि के भीतर मामले का निपटारा किया गया; ((iv) यह प्रावधान करना कि मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए किसी भी आवेदन पर विचार करते समय, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय प्रथम दृष्टया मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व की जांच करेगा।

और अन्य मुद्दे नहीं;

(v) यह प्रावधान करने के लिए कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण उस तारीख से बारह महीने की अवधि के भीतर अपना निर्णय देगा जिस पर वह प्रवेश करता है

और यह कि पक्षकार, तथापि, ऐसी अवधि को छह महीने तक बढ़ा सकते हैं, जिसके बाद कोई भी विस्तार केवल न्यायालय द्वारा पर्याप्त कारण पर ही दिया जा सकता है;

((vi) यह उपबंध करना कि एक आदर्श शुल्क अनुसूची जिसके आधार पर उच्च न्यायालय निर्धारण [2018] के प्रयोजन के लिए नियम बना सकते हैं।

माध्यस्थम न्यायाधिकरण की फीस, जहाँ एक उच्च न्यायालय मध्यस्थ की नियुक्ति करता है अधिनियम की धारा 11 के संदर्भ में;

((vii) यह प्रावधान करना कि विवाद करने वाले पक्ष किसी भी स्तर पर सहमत हो सकते हैं।

लिखित रूप में कि उनके विवाद को फास्ट ट्रैक के माध्यम से हल किया जाए

प्रक्रिया और ऐसे मामलों में पुरस्कार एक के भीतर किया जाएगा छह महीने की अवधि;

(viii) मध्यस्थों की तटस्थता का प्रावधान करना, जब कोई व्यक्ति

संभावित नियुक्ति के संबंध में संपर्क किया गया

मध्यस्थ;

न्यायालय द्वारा एक वर्ष के भीतर निपटाया गया। 7. विधेयक में प्रस्तावित संशोधन यह सुनिश्चित करेंगे कि मध्यस्थता

प्रक्रिया अधिक उपयोगकर्ता के अनुकूल, लागत प्रभावी हो जाती है और

मामलों का शीघ्र निपटान "।

(जोर दिया गया)

57. सरकार को उपरोक्त बातों को ध्यान में रखने की अच्छी सलाह दी जाएगी।

सबसे आगे वस्तुओं और कारणों का विवरण, यदि वह प्रस्तावित करता है

बैक-बर्नर अधिनियम, जैसे कि धारा 28 और 34 में विशेष रूप से किए गए महत्वपूर्ण संशोधन, जिनके परिणामस्वरूप मध्यस्थता कार्यवाही के निपटारे में देरी हुई है और मध्यस्थता मामलों में अदालतों का हस्तक्षेप बढ़ा है। जो अधिनियम के उद्देश्य को विफल करते हैं और अब 23 अक्टूबर, 2015 के बाद दायर की गई धारा 34 याचिकाओं पर लागू नहीं होंगे, लेकिन उन मामलों में दायर की गई धारा 34 याचिकाओं पर लागू होंगे जहां मध्यस्थता की कार्यवाही 23 अक्टूबर, 2015 के बाद ही शुरू हुई है। इसका मतलब यह होगा कि

कि सभी मामलों में जो पाइपलाइन में हैं, इस तथ्य के बावजूद कि धारा 34 की कार्यवाही 23 अक्टूबर, 2015 के बाद ही शुरू की गई है, फिर भी,

पुराना कानून लागू होता रहेगा जिसके परिणामस्वरूप न्यायालयों के बढ़ते हस्तक्षेप से मध्यस्थता कार्यवाही के निपटारे में देरी होगी, जो अंततः 1996 के अधिनियम के उद्देश्य को विफल कर देगा। यह याद रखना महत्वपूर्ण होगा कि 246 वें विधि आयोग की रिपोर्ट में ही कार्यवाही को दो भागों में विभाजित किया गया है।

4 इन संशोधनों का प्रभाव है, जैसा कि एच. आर. डी. निगम (मार्कस ऑयल एंड केमिकल डिवीजन) v में कहा गया है। गेल (इंडिया) लिमिटेड (पूर्व में भारतीय गैस प्राधिकरण)

लिमिटेड) 2017 एस. सी. सी. ऑनलाइन 1024 (पैराग्राफ 18 पर) पुरस्कारों को चुनौती देने के आधार को निम्नानुसार सीमित करनाः

भारत में क्रिकेट के लिए नियंत्रण बोर्ड v. कोच्चि क्रिकेट पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

58. दलीलों के अंतिम छोर पर, श्री विश्वनाथन ने जवाब में एक और मुद्दा उठाया जो केवल सिविल अपीलों में उत्पन्न होता है। 2017 की एस. एल. पी. (सी) संख्या 8374-8375 और 2017 की 8376-8378। उनके अनुसार, विवादित निर्णय, जब यह प्रतिवादी एनरकॉन जीएमबीएच के पक्ष में बहुमत पुरस्कार से संबंधित था, एनरकॉन के पक्ष में पुरस्कार के एक हिस्से के निष्पादन का आदेश देने में पुरस्कार के पीछे चला गया, जब बहुमत पुरस्कार, पैराग्राफ 331 (3) (बी) में, विशेष रूप से दूसरे और तीसरे प्रतिवादियों को डब्ल्यूडब्ल्यूआईएल को भुगतान करने का आदेश दिया, जो एक संयुक्त उद्यम कंपनी है।

रुपये. 6,77,24,56,570/-। न्यायाधिकरण के बहुमत निर्णय ने पैराग्राफ 298 में विशेष रूप से निम्नानुसार कहा थाः

उपयुक्त (13 दिसंबर के आवेदन का पैराग्राफ 18) 2015 और इसके समापन लिखित प्रस्तुतिकरण का अनुच्छेद 323.4 दिनांकित है।

13 मई 2016, साथ ही 30 सितंबर का दावा विवरण भी।

2014 , पैराग्राफ 102 (एम) में।) न्यायाधिकरण के विचार में, यह देखते हुए कि डब्ल्यू. डब्ल्यू. आई. एल. केवल एनरकॉन के स्वामित्व वाला हिस्सा है (इसलिए एनरकॉन का

" ..... वास्तव में, उसी विधि आयोग की रिपोर्ट ने धारा 28 और 34 में संशोधन किया है ताकि अधिनियम के तहत उपलब्ध चुनौती के आधार को कम किया जा सके। ओ. एन. जी. सी. बनाम में निर्णय। सॉ पाइप्स लिमिटेड (2003) 5 एस. सी. सी. 705 को स्पष्ट रूप से समाप्त कर दिया गया है। ओ. एन. जी. सी. बनाम में भी यही निर्णय है। वेस्टर्न गेको इंटरनेशनल लिमिटेड,

(2014) 9 एससीसी 263। धारा 34 और 48 दोनों को रेनुसागर पावर प्लांट कंपनी लिमिटेड बनाम में निहित कानून की स्थिति में वापस लाया गया है। जनरल इलेक्ट्रिक कं., (1994) सप्लीमेंट (1) एस. सी. सी. 644, जहां "सार्वजनिक नीति" में अब उसमें निर्धारित तीन चीजों में से केवल दो ही शामिल होंगी, अर्थात। , " भारतीय कानून की मौलिक नीति "और" न्याय या नैतिकता "। "भारत के हित" से संबंधित आधार अब प्राप्त नहीं होता है। भारतीय कानून की मौलिक नीति को "अब रेनुसागर (ऊपर) में निर्धारित के रूप में समझा जाना चाहिए।" न्याय या नैतिकता को कड़ा कर दिया गया है और अब इसका अर्थ केवल न्याय और नैतिकता की बुनियादी धारणाओं के रूप में समझा जाना चाहिए, यानी ऐसी धारणाएं जो न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोर दें, जैसा कि एसोसिएट बिल्डर्स बनाम में समझा गया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (2015) 3 एस. सी. सी. 49. धारा 28 (3) को एसोसिएट बिल्डर्स (उपरोक्त) में इस न्यायालय के फैसले के अनुरूप लाने के लिए भी संशोधित किया गया है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि अनुबंध की शर्तों का निर्माण मुख्य रूप से मध्यस्थ को तय करना है जब तक कि यह नहीं पाया जाता है कि ऐसा निर्माण संभव नहीं है।

मेहरा के निदेशकों के गलत काम के परिणामस्वरूप होने वाला आर्थिक नुकसान डब्ल्यूडब्ल्यूआईएल के समान नहीं है) और आगे यह कि

डब्ल्यू. डब्ल्यू. आई. एल. इस तरह के गलत काम से सबसे तुरंत प्रभावित होने वाला व्यक्ति बना हुआ है, मेहरा निदेशकों के दायित्व का सबसे अच्छा निर्वहन उन्हें डब्ल्यू. डब्ल्यू. आई. एल. के पक्ष में इस तरह की राहत पर निर्णय लेने की आवश्यकता से किया जाता है।

(एनरकॉन के पक्ष में प्रत्यक्ष राहत से अलग) के रूप में, न्यायाधिकरण एनरकॉन के लिए कोई भौतिक नुकसान नहीं देखता है, और जहाँ तक मेहरा निदेशकों का संबंध है, कोई संभावित पूर्वाग्रह या अन्य अन्याय नहीं है, चाहे वह याचिका के रूप में हो, राहत का रूप हो या अन्यथा।

इसके बाद ही न्यायाधिकरण ने पैराग्राफ 331 (3) (बी) में उपरोक्त राशि को निम्नानुसार घोषित कियाः

" (ख) संयुक्त रूप से और अलग-अलग

(i) 31 मार्च 2011 और 2012 को समाप्त होने वाले वर्षों में डब्ल्यूडब्ल्यूआईएल को आवंटन अधिकारों की बिक्री पर विश विंड द्वारा किए गए लाभ के रूप में डब्ल्यूडब्ल्यूआईएल को ब्याज के साथ आईएनआर 6,772,456,570 की राशि का भुगतान करना।

उन तारीखों से इस पुरस्कार की तारीख तक यूरोपीय केंद्रीय बैंक की दर पर 3 प्रतिशत की दर से। ((ii)
दावेदारों को उनकी कानूनी और अन्य लागतों का भुगतान राशि में करना।

€ 3,794,970 "का।

59. इस प्रकार यह श्री विश्वनाथन का तर्क है कि यह केवल डिक्री धारक है जो इसके पक्ष में इस तरह के डिक्री को निष्पादित कर सकता है, और

जहां तक अनुच्छेद 331 (3) (बी) का संबंध है, वर्तमान मामले में यह डब्ल्यू. डब्ल्यू. आई. एल. ही डिक्री धारक है और इसलिए, पुरस्कार के इस हिस्से को निष्पादित करने के लिए एनरकॉन का चैंबर समन, सिविल प्रक्रिया संहिता के साथ-साथ संहिता का अर्थ लगाने वाले कई निर्णयों के विपरीत है।

कार्यवाही, डब्ल्यू. डब्ल्यू. आई. एल. के नियंत्रण और प्रबंधन में हैं, और इस तरह के नियंत्रण और प्रबंधन से एनरकॉन को गलत तरीके से बाहर कर दिया है। इसलिए डब्ल्यू. डब्ल्यू. आई. एल. इस आदेश को कभी भी लागू नहीं करेगा। ऐसा होने के कारण, न्याय के हित के लिए आवश्यक है कि हमें उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि एनरकॉन के अलावा कोई भी व्यक्ति पुरस्कार को लागू करने की स्थिति में नहीं होगा।

61. हमारी राय है कि भले ही उच्च न्यायालय कानून की सराहना में सख्ती से सही न हो, फिर भी उसने मामले के तथ्यों पर न्याय करने का प्रयास किया हैः

भारत में क्रिकेट के लिए नियंत्रण का कला v. कोच्चि क्रिकेट पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

" ये अंतिम शब्द महत्वपूर्ण हैं। यदि श्री मेहता क्या कहते हैं

सही और डिक्री डब्ल्यूडब्ल्यूआईएल के पक्ष में थी न कि एनरकॉन के, जो आवश्यक रूप से हर्जाने के लिए एनरकॉन के दावे को अस्वीकार करता है और इसलिए, एनरकॉन के लिए एक भौतिक नुकसान है। लेकिन मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। इसने एनरकॉन की याचिका को स्वीकार कर लिया। इसने अपने इस तर्क को स्वीकार किया कि मेहरास गलत काम करने के दोषी थे। इसने स्वीकार किया कि मेहरास को जो भी लाभ या लाभ मिला है, उसे वे अच्छा बनाने के लिए उत्तरदायी थे। मध्यस्थ

न्यायाधिकरण ने केवल उस वाहन या दिशा को बदल दिया जिसके द्वारा वह

नामकरण महत्वहीन है। विवादों की प्रकृति को देखते हुए, वास्तव में, डब्ल्यूडब्ल्यूआईएल इस आदेश को कभी भी निष्पादित नहीं कर सका। कभी नहीं चाहा यह राहत। यह नहीं हो सकता था। यह वास्तव में अनुच्छेद 298 के रूप में नहीं है,

डब्ल्यू. डब्ल्यू. आई. एल. के पक्ष में एक राहत है हालांकि डब्ल्यू. डब्ल्यू. आई. एल.

इसका लाभ उठाएँ। यह एक राहत है और केवल के पक्ष में एक आदेश है

एनरकॉन "।

मामले को देखते हुए, हम इसे उचित नहीं मानते हैं, के हित में

, इस संबंध में विवादित निर्णय में हस्तक्षेप करना।

62. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अपीलों के वर्तमान समूह को खारिज कर दिया जाता है। निर्णय में जो कहा गया है उसे ध्यान में रखते हुए भारत के लिए विधि और न्याय मंत्रालय को भेजा जाना है।

ए. एफ. एस. 56 और 57 ऊपर।

याचिकाएं खारिज

कर दी गईं।

में